C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXIV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 18, Friday, April 27, 2012/Vaisakha 7, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.321 to 325	3-29
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.326 to 340	30-75
Unstarred Question Nos.3681 to 3725, 3727 to 3865 and 3867 to 3910	76-492

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **493-498**

ASSENT TO BILLS **499**

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS **499**
14th and 15th Reports

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE **500**
56th to 59th Reports

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES **500**
20th Report

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE **501**
8th Report

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS **501**
11th Report

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE **501**
174th Report

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT **502**

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance
Shri Pranab Mukherjee **503**

BUSINESS OF THE HOUSE **504-508**

ADMINISTRATIVE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 2012 **509**

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2012-13
Ministry of Health and Family Welfare **512-543**
Shri Hansraj G. Ahir **512-514**

Shri R. Thamaraiselvan **515-520**

Shri Ghulam Nabi Azad **521-540**

SUBMISSION BY THE MEMBER

Re : Need to remove tractor-trolly used in Agriculture from the commercial category list **546-547**

MOTION RE: TWENTY-SECOND, TWENTY-THIRD TWENTY-FOURTH AND TWENTY-FIFTH REPORTS OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS **558**

PRIVATE MEMBERS' BILLS- INTRODUCED **559-585**

(i) Persons Living in Coastal Zone (Rehabilitation and Welfare) Bill,2011

By Dr. Sanjeev Ganesh Naik 559

(ii) Phased Incorporation of Cash Transfers in Public Distribution System Bill, 2011

By Shri Baijayant Panda 559

(iii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill,2011 (Amendment of Part II)
By Shrimati Bijoya Chakravarty 560

(iv) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of the Schedule)
By Shri M. Anandan 560

(v) Constitution (Amendment) Bill,2011
(Insertion of new article 24A).

By Shri Satpal Maharaj 561

(vi) National Commission for Horticulture
Development Bill, 2011

By Shri Jagdambika Pal 561

(vii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill,2012
(Amendment of section 164A).
By Shrimati Sumitra Mahajan 562

(viii) Pre-Examination Coaching Centres Regulatory
Authority Bill, 2011

By Shri Jagdambika Pal **562**

(ix) Backward Areas Development Board Bill,2011

By Shri Jagdambika Pal 563

(x) Slums and Jhuggi-Jhopri Areas Clearance Bill,2011

By Shri Om Prakash Yadav 563

(xi) Prevention of Influx of Foreign Nationals into
the Country Bill, 2011

By Shrimati Bijoya Chakravarty 564

(xii) Constitution (Amendment) Bill,2011
(Amendment of articles 85 and 174)

By Shri Satpal Maharaj 565

(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2011
(Insertion of new article 30A)

By Shri Satpal Maharaj 565

(xiv) Overseas Workers (Management and
Welfare) Bill, 2011

By Shri P.T. Thomas 565

(xv) Constitution (Amendment) Bill, 2011
(Amendment of article 370)

By Shri Hansraj G. Ahir 566

(xvi) Compulsory Sports Education in Schools Bill,2011

By Shri Hansraj G. Ahir 566

(xvii) Constitution (Amendment) Bill, 2012
(Amendment of the Seventh Schedule).
By Shri Hansraj G. Ahir 567

(xviii) Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2012

By Shri Hansraj G. Ahir 567

(xix) Fishermen (Welfare) Bill, 2011

By Shri Adhir Chowdhury 568

(xx) Dalit and Backward Youth Welfare Bill, 2011

By Shri P.L. Punia 568

(xxi) Central Universities (Amendment) Bill, 2011
(Insertion of new section 3B, etc.)

By Partap Singh Bajwa 569

(xxii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2011
(Amendment of section 6, etc.)

By Shri S. Semmalai 569

(xxiii) Coconut Growers (Welfare) Bill, 2011

By Shri M.K.Raghavan 570

(xxiv) Airlines (Payment of Compensation) Bill, 2011

By Shri M.K.Raghavan 570

(xxv) Health Insurance Scheme Bill, 2011

By Shri M.K.Raghavan 571

(xxvi) Prohibition of Extravagant Expenditure on Marriages Bill, 2011

By Shri Mahendrasinh P. Chauhan 571

(xxvii) Indian Penal Code (Amendment) Bill,2011 (Omission of section 124A)

By Shri Arjun Ram Meghwal 572

(xxviii) Handloom Weavers (Welfare) Bill, 2011

By Shri P.L. Punia 572

(xxix) Right to Information (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of section 2, etc.)

By Shri Jayant Chaudhary 573

(xxx) Constitution (Amendment) Bill,2012 (Amendment of article 171)

By Dr. Raghuvansh Prasad Singh 573

(xxxi) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2012(Amendment of the Schedule)

By Dr. Raghuvansh Prasad Singh 574

(xxxii) Citizenship (Amendment) Bill,2012 (Amendment of section 5)

By Shri Kabindra Purkayastha 574

(xxxiii) Compulsory Imparting of Moral Education in Educational Institutions Bill, 2012

By Shri Mahendrasinh P. Chauhan 575

(xxxiv) Incest Offences Bill, 2012

By Shri Mahendrasinh P. Chauhan 576

(xxxv) Women and Girl Child (Prevention of Atrocities) Bill, 2012

By Shri Mahendrasinh P. Chauhan 576

(xxxvi) Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of section 13).

By Shri Manish Tewari 577

(xxxvii) Compulsory Medical Preparedness in Schools Bill, 2012

By Dr. Kirit Premjibhai Solanki 577

(xxxviii) Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2012

By Dr. Kirit Premjibhai Solanki 578

(xxxix) Prohibition on Use of Coercive Methods for Recovery of Bank Loans Bill, 2012

By Dr. Kirit Premjibhai Solanki 578

(xl) Constitution (Amendment) Bill,2012 (Amendment of article 85).

By Shri Deepender Singh Hooda 579

(xli) Computer Training Centres (Regulation) Bill, 2012

By Shri Adhir Chowdhury 579

(xlii) Constitution (Amendment) Bill,2012 (Insertion of new article 371CA).

By Dr. Thokchom Meinya 580

(xliii) Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Insertion of new article 22A).

By Dr. Bhola Singh 580

(xliv) Rural Electrification Bill, 2012

By Dr. Bhola Singh 581

(xlv) Provision of Free Medical and Engineering Education to Meritorious Students Bill, 2012

By Shri Ramen Deka 581

(xlvi) Salt Workers Welfare Bill, 2012

By Shri P.L. Punia 582

(xlvii) Establishment of Permanent Benches of High Courts at State Capitals Bill, 2012

By Dr. Shashi Tharoor 582

(xlviii) Fishermen (Welfare) Bill, 2012

By Shri Kodikunnil Suresh 583

(xlix) Economically Weaker Class Corporation Bill, 2012

By Shri Kodikunnil Suresh 584

(l) Commercial Crops Workers (Welfare) Bill, 2012

By Shri Kodikunnil Suresh 584

(li) Scheduled Castes Hamlets (Provision of Basic Facilities) Bill, 2012

By Shri Kodikunnil Suresh 585

(lii) Indian Penal Code (Amendment) Bill,2012 (Amendment of section 377).

By Shri Arjun Ram Meghwal 585

(liii) Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Bill,2012 (Insertion of new section 16B, etc.).

By Shri Arjun Ram Meghwal 585

PRIVATE MEMBERS' BILLS -WITHDRAWN

(i)	**Right to Information (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of sections 6 to 8).**	**586**
(ii)	**University of Patna Bill, 2011**	**586**

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010 (Amendment of Eighth Schedule) **587-621**

Shri Naveen Jindal	587-591
Shri Arjun Ram Meghwal	592-596
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	597-604
Shri Jai Prakash Agarwal	605-606
Shri S. Semmalai	607-608
Shri Deepender Singh Hooda	609-612
Shri Badri Ram Jakhar	613
Shri Jagdambika Pal	614-615
Shri Mahabal Mishra	616
Shri Kamal Kishor 'Commando'	617
Shri Jitendra Singh	618-619
Shri Satpal Maharaj	620-621
Bill Withdrawn	621

BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010 **622**

Motion to Consider	622
Shri Om Prakash Yadav	622

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 623

Member-wise Index to Unstarred Questions 624-629

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 630

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 631

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, April 27, 2012/Vaisakha 7, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): करोड़ों लोगों के जो मसले हैं,…(व्यवधान) उस पर मैंने आपको एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. 321, Dr. Sanjeev Ganesh Naik.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए। आप पहला पूरक प्रश्न पूछिये।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) …[*]

[*] Not recorded.

(Q. 321)

MADAM SPEAKER : Question No. 321, Dr. Sanjeev Ganesh Naik.

डॉ. संजीव गणेश नाईक : मैडम, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा एक कामयाब सोलर मिशन, 2022 तक हम करने जा रहे हैं, इसकी बहुत ही आवश्यकता है।...(व्यवधान) हमारे देश में सोलर पावर इनर्जी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने की कोशिश तो हमारी भारत सरकार कर रही है, लेकिन राज्यों को साथ लेकर यह करने की बहुत आवश्यकता है।...(व्यवधान) मैडम, मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सोलर मिशन के बारे में जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं, उसमें रेट का प्रावधान जो होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रेट अलग होता है, सैण्ट्रल गवर्नमेंट का रेट अलग होता है, इसकी वजह से इन्वैस्टर्स कम आते हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से बात करके एक खास मीटिंग लेकर उनके बारे में चर्चा करके हमारी नीति बनाने की उनकी कोई मंशा है? ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: माननीय महोदया, भारत सरकार का रोल बतौर एक फैसिलिटेटर स्टेट में है और हमारा यह लक्ष्य है कि सन् 2022 तक सोलर इनर्जी का 20 हजार मैगावाट का देश में उत्पादन हो सके।...(व्यवधान) इसके लिए स्वाभाविक है कि प्रान्तों का रोल इसमें बहुत अहम रहेगा और उसके लिए यहां से केन्द्र सरकार ने कई तरह के इंसेंटिव्ज़ देने के लिए अपनी नीति बनाई है।...(व्यवधान) मैं उन इंसेंटिव्ज़ का मामूली सा जिक्र आपके समक्ष करना चाहूंगा।...(व्यवधान) वह कस्टम ड्यूटी कम करने का है, जो आइटम्स बाहर से मशीन वगैरह आयें, जो एसेंशियल सैटिंग अप के लिए हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी कम हो, कस्टम ड्यूटी का बिल्कुल एग्जम्पशन हो जाये।...(व्यवधान) मशीनरी के लिए बिल्कुल कंसेशनल कस्टम ड्यूटी हो, उन चीजों के मैन्युफैक्चरिंग पर जो रिन्युएबल इनर्जी के सिस्टम और डिवाइसेज़ के लिए है और 15 सालों में से 10 सालों के लिए कोई भी चाहे उसके लिए इन्कम टैक्स की माफी है और एनवायर्नमेंट क्लियरेंस उनको नहीं लेना पड़ता।...(व्यवधान) ये प्रावधान यहां से हमने किये हैं।...(व्यवधान) बाकी हम चाहेंगे कि प्रान्तों के साथ मिलकर, क्योंकि जो जमीन की जरूरत होती है, वह प्रान्त की सरकारें देती हैं और उनके लिए हमारी यह कोशिश होगी कि वे इसमें काम ज्यादा कर पायें और जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, नेशनल टार्गेट्स हैं, वे हम हासिल कर पायें।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

11.04 hrs.

At this stage, Shri Ramesh Rathod came and stood on the floor near the Table.

11.04 ¼ hrs.

At this stage Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

डॉ. संजीव गणेश नाईक : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसके बारे में राज्य सरकारों के साथ आप बैठक करने वाले हैं, इसके बारे में आपने कहा।...(व्यवधान) मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो टैरिफ रेट होता है, क्योंकि सैण्ट्रल गवर्नमेंट एक अलग टैरिफ रेट बताती है और स्टेट गवर्नमेंट का रेट अलग होता है, इसकी वजह से इन्वैस्टर्स कम आते हैं।...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके बारे में आप आगे बढ़ना चाहेंगे? ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, मैं यह कहूं कि इम्मीडिएटली कोई मीटिंग तय हुई है, वह तो नहीं है, लेकिन यह मीटिंग करनी है, यह ऑन गोइंग प्रोसेस है।...(व्यवधान) जहां तक टैरिफ का सवाल है, जो प्रान्त की सरकारें हैं, उनकी नीति अपनी-अपनी है।...(व्यवधान) हमारी तरफ से तो प्रयास यह है कि समय के साथ ये सहूलियतें दी जायें।...(व्यवधान) इसके साथ टैरिफ रेट की ग्रिड पैरिटी हो जाये, यानी कि जो दूसरी बिजली का रेट है, वही हम सोलर के लिए कर पाएं। ...(व्यवधान) यह मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि पहले 18 रूपए से वह कम होकर 12 रूपए हो गया, अब वह कम होकर 8 रूपए 70 पैसे प्रति यूनिट हो चुका है। ...(व्यवधान) इतनी उसमें हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ...(व्यवधान) हमारा प्रयास यही होगा कि यहां इंडस्ट्रियलिस्ट्स आएं और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी मिलकर उस पर काम कर सकें। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : पूरे देश के किसान परेशान हैं। ...(व्यवधान) गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है। ...(व्यवधान) आज उत्तर प्रदेश में किसानों का बुरा हाल है। ...(व्यवधान)

SHRI N.S.V. CHITTHAN: Madam, in our country, the scope for the production of power through water, coal and atom is limited. In such a circumstance the solar energy is environment friendly and best suitable power. From the answers supplied by the Minister, only 1100 Megawatt grid will be connected by solar power by 2013. We all know that certain States including Tamil Nadu are in the

grip of severe power cuts. And the matter needs our urgent attention. May I ask the Minister through you, Madam, what are the actions and concrete steps to be taken by our Government to step up the production on a war footing? … (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Madam, for the on grid project as I had mentioned earlier, there is a grid parity … (*Interruptions*). State agencies, State Governments, institutions, individuals and everybody is able to be part of this Mission part of the endeavour to increase the solar energy generation.

(Q. 322)

SHRI BAIJAYANT PANDA : Madam Chairperson, through you, I would like to ask the hon. Minister that this inter-ministerial Committee which was formed, it seems from the news reports and also from the statement placed by him on the Table that the first meeting held only two and half months after the Committee was formed. I would like to ask the hon. Minister how often this Committee is supposed to meet every year because there are lots of important projects that are pending about which I will ask in my second supplementary.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Madam, basically, Inter-Ministerial Committee is a committee to sort out issue related to the different Ministry. So far, the issue is related to the State which is not coming to that Committee. It requires like visa issue, Home Ministry issue, issue like our infrastructure, growth and other ministry like aviation issue. So, these are the issues which are brought to that Committee so that the inter-ministerial issues can be sorted out. So far as the projects are concerned, they are always sorted out between the State Governments and the Central Government.

… (*Interruptions*)

SHRI BAIJAYANT PANDA : Madam Speaker, I would like to ask the hon. Minister that as per the Statement laid by him on the Table, the projects and the amounts sanctioned to my State Orissa has been steadily declining for the three years for which he has submitted statistics. Madam, this is a great disappointment to us because of the many opportunities for tourism in Orissa which is an under-developed place in particular.… (*Interruptions*) I would like to bring to the attention of the hon. Minister that in my constituency Kendrapara and in the constituency of my neighbour Shri Mohan Jena in Jajpur, there are very important Buddhist sites. … (*Interruptions*) Sites of Lalitgiri and Ratnagiri are ancient monastries and teaching centres for more than a 1000 years ago. These projects have been pending for development with the Tourism Ministry. Proposals have

come from the State Government. I would like to ask the hon. Minister if he can give us an assurance to expedite these projects.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: The Centre is always concerned that the meetings take place between the States and the Centre. We never do by our own. Whatever priorities are fixed by the States, we take that up. In so far as the projects mentioned by the hon. Member about his constituency is concerned, I assure him that we would try to pursue the State Government to take that up on priority and in the year 2012-13, I will include this.

MADAM SPEAKER: Shri Laxman Tudu – Not present.

श्री सतपाल महाराज : मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा होती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चार धाम के साथ-साथ क्या वह पंचकेदार, पंचबद्री और पंचप्रयागों की यात्रा भी विस्तृत रूप से करवाएंगे?...(व्यवधान) हमारे उत्तराखंड के अंदर मेडिकल टुरिज्म हो सकता है उसके साथ-साथ वहां पर मोटर होम्स का पूरा अभियान चल सकता है। मैं मत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह पंचकेदार, पंचबद्री और लाखा मंडल के अंदर यात्रा प्रारंभ करावाएंगे? ...(व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, मैंने पिछली सरकार के साथ भी बैठक कर के चार धाम यात्रा के बारे में फैसला लिया था। ...(व्यवधान) जो नई सरकार बनी है, बहुगुणा जी के साथ मेरी बैठक हुई है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड टुरिज्म की दृष्टि से हमारी प्राथमिकता में है। ...(व्यवधान) वहां पर वेलनेस टुरिज्म, रिलिजस टुरिज्म और एडवेन्चर टुरिज्म ये सभी हमारे एजेंडा में हैं। उत्तराखंड हमारी प्राथमिकता में रहेगा। माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उसको चेक करवा लूंगा। ...(व्यवधान)

(Q. 323)

SHRI K. SUGUMAR : Madam, the reply given by the hon. Minister is not true and is not in conformity with the actual fact. Probably, the factual position has been concealed and he has been misinformed. The factual position is reflected here.

Strengthening of Drugs Regulatory Mechanism is one of the major public health interventions. This ensures that safe, efficacious and quality drugs are made available to the people. Keeping in view the recommendations of the Mashelkar Committee, it is important that the infrastructure, both physical and human resource, both at the Centre and in the States is substantially augmented. A more transparent and effective monitoring and regulation and control of all drugs and medical devices need to be tightened. In contrast the CBI, probing the multi-crore National Rural Health Mission scam, has found that a large quantity of substandard drugs has been supplied to Government hospitals by pharmaceutical firms.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You ask the question.

SHRI K. SUGUMAR : Therefore, to prevent all these types of manipulations, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma during her earlier tenure in 1996 had established a Corporation only to supply medicines and medical devices to run hospitals. Now this system is being adopted by many States. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You put the question.

SHRI K. SUGUMAR : Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering setting up a similar Corporation at national level to meet the demands of Central and State Government hospitals.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, the hon. Member has said so many things. But in conclusion, he has asked only one question. He has said whether on the lines of Tamil Nadu, the Central Government would also like to set up a Central Procurement Agency. My answer to this is yes. We are in an advance

stage of setting up this institution, the National Procurement Agency for procuring all these medicines at one place for supply to the entire country. A society has already been registered. Also the Health Ministry has recommended to the Ministry of Personnel for setting up a Search Committee for searching the Chief Executive Officer. Once the Ministry of Personnel gives okay to this Search Committee, the Search Committee will go ahead with the selection of the CEO and the whole process will start.

SHRI K. SUGUMAR : Madam, my second supplementary is that despite denials by the Government and stern measures including the introduction of a special barcode, supply of substandard drugs to the Central Government Health Scheme and pilferage of drugs continues in many places. Authorities have come across some cases of supply of substandard drugs in recent past while the public interest organisations claim that several more cases go unnoticed. Medicines supplied to the CGHS were found to be not of standard quality in many parts of the country. There are plenty of such cases of substandard drugs and more specially pilferage of drugs from the Government stores going on unabated across the country, but only a very few get exposed. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to prevent such malpractices with regard to the supply of life-saving drugs to Government hospitals and CGHS centres. … (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, there are different procedures for procuring and supplying medicines. The Ministry of Health of the Government of India purchases medicines and supplies them to the State Governments and the Union Territories. These centrally-procured medicines are being supplied to the State Governments mostly under family welfare programme, universal immunization programme, vaccines of different types, reproductive and child health related programmes, National Tuberculosis Control Programme and National Vector Borne Disease Control programmes. … (*Interruptions*)

I would like to assure the House that insofar as the central-procurement system is concerned, the quality assurance aspects involved in the procurement of drugs are: product qualifications, vendor qualification, transparent tendering process, etc. The system of how to address complaints and representations, if any received, is in place. Verification of recommended manufacturer for WHO-GMP compliance, Bid Evaluation Process, pre-shipment inspection, sampling and quality control is done. … (*Interruptions*) Some money is spent by the State Governments also to procure medicines from their own funds and we do not object to it. It is the responsibility of the State Government how to procure medicines. Whatever procurement is done by the Central Government is perfect, not spurious and not adulterated. The State Governments also procure medicines from their own budget as per their rules and procedures, and on that the Government of India does not have any control. … (*Interruptions*)

RAJKUMARI RATNA SINGH : Madam, through you I would like to ask the hon. Minister whether anybody has been punished for supplying spurious drugs. Many FIRs have been lodged against people who have been selling spurious drugs. Has anybody been convicted for selling spurious drugs in India? … (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I would like to inform this House that to check that no spurious drug or adulterated drug is made in this country, the Government of India brought an amendment to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and this amendment is in force since 2009. Under this Act, should any spurious or adulterated drug come to the notice of the Government and as a result of use of this drug if somebody dies or is disabled, the punishment for selling that drug is ten years imprisonment and it can be even life imprisonment. At the same time, they have to pay a fine also, to the tune of Rs.10 lakh, which can be paid to the relative of the deceased. Also, there is a provision of special courts for speedy trial. I am very happy that 14 State Governments, during the last two years, had set up these special courts.

The last part of the question which she had asked is, whether somebody had been punished. In 2010, 130 prosecutions were launched. In this, the number of persons arrested is 173; in 2010-11, the number of persons arrested is 72; in 2011-12, the number of persons arrested is 141.

MADAM SPEAKER: Question No. 324, Shri Ashok Kumar Rawat.

Shri Gorakh Prasad Jaiswal.

Yes, now the hon. Minister.

(Q. 324)

MADAM SPEAKER: Shri S. Alagiri.

SHRI S. ALAGIRI : Madam, in Tamil Nadu acute power shortage is existing. The duration of officially announced power cut is for eight hours; but unofficially the power cut is for ten hours. In rural areas, it extends up to 16 hours. The industrial sector is very badly affected. Except the MNCs, most of the local industries operate only one shift.

The other casualty is agricultural sector. Irrigation pumps are not working due to power cut. There is a huge difference between production and supply of power. I want to know through you, Madam, whether the Ministry of Power has any mechanism to improve the power situation in Tamil Nadu. When will the power situation improve in Tamil Nadu and how?

SHRI K.C. VENUGOPAL: I would like to inform the hon. Member, through you, Madam, that during the 11^{th} Plan period, we had achieved an installed capacity of close to two lakh MW. In the 11^{th} Plan period itself, we had achieved a target of 54,966 MW which is 2½ times of what we had added during the 10^{th} Plan. This is what we had cumulatively added during the 8^{th}, 9^{th} and 10^{th} Plan together. In the last year, we had added 20,502 MW which is the highest in a single financial year in the country. Also, from the Economic Survey Report, the power sector has had a growth rate of 9.3 per cent which is the highest in the infrastructure sector.

Coming to the question of the hon. Member, we are aware that Tamil Nadu is facing some power shortage. We are trying to support the Tamil Nadu Government; but due to corridor problems and over loading power to the corridor, we are not in a position to give power to Tamil Nadu. But when the Kudankulam Power Plant is commissioned, Tamil Nadu will get sufficient amount of power; they will get above 900 MW of power from this Plant. In the coming year, they will get more power from the recently commissioned projects also.

(Q. 325)

SHRI S. R. JEYADURAI : Madam, H1N1 or Swine Flu has been occurring since the year 2009.… (*Interruptions*) This flu generally occurs in March and April every year. It is very strange that the Government was unprepared for the outbreak of this disease and did not take any step or sounded the State Governments.… (*Interruptions*)

In Tamil Nadu alone, 97 cases of Swine Flu have been detected and four deaths have already occurred. People are unaware as to how to prevent the spread of Swine Flu. The ignorance of people is the main reason as to why this disease is spreading from one State to another.… (*Interruptions*)

The outbreak of a disease can be checked if people are aware of the preventive measures to be taken. I would like to know whether the Government has used the print or the electronic media to make the people aware of the symptoms and what precautions are to be taken.… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I do not agree with the hon. Member that the people of this country are not aware as to what to do in case they are suffering from H1N1 influenza.… (*Interruptions*) In 2009, when this endemic struck the entire world, we took all the precautions in our country. We trained the doctors up to the district level.… (*Interruptions*) We had two laboratories and within one year we increased the number of laboratories from one to 45. At that point of time only two testing laboratories were available. Today, 45 testing laboratories are available across the country. This is one of the biggest steps that we have taken.… (*Interruptions*) In 2009, we had to get the testing reagent from the United States of America. Within one year India has produced the testing reagent.… (*Interruptions*) At that point of time we had to bring the vaccine from the United States of America. In 2010 we produced our own indigenous vaccine as also our own indigenous capsule. Laboratories are here, vaccines are here, capsules are here, reagents are here and trained doctors are here.… (*Interruptions*) We have

made available everything.… (*Interruptions*) They must know how to chew and digest. This is what I would suggest to the State Governments.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to reassemble at 1200 noon.

11.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

____

12.00 hrs.

Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock

(Madam Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

12.0 ¼ hrs.

At this stage Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगी, पहले आप अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं।

…(व्यवधान)

<u>12.01 hrs</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6591/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6592/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 6593/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2010-2011.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 6594/15/12)

(9) A copy of the Drugs and Cosmetics (1st Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 28(E) in Gazette of India dated 17th January, 2012, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(Placed in Library, See No. LT 6595/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Mineral Exploration Corporation Limited and the Ministry of Mines for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6596/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. 1/2010 in Gazette of India dated the 6th January, 2011 issued under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6597/15/12)

(3) A copy of the Notification Nos. G.S.R.199(E) to G.S.R.213(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th March, 2012 together with an explanatory memorandum relating to service tax changes in the context of Budget proposals as announced by the Finance Minister in Lok Sabha on 16th March, 2012 under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994.

(Placed in Library, See No. LT 6598/15/12)

(4) A copy of the Notification Nos. G.S.R.156(E) to G.S.R.182(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th March, 2012 together with an explanatory memorandum relating to Central Excise duty charges in the context of Budget Proposals as announced by Finance Minister in Lok Sabha on 16th March, 2012 under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944.

(Placed in Library, See No. LT 6599/15/12)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :-

(i) G.S.R.128(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 3/89-Cus., dated 9th January, 1989.

(ii) G.S.R.129(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2012 together with an explanatory memorandum exempting customs duty on re-import of cut and polished diamonds, after certification/grading by the laboratories/agencies as notified in the Foreign Trade Policy in this regard, subject to the fulfillment of certain conditions.

(iii) G.S.R. 183(E) to G.S.R. 189(E) and G.S.R.192(E) to G.S.R.198(E) published in Gazette of India dated 17th March, 2012 together with an explanatory memorandum relating to Customs duty changes in the context of Budget proposals as announced by the Finance Minister in Lok Sabha on 16th March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6600/15/12)

(6) A copy of the Notification No. G.S.R.214(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th March, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 2/2003-M&TP, dated 1st March, 2003 issued under Rule 8 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956.

(Placed in Library, See No. LT 6601/15/12)

(7) A copy of the Clean Energy Cess (Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 215(E) in Gazette of India dated 17th March, 2012 under Section 84 of the Finance Act, 2010 together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 6602/15/12)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.111(E) published in Gazette of India dated 29th February, 2012 together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 30/2008-Cus., dated 3rd March, 2008.

(ii) G.S.R.118(E) published in Gazette of India dated 5th March, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 15/2007-Cus., dated 20th February, 2007.

(iii) G.S.R. 190(E) published in Gazette of India dated the 17th March, 2012, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 42/96-Cus., dated 23rd July, 1996.

(iv) G.S.R. 191(E) published in Gazette of India dated the 17th March, 2012, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 230/1986-Cus., dated 3rd April, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 6603/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6604/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2010-2011, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6605/15/12)

12.02 hrs.

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table the following six Bills passed by the Houses of Parliament during the first part of Tenth Session of Fifteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 13th March, 2012:-

1. The Appropriation (Railways) Bill, 2012;
2. The Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2012;
3. The Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2012;
4. The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012;
5. The Appropriation Bill, 2012; and
6. The Appropriation (No.2) Bill, 2012;

(Placed in Library, See No. LT 6606/15/12)

12.02 ½ hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

14th and 15th Reports

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings: -

(1) Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the First Report of 15th Lok Sabha on Public Private Partnership in implementation of Road Projects by National Highways Authority of India in respect of Delhi-Gurgaon Project.

(2) Fifteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Second Report of 15th Lok Sabha on Sale of Surplus Land and Buildings by National Textile Corporation Limited.

12.03 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
56th to 59th Reports

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित **'अनुदान संख्या 1 की समीक्षा-कृषि और सहकारिता विभाग'** के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित **'पर्यावरण और वन मंत्रालय का निष्पादन'** के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय से संबंधित **'मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (2010-2011) के बारे में की गई - कार्यवाही टिप्पणियों से समय पर प्रस्तुतीतकरण का अनुपालन न किए जाने'** के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

(4) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित **'भूमि और विकास कार्यालय का कार्यकरण'** के बारे में 59वां प्रतिवेदन।

12.03 ½ hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
20th Report

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): I beg to present the Twentieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Finance (Department of Financial Services) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in their Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) on "Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Punjab and Sind Bank and credit facilities provided by the Bank to them".

12.04 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

8th Report

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table and Minutes relating thereto.

12.04 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

11th Report

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on 'Demands for Grants (2012-13) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas'.

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

174th Report

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): अध्यक्ष महोदया, मैं नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 174वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

<u>12.05 ½ hrs.</u>

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं

> " कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के श्री एस.एस.अहलुवालिया के राज्य सभा से अवकाश प्राप्त करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one Member of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Shri S.S.Ahluwalia from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the member so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

12.06 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 34the Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance… (*Interruptions*)

The Standing Committee on Finance presented the 34th Report to the Lok Sabha on 30th June, 2011.

In the 34th Report, the Committee deliberated various issues relating to the Department of Revenue and made 15 recommendations where action was called on the part of the Government. *Inter-alia*, the recommendations relate to Systems and Data Management, Collection of taxes, Revenue foregone, Unaccounted Money, Refund cases and interest paid on refunds etc. The action taken replies on these recommendations were furnished to the Committee on 27th September, 2011.

The statement reflecting the current status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of Standing Committee on Finance is being laid on the Table of the House.

I would not like to take valuable time of the House to read out the contents of the Statement. I would request that these may be taken as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 6607/15/12.

12.07 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 30th of April, 2012, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government of Business carried over from today's Order Paper.
2. Discussion and voting on Demands for Grants (General) for 2012-13 under the control of the Ministry of:-
   (a) Urban Development
   (b) Home Affairs
   (c) Commerce and Industry
3. Submission to the vote of the House of Outstanding Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2012-13 at 6.00 p.m. on 03.05.2012.
4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation Bill (No. 3) Bill, 2012.
5. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:-
   (i) The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2011
   (ii) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.

MADAM SPEAKER: The submissions to the Business of the House by Members are to be treated as laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

1. देश के ऐसे राज्य विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश जहां विधान सभा तो है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधान परिषद का गठन किए जाने से संबंधित विषय ।
2. झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को एक निश्चित समय-सीमा के अंदर आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित विषय ।

*SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I request that the following matters to be included in the List of Business for the next week:-

1. In view of the enormous employment potentialities, the manufacturing sector ought to be given more importance which includes manufacturing policy frame work upgradation.
2. Given the growing concern of water availability, the Government should contemplate the national water policy.

* Laid on the Table

***डॉ. भोला सिंह (नवादा):** माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए जो सदन में कार्ययोजना प्रस्तुत की है उसमें मैं निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ने के लिए उपस्थापित करता हूं :-

1. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म सवं मर्म भूमि चंपारण (बिहार) में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग अविलंब कदम उठाए ।
2. बिहार के नवादा जिलान्तर्गत ढाढर, तिलैया नदियों पर डैम बनाकर भारत सरकार प्रस्तावित सिंचाई योजना का कार्यान्वयन अतिशीघ्र करे ।

***श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** निम्नलिखित लोक महत्व के मामले को अगले सप्ताह के कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं :-

1. महाराष्ट्र की राष्ट्रीय परियोजना इंदिरा सागर गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास तथा किसानों को तत्काल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लंबित धनराशि आवंटन तत्काल निर्मुक्त करें ।
2. महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर में केन्द्र सरकार स्वयं पहल कर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए ।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले सूची में शामिल किए जाने की व्यवस्था की जाए :-

1. सेन्ट्रल कोल फिल्ड लि. द्वारा किसी भी भूमि अधिग्रहण की नीति का पालन नहीं किया जा रहा है एवं भूमि अधिगृहित विस्थापितों को दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है ।
2. दामोदर वैली कारपोरशन द्वारा भी किसी भूमि अधिग्रहण की नीति का पालन नहीं किया जा रहा है एवं भूमि अधिगृहित विस्थापितों को दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है ।

अतः यह सभा आग्रह करती है कि इन विस्थापितों को इसके बदले नीतिसंगत मुआवजा/नौकरी दी जाए जिससे भविष्य में अन्य या स्वयं को दुबारा कल-कारखाने के विकास हेतु भूमि मुहैया हो सके ।

---

* Laid on the Table

***श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :-

1. मनरेगा योजना की सफलता और विफलता पर चर्चा हो ।
2. कृषि उत्पाद एवं औद्योगिक उत्पादों के मूल्य में संतुलन बनाए रखने तथा आयात-निर्यात नीति पर सदन में चर्चा हो ।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय जोड़े जाये ।

1. बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में उदेरा स्थान बराज सिंचाई परियोजना का अनुमोदन, यथाशीघ्र योजना आयोग से दिलाये जाने की आवश्यकता ।
2. बिहार राज्य के 33 जिलों में कालाजार की दवाई यथाशीघ्र भिजवाये जाने की आवश्यकता ।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ-

1. राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए समुचे राष्ट्र में यह एक चिंता का विषय हो गया है । प्रतिदिन मोटर वाहनो की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती स्पीड, अकुशल वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुये मोबाईल पर बाते करते रहना, शराब पीकर वाहन चलाना यातायात मार्ग निर्देशों की कमी, गलत तरीके से ओवरटेकिंग किये जाने के कारण, पैदल यात्रियों की गलतियों के कारण तथा वाहन चालक की लापरवाही ऐसे प्रमुख कारण रहे हौ जिनसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है । अतः सड़क दुर्घटनाओं के विषय की गंभीरता को देखते हुये इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जावें ।
2. देश के आजादी के पश्चात गैर सरकारी संगठनों की भूमिका समय-समय बदलती भी रही है, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का बयान भी 01 मार्च 2012 को प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि एनजीओ की जांच के इस दायरे में फोरेन कन्ट्रीब्यूशन एक्ट, 2010 का उल्लंघन करने वाले कई संगठन आ सकते हैं । ऐसी स्थिति में यह प्रकरण एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है, दूसरी ओर भारत के विकास और राज्य सरकारों द्वारा विशेष योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे विकास की रफ्तार को रोकने से जुड़ा हुआ भी हो सकता है । विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जावें ।

---

* Laid on the Table

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को समाविष्ट करने का निवेदन करता हूं ।

अहमदाबाद एवं गांधीनगर के बीच मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिये राज्य सरकार ने " मेगा क. लि. " स्थापति की है । इसी प्रोजेक्ट का खर्च 9000 रूपया का आकलन किया गया है ।

मेरा निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार द्वारा 25 % फीसदी प्रदान की जाय ।

* **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** कृपया अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के मोडासा रेलवे स्टेशन पर गुड्स रेक प्वाइंट सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाये ।
2. अहमदाबाद से उदयपुर के बीच स्वीकृत अमान परिवर्तन (ब्राडगेज) की योजनाओं को प्राथमिकता देकर तथा उसमें आवश्यक व्यय राशि को तुरंत जारी करके अमान परिवर्तन का कार्य तत्काल शुरू किया जाए ।

---

* Laid on the Table

12.08 hrs.

ADMINISTRATIVE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 2012*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the leave be granted to introduce a Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985."

The motion was adopted.

SHRI V. NARAYANASAMY: I introduce** the Bill.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Sharad Yadav.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12.
** Introduced with the recommendation of the President.

14.01 hrs.

The Lok Sabha reassembled at one minute past fourteen of the clock
(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदया, सुबह जो परिस्थिति थी, उससे हमें मन में बहुत तकलीफ और क्षोभ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक आबादी का, जो किसानों का मामला था, उसको जिस तरह से सुबह आधे घंटे तक इग्नोर किया गया और मैं लगातार खड़ा रहा, इस सदन में इस तरह का काम चल नहीं सकता है। सदन अध्यक्ष जी चलाती हैं और उनका मान-सम्मान हम लोगों ने कभी कम नहीं किया, बहुत तकलीफ रहती है, तब भी कम नहीं किया। मैं एक बात का आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे सदन में जितने मैम्बर हैं, उनकी जो तकलीफ है, जिस तरह से सड़कों पर अनाज है, उस मामले को उठाने नहीं दे रहे हैं, जबकि एक से एक मामले उठते रहते हैं। इसलिए आज पूरा सदन मौन रख कर और क्षोभ में, क्योंकि इस तरह से हम सदन में नहीं बैठ सकते हैं, आपको सदन में जो करना है कीजिए। हम इस सदन में आज अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कि सदन इस तरह से नहीं चलेगा और न ही चलने देंगे। हमें कुछ बोलना नहीं है।

इन्हीं बातों के साथ हम सदन का बायकॉट करना चाहते हैं, बहिर्गमन करना चाहते हैं।

14.03 hrs.

Shri Sharad Yadav, Shrimati Sushma Swaraj and some other hon. Members then left the House

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सभापति महोदया, माननीय शरद जी ने जो कहा है, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। यह पूरे सदन का मामला है। आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया गया था। उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में और आपके यहां राजस्थान में भी हो सकता है कि एफसीआई को बोरियां खरीद कर भेजना था। गेहूं पक कर खेतों से आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एफसीआई ने बोरियां खरीद कर नहीं भेजी हैं। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है कि कृषि मंत्री जी को यहां उत्तर देना चाहिए था, लेकिन आजाद जी को कागज पकड़ा दिया गया। ये ...

* जवाब दे रहे थे, इन्हें क्या मालूम कि बोरियां हैं या नहीं हैं। पूरे देश में यही हालत है।

सभापति महोदया : ये शब्द हटा दिया जाए।

---

* Not recorded.

श्री रेवती रमण सिंह :मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देश दें, प्रणब दादा और बंसल जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि तत्काल इसे गंभीरता से लेते हुए बारदाना भिजवाने का कष्ट करें, जिससे पूरे देश में गेहूं की खरीद हो सके।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, in the morning, we raised an important issue.

MADAM CHAIRMAN : There is no discussion going on now.

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, I want to raise the issue regarding the Home Minister.… (*Interruptions*) Since we are not allowed to raise the issue regarding the Home Minister who is involved in corruption, in protest, we are walking out.

<u>14.05 hrs</u>

At this stage, Dr. M. Thambidurai and some other hon. Members left the House

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

[*] Not recorded

14.06 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2012-13
Ministry of Health and Family Welfare- Contd.

MADAM CHAIRMAN: Now we will take up Demands for Grants pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

***श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** सरकार ने सामान्य बजट 2012-13 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों को सदन में विचार करने और पारित करने के लिए रखा है। देश में स्वास्थ्य सुविधा की सरकार द्वारा उपेक्षा करने से आम आदमी पीड़ित है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी नीति में बदलाव और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत डाक्टर, नर्स और विशेषज्ञों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित डाक्टर सेवा के लिए जाना पसंद नहीं करते। सरकार द्वारा एमबीबीएस के प्रशिक्षण पश्चात एक वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवारत रहने की अनिवार्यता से बुरा असर पड़ा है। इसके लिए आर्थिक दंड भर कर वे छुटकारा पाकर शहरों में सेवा देना अधिक पसंद करते हैं। इसके कारण ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों की कमी होकर वह चरमरा गई है। सरकार ने जो मेडिकल कालेज खोले और निजी क्षेत्रों को अनुमति दी, वह अधिकतर बड़े शहरों में है। इसलिए डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाते। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों, जनजाति आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कालेज और अस्पताल खोले जाने चाहिए। इससे डाक्टरों में ग्रामीण क्षेत्र में सेवा की भावना पैदा हो सकती है।

पिछले दिनों हंगामा सर्वेक्षण ने देश के 42 फीसदी बच्चे कुपोषित होने की बात कही, साथ ही महिलाओं में रक्ताल्पता की बात उजागर की। हमारे प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय शर्म की बात कह कर मामले की गंभीरता को टाल गये। यह राष्ट्रीय शर्म की नहीं सरकार के कर्म की बात है। लेकिन सरकार की इस संबंध में टिप्पणी घोर निराशा पैदा करती है। देश का बचपन कुपोषित होगा तो हम स्वस्थ देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं? इसका भी सरकार को विचार करना चाहिए। देश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण और महिलाओं में रक्ताल्पता को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम, अभियान चलाने की आवश्यकता है। महंगाई के कारण पोषक आहार की कमी को भी दूर करना पड़ेगा। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में चार मेडिकल कालेज के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं। चन्द्रपुर का नाम उसमें नहीं है। लेकिन चन्द्रपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ जनजातीय और नक्सल प्रभावित

---

* Speech was laid on the Table

क्षेत्र होने के कारण यहां पर स्वास्थ्य सुविधा की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता है। इसलिए चन्द्रपुर में मेडिकल कालेज बने, इसके लिए सरकार तत्काल कदम उठाये। इसी तरह दुर्गम, बीहड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच बढ़ाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों का उन्नयन कर वहां मेडिकल कालेज बनाने के लिए सरकार कदम उठाये। निजी क्षेत्रों पर स्वास्थ्य सुविधा की निर्भरता खत्म करने के लिए सरकार से इस पर अधिक निवेश करने का आह्वान करता हूं।

सरकार ने अब हर जिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए शुल्क लगाया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को तकलीफ होती है। बाहर से महंगी दवाइयां खरीदना उसके बूते से बाहर है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में सरकार के द्वारा मेडिकल स्टोर चलाकर उचित मूल्यों पर वहां दवाइयां उपलब्ध करा दे। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव का अनुपालन करवाने के लिए कदम उठाये। इससे नकली दवाइयों के व्यापार और दवाइयों की मुनाफाखोरी पर नकेल कस सकते हैं और गरीब लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध हो सकती हैं। सरकार की देश की धरोहर "आयुर्वेद" की ओर उपेक्षा दिखाई दे रही है। आज आयुर्वेद के क्षेत्र में चीन हमसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है। चीन ने आयुर्वेद को निर्यातक्षम व्यापार बनाया, लेकिन हम संभावना होते हुए भी पिछड़ गये हैं। हमारे यहां पारम्परिक तरीके से आयुर्वेद औषधियों के द्वारा उपचार होता है, यह कारगर भी है, लेकिन उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता को चिन्हित करके इसका उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इसी तरह मध्य भारत के सिकलेसेल बीमारी की भी उपेक्षा हो रही है । सिकलेसेल के निर्मूलन और रोकथाम के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसके उपचार की सर्वांगिक व्यवस्था और मुफ्त औषधियां, रक्त उपलब्ध कराने के साथ इसके अत्याधुनिक उपचार के लिए संशोधित परियोजना भी चलानी चाहिए। मति मंद के कारणा विकलांगता आती है। इससे परिवार में त्रासदी निर्माण होती है। मति मंदों को शिक्षा, आजीविका उपलब्ध कराने में कठिनाइयों को देखते हुए मति मंदो के उपचार को जिला स्तर पर उपलब्ध कराने तथा इसके अत्याधुनिक उपचार पद्धतियों को सर्वांगिक करने के लिए संशोधन परियोजना शुरू करने की आवश्यकता है।

सरकार ने एम्स के कार्यकलापों को सुव्यवस्थित करने के लिए डा0वेलीनाथन समिति गठित की थी, उसकी सिफारशों को स्वीकार कर सरकार को कारवाई करनी चाहिए। एम्स में आज सभी रोगों के साथ अतिविशिष्ठ रोगों का उपचार होता है। इसलिए एम्स हमारे स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डा0 वेलीनाथन समिति ने एम्स का महत्व बढ़ाने के लिए वहां पर रिसर्च डीन के अतिरिक्त पद के निर्माण की सिफारश की थी। यह महत्वपूर्ण सिफारश है। सरकार एम्स के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में संशोधन

कराने के लिए रिसर्च डीन की नियुक्ति करे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार को बहुत कुछ करना है। मैं अपने उक्त सुझावों पर अमल करने का अनुरोध करता हूं।

****SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI):** At the outset, I would like to state that India has been spending less than 2% of GDP on health and whereas nations much smaller in all terms spend more than what we do. There has been a long pending demand to increase the spending on health at least 2.5% of GDP. Therefore, the allocation provided in the budget is not in that direction and shattered the hope of the people.

The country has been witnessing vector borne diseases in many forms. Every year and in every season, the country loses its citizens due to the above diseases. We are not taking a permanent step to prevent these possible diseases.

Our hospitals are ill equipped and have shortage of adequate life saving drugs. In remote rural area the story is entirely different. The people have to walk or drive hours to reach a doctor or hospital. By the time he or she gets into the clinic or hospital, the condition deteriorate. While healthcare as an industry is being termed as a sunrise sector, public health is still a neglected area in both urban and rural areas. The allopathic doctor –population ratio at present stands at 1:1,722 according to the Medical Council of India. This is quite alarming. I do agree that the Governments in power had taken many measures to enforce doctors to conduct practice in rural areas. But I don't see any much progress in it. The doctors are still unwilling to go to rural areas depriving the poorer section of our society the much needed medical care. Therefore, there is an urgent need to look into it afresh with more incentives offer and working environment to the doctors who are willing to go to rural areas.

Another thing which I would like to mention here is pertaining to diseases like cancers of all forms, diabetics, heart ailments, etc. As per a report appeared in all the national newspapers there were more than 5.6 lakh deaths in 2010 due to cancer. Cancer is a disease which can be cured at the initial stage and one can avoid it also by changing his or her lifestyle. What we need right now is to pass on to the general public through a wide mass awareness campaign about cancer

* Speech was laid on the Table.

and its symptoms of growth, since early diagnosis will help to have a lease of life. Moreover, for the treatment of cancer, it involves a lot of money which poorer people cannot afford. Therefore, the government should make facilities for cancer treatment at all government run hospitals both under State as well as Central Government. Similarly, heart ailment has become a great risk in our society. We cannot measure the longevity of person with whom we interact or share. Such is the risk involved. Again in this case also treatment costs heavy which poorer section cannot afford. Now, the Hon'ble Prime Minister's National Relief Fund is the only solace for the poor family to go in for various medical treatments and this scheme is also quite popular in all parts of the country. But what the people have been complaining is that the fund released under this scheme, is quite insufficient to bear the expenditure. Therefore, there is a need to enhance the allocation of fund for various treatments under the Hon'ble Prime Minister's National Relief Fund. I knew that this is not a subject to be raised here, but it is very much connected with the subject which I am talking here.

As stated earlier, we need to create mass awareness among the masses about all life-risk diseases through print as well as electronic media. For the information of all assembled here, I would like to say that if the country is proud of having produced a record production of foodgrains, it is because of the mass awareness created through the print and electronic media for the farming community. Therefore, to protect the precious life of our citizens we should adopt the same method of mass communications.

Another thing which I would like to mention here is that there is an urgent need to modernize all the government hospitals in the country and should be equipped with modern equipments and devices and the hospitals should be made more hygienic and a special drive should be initiated. One more thing which I would like to mention over here is that today health sector has become a prospective business avenue for even persons not related to health sector. Many corporate houses have joined in the lead. Today, we can see many more private

hospitals in all major cities and towns across the country and you will not find anything in rural areas. So, their motives are to make money. It has been reported that the casualty ratio as compared to government hospitals, is quite high in private hospitals. Nobody knows why? But the reality is that these private hospitals, mostly run by corporate houses to make their balance sheet much stronger make the in patients weaker by delaying the treatment and ultimately making a victim of this malpractice. This is the reason why I said the casualty ratio is quite higher in corporate run private hospitals. They charge exorbitant rate from the patients and whereas they employ part-time inexperienced doctors who are already on the panel of several hospitals. The other paramedical staff of these private hospitals lack experience. What I accept about the private hospital is their top class building and cleanliness, nothing else. Here, I would like to say about one case. One patient in Fortis Hospital, Vasant Kunj died on 06.09.2009 on the bed in the presence of several doctors and the reason stated for his death was cardiac arrest. This itself shows how capable are they. Even they could not save a life of person even in their hospital. The reason for mentioning all these here is to impress upon the government to make a regulatory body to vouch the functioning of the private hospitals and to make them accountable. I had raised the same issue earlier as well and again I stress here to pay little attention to create a regulatory body to regulate the functioning of private hospitals as we cannot allow the private hospitals to become money minting place and a killing spot.

MADAM CHAIRMAN : Now, the House will take up Item no. 17. Shri Ghulam Nabi Azad.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड्स फार ग्रांट पर तकरीबन 27-28 वर्ष बाद सदन में चर्चा हो रही है। शायद इससे पहले अप्रैल 1985 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड्स फार ग्रांट पर चर्चा हुई थी। पिछले 26-27 सालों में स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या हुआ और कहां पहुंचा, यह कहना तो संभव है लेकिन विशेष रूप से पिछले सात सालों में यूपीए-1 और यूपीए-2 में क्या हुआ, मैं इसके बारे में कुछ संक्षेप में जिक्र करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सभी सदस्यों का, चाहे इधर के हों, विपक्ष के हों या रूलिंग पार्टी के हों, बहुत धन्यवाद करता हूं। तकरीबन 30 संसद सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

सभापति महोदया, मैं सबसे पहले नेशनल रूरल हैल्थ मिशन से अपनी बात शुरु करता हूं। मैं इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए के सभी साथियों और घटकों को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2005 में नेशनल रूरल हैल्थ मिशन शुरु हुआ। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन केंद्र सरकार, यूपीए सरकार ने महसूस किया कि 60 वर्षों में राज्यों में जितने डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, प्राइमरी हैल्थ सैंटर और सब-सैंटर बनने चाहिए थे, जिन्हें बनाने में राज्य सरकार को दिक्कतें आई थी और नहीं बना पाए थे, जितनी दवाइयां देनी चाहिए थी शायद नहीं दे पाए। यूपीए सरकार ने इसलिए स्टेट सब्जेक्ट होने के बाद भी निर्णय लिया कि केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को मदद दी जाए। वित्त मंत्री श्री प्रणब जी यहां मौजूद हैं। मैं प्लानिंग कमीशन और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कुछ वर्षों में शुरु में जितना पैसा दिया गया उसे इस्तेमाल करने में दिक्कत आई थी। मुझे खुशी है कि पिछले तीन साल यानी 2008-09, 2009-10, 2010-2011 से अब राज्य सरकारें पैसे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2008-09 में एक्सपेंडिचर 110 प्रतिशत हुआ, 2009-10 में 115 प्रतिशत और 2010-11 में 125 प्रतिशत हुआ। अब राज्य सरकारों ने सीख लिया है कि किस प्रकार पैसे का इस्तेमाल किया जाए।

महोदया, जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है। जैसा मैंने शुरु में कहा कि राज्य सरकारों के पास इतने साधन नहीं थे कि वे डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, प्राइमरी हैल्थ और सब-सैंटर्स बनाते। अब इस पैसे के तकरीबन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लैवल से लेकर प्राइमरी हैल्थ सैंटर तक बनाए गए हैं। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की मदद से 20250 अस्पताल बने। जिनको रेनोवेट किया गया या कमरों की संख्या बढ़ाई गई, जिसे अपग्रेडेशन कहते हैं, इनकी 18883 संख्या हुई। इसी तरह प्राइमरी हैल्थ सैंटर जो 24 घंटे खुले रहते

हैं केंद्र सरकार की मदद से 8250 बनाए गए। इन तमाम चीजों की निचले स्तर से लेकर ऊपर तक, गांव से लेकर ऊपर तक किस तरह से एक लड़ी जोड़ी जाए, एक गांव से लेकर केन्द्रीय सरकार तक जोड़ा जाए। केन्द्रीय सरकार ने एक नई स्कीम सोची कि किस तरह से हर गांव के बच्चे तक पहुंचा जाए और हर गांव की जो गर्भवती महिला है या शादी के बाद गर्भवती होने वाली है, उस तक कैसे पहुंचा जाए। आशा, जो एक महिला है, वह वहां बैठाई जाए। मुझे खुशी है कि हमारे पूरे देश में आज 8 लाख 61 हजार आशा वर्कर्स हैं। इनमें से सात लाख से ज्यादा को ट्रेनिंग दी गई है और 7 लाख 82 हजार को मुख्तलिफ बीमारियों के टैस्ट करने के लिए किट दिये गये हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली बैठाया गया है। हर चीज का काम करने के लिए उन्हें तनख्वाह तो नहीं दी जाती है, लेकिन जो भी वे काम करेंगी, उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप उनका मानदेय फिक्स कराइये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : यदि मानदेय फिक्स करेंगे तो दूसरी यूनियंस बनेंगी, यूनियनबाजी होगी और काम नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्हें रेट बहुत कम मिलता है, उनकी माली हालत ठीक नहीं है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप जानते हैं कि उस गांव के लैवल पर बहुत सारे हमारे काम करने वाले लोग हैं। वे काम करते हैं या नहीं करते हैं, उनका पता नहीं चलता है। लेकिन यदि इस तरह से काम करना है और यदि हम उन्हें इनसैन्टिव देंगे तो वे काम करेंगे, यदि तनख्वाह मिलेगी तो आप जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में तनख्वाह लेने के लिए सब बैठते हैं, यदि यहां भी पूरे देश में हम सबको लेकर इंसैन्टिवाइज होता तो जिस दिन काम करते, उस दिन हमें भत्ता मिलता और जिस दिन काम नहीं करते, उस दिन हमें कुछ नहीं मिलता तो वहां से लेकर सदन तक सब ठीक हो जाता। मेरे ख्याल में इनसैन्टिव बढ़ाये जाने की बात कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने फिक्स किया उस दिन से कोई काम नहीं होगा। वे कहेंगे कि अब तो महीने के बाद तनख्वाह मिलनी है, इसलिए अब काम करने की जरूरत क्या है।

श्री रेवती रमण सिंह : आप उनका इनसैन्टिव बढ़ा दीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप उसे फिक्स मत बोलिये, बल्कि इनसैन्टिव बढ़ाने की बात कीजिए। आपकी वह बात मैं मानता हूं।

इसी तरह से तकरीबन 30,420 रोगी कल्याण समितियों की स्थापना हुई और डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल के लिए एक अनटाइड फंड दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी वहां दवाईयां चाहिए, परदे नहीं हैं, कुर्सी नहीं हैं, इंजैक्शंस नहीं हैं और भी अन्य चीजें भी नहीं हैं। उसके

लिए यहां से हर जिला अस्पताल को पांच लाख रुपये दिये जाते हैं, सीएचसी को एक लाख रुपये दिये जाते हैं और प्राइमरी हैल्थ सैन्टर को एक लाख रुपये दिये जाते हैं और इस तरह से ये कई सौ करोड़ रुपये हो जाते हैं। इसी तरह से विलेज हैल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रीशन कमेटी बनाई गई हैं, इनकी तकरीबन पांच लाख की स्थापना हुई है और उसे भी दस हजार रुपये सालाना दिये जाते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह : कमेटियां कहां बनती हैं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जितना भी केन्द्रीय सरकार से पैसा जाता है, वह खाली इस स्कीम के अंदर नहीं जाता है, बल्कि जो इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं, उनमें भी जाता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है, इसके लिए हजारों, लाखों लोग चाहिए। मेरे ख्याल में अगले पांच साल में मैंने प्लानिंग कमीशन से भी जिक्र किया था कि इस स्कीम के लिए और अगली स्कीम के लिए जब तक कि एक मानीटरिंग सिस्टम डिस्ट्रिक्ट तहसील लैवल पर नहीं होगा तो हम सदन में बोलते रहेगें, अखबारों में बोलते रहेंगे, लेकिन निचले स्तर पर लोग उन स्कीमों से वंचित रहेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मैम्बर पार्लियामैन्ट साहेबान, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, ये तमाम डिटेल्स हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। उनके लिए हर गांव में जाना असंभव होगा, चूंकि कई हजार गांव हैं। लेकिन कम से कम वे अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। अपने एमएलएज़ की जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि इस तरह की जो कमेटियां हैं, क्या ये कमेटियां, चाहे वह रोगी कल्याण कमेटियां हों, जिनका मैंने उल्लेख किया कि वे तीस हजार से ज्यादा हैं या विलेज सैनीटेशन और न्यूट्रीशियन कमेटियां हैं, जिनकी संख्या पांच लाख है, चल रही हैं और जो उनको पैसा मिलता है, उसका उपयोग हो रहा है या दुरूपयोग हो रहा है या उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है।

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय मंत्री जी, मेरा एक सुझाव था कि जो एमपी विजिलेंस कमेटी है, जैसे बहुत से सेंट्रल कार्यों की वहां मानीटरिंग होती है, अगर इसको उसके अंडर में कर दें, तो इसकी मानीटरिंग की व्यवस्था भी हो जाएगी।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हम सभी को उसमें डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन एमपी साहिबान को उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : हम उसके लिए तैयार हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हम समय निकालने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हम करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया पहले मंत्री जी का रिप्लाई पूरा होने दीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसी तरह से मोबाइल यूनिट्स हैं, मोबाइल यूनिट्स भी गाड़ियों के दिए हैं। तकरीबन 442 डिस्ट्रिक्ट्स को 1,952 गाड़ियां दी गयी हैं और यह एक यूनिट एक से तीन गाड़ियों का है। ये गांवों में जाकर लोगों का इलाज करने के लिए हैं। एक बड़ी गाड़ी है, जो आधुनिक है, उसी गाड़ी में डायग्नोसिस हो सकता है, टेस्ट उसी गाड़ी में हो सकता है, छोटा-मोटा ट्रीटमेंट उसी में हो सकता है। ये गाड़ियां गांव में चली जाती हैं। एक गाड़ी में डाक्टर और बाकी चीजें होती है, उसमें सारे डायग्नोसिस के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और दूसरी गाड़ी में बड़े इक्विपमेंट्स और दवाइयां होती हैं और तीसरी गाड़ी में स्टाफ होता है। ये उन जगहों के लिए हैं जो दूर-दराज के इलाके हैं और गाड़ी जाकर उन्हीं गांवों में एक दिन एक गांव के लोगों का और दूसरे दिन दूसरे गांव में इलाज किया। लेकिन इसे भी देखने की जरूरत है कि ये कागजों में ही हैं या ये गाड़ियां वहां जाती हैं और इलाज करती हैं या नहीं करती हैं। इसी तरह से दो और किस्म की गाड़ियां नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में स्टेट्स को दी जाती हैं। एक है एडवांस इमरजेंसी एंबुलेंस और दूसरी एक साधारण एंबुलेंस सिस्टम है। ये दोनों मिलाकर 21 राज्यों में 14,500 इस तरह की एडवांस इमरजेंसी और बेसिक इमरजेंसी की एंबुलेंसेज राज्य सरकारों को दी गयी हैं।

महोदया, जहां तक मैटरनल हेल्थ का, मातृ मृत्यु दर का सवाल है, यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि हमारे देश में मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब से एनआरएचएम प्रोग्राम शुरू हो गया है, तब से उसमें कुछ फर्क आने लगा है। वर्ष 2002, वर्ष 2004 और वर्ष 2006 में यह संख्या 254 थी, यह घटकर अब वर्ष 2007-09 में 212 आ गयी है और हम आशा करते हैं कि अगले साल जो वर्ष 2010-2013 की रिपोर्ट आयेगी, उसमें यह संख्या 150 के आसपास होनी चाहिए। हमारा टारगेट 106 का है, डब्ल्यूएचओ का जो हमें वर्ष 2015 तक पूरा करना है। लेकिन किस तरह से यह मातृ मृत्यु दर कम हो जाये, उसके लिए पिछले सात साल में या पिछले दो साल में सरकार ने क्या प्रयास किया है? एक जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में सरकार ने शुरू की कि यदि अगर कोई गर्भवती महिला सरकार अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए जाये, जब वह अस्पताल में आयेगी, अगर वह गर्भवती महिला गांव की होगी तो बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल से घर वापस जाते समय उसे 1,500 रूपये दिये जायेंगे। अगर वह गर्भवती महिला शहर की होगी तो उसे 1,000 रूपये दिये जायेंगे क्योंकि उसे नजदीक से आना है। इसके लिए आशा को, 600 रूपये गांव वाली को और शहर वाली को 200 रूपये दिये जाते हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। पहले ही साल में तकरीबन साढ़े सात लाख गर्भवती महिलायें सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पहुंची। पिछले साल जब हमने इसकी समीक्षा की तो वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में यह संख्या पांच साल में साढ़े सात लाख से बढ़कर पिछले

साल एक करोड़ तेरह लाख तक पहुंच गयी। अब 1 करोड़ 13 लाख गर्भवती महिलाएँ प्रति वर्ष सरकारी अस्पतालों में अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आती हैं। उससे यह फायदा होता है कि अस्पताल में जब जन्म देती हैं तो कोई भी कंप्लीकेशन हो तो दोनों माँ-बच्चों की ज़िन्दगी बचाई जाती है जो कि घर में असंभव है।

महोदय, हमने देखा कि इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा असर पड़ा, इसलिए हमने 2011 में एक नयी स्कीम बनाई जिसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्योंकि पहले स्कीम खाली गर्भवती महिलाओं के लिए थी, बच्चों के लिए नहीं थी। अब हमने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बनाया और इसको श्रीमती सोनिया गाँधी ने पिछले साल हरियाणा में मेवात से शुरू किया था। इसमें और सुविधाएँ दीं कि जो भी गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में आएगी, उसको वह 1500 रुपये और 1000 रुपये तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर वह आएगी तो उसके आने और जाने का ट्रांसपोर्ट सरकार की तरफ से होगा। जब वह अस्पताल में आएगी तो उसके जितने भी टैस्ट और डाइग्नोसिज़ होंगे, वह मुफ्त होंगे, दवाएँ मुफ्त होंगी, खाना मुफ्त होगा और अगर सिज़ेरियन की ज़रूरत होगी तो सिज़ेरियन भी मुफ्त होगा। अगर खून देने की या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होगी तो वह भी मुफ्त होगा। अगर बच्चा बीमार पैदा हुआ तो उस बीमार बच्चे को ये तमाम खाना-पीना, खून देना एक महीने के लिए मुफ्त होगा और वापस जाते वक्त उसको फिर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के लिए पहले ही साल हमने राज्य सरकारों को सिर्फ इसी काम के लिए एडवांस में 1437 करोड़ रुपये दिये ताकि राज्य सरकार का कोई अस्पताल यह न कहे कि मेरे पास प्रावधान नहीं है, मुझे राज्य सरकार देगी या नहीं, मुझे सीएमओ देगा या नहीं, इसलिए हमने पिछले साल अप्रैल के महीने में पैसा लिया और उसके तीन महीने के बाद स्कीम लॉन्च की ताकि पैसा हर अस्पताल तक पहुँच जाए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से, देशवासियों से तथा उन गर्भवती महिलाओं से निवेदन है कि वे सरकारी अस्पतालों में जाएँ और इन सुविधाओं का उपयोग कर इनसे फायदा उठाएँ।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग): ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैसे फ्री है? ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : ब्लड ट्रांस्फ्यूज़न भी फ्री होगा। ब्लड डोनेशन के पैसे नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में उसके लिए पैसे लेते हैं।

इसी तरह से एक नयी स्कीम थी माँ और बच्चे, दोनों को बचाने के लिए। एक स्कीम तो पहले से ही थी 'आशा' के ज़रिये, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की तीन बार जाँच करती थी और बच्चे की भी एक बार जाँच करती थी। लेकिन यह वास्तव में होता है या नहीं, जैसे हमारे सीनियर सदस्य ने बताया कि हमने यहाँ तो लिखकर दे दिया कि गर्भवती महिलाओ को '*आशा*' तीन बार देखेगी, पहले

गर्भवती होने के तीन महीने के बाद, फिर छः महीने बाद और फिर नौ महीने के बाद। फिर बच्चे का जन्म होने के बाद उसको देखेगी। लेकिन यह वास्तव में होता है या नहीं, यह जानकारी हमारे पास नहीं थी और गलत रिपोर्टिंग आती थी। इसी तरह से यहाँ केन्द्रीय सरकार से हम लाखों-करोड़ों बच्चों के लिए अलग-अलग बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन देते थे। वे वैक्सीन भी लगते हैं या नहीं, सिर्फ राज्य सरकारों से आँकड़े आते थे कि 80 प्रतिशत हुआ, 90 प्रतिशत हुआ, लेकिन किसी का कोई नाम पता नहीं था। हमने दो सालों में महसूस किया कि अगर 80 और 90 प्रतिशत टीका लगता तो इतने बच्चों की मरने की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने अभी डेढ़ साल से एक नया सिस्टम किया है - *मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम।* उसका मतलब है कि हर गर्भवती महिला, जिसकी आशा कार्यकर्ता द्वारा तीन दफा जांच करनी होती है, उसका एड्रेस, टेलीफोन और उसका नाम हमें भेजा जाना चाहिए। जिस बच्चे को यह टीका लगना होता है, उस बच्चे के माता-पिता का नाम, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और अगर टेलीफोन या मोबाइल उनके घर में नहीं होगा तो हमसाये का होगा। यदि हमसाया का नहीं होगा तो दूसरे किसी नज़दीकी का होगा। आज देश में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां घर में न हो या हमसाये के पास भी न हो। पहले राज्य सरकार नहीं चाहती थी। लेकिन हमने कहा कि हम इसके बगैर स्वीकार नहीं करेंगे, कोई वैक्सीन नहीं देंगे और मुझे खुशी है कि पिछले छः महीने से, बीच में एकदम गिर गया था, लेकिन अब जो आंकड़े आते हैं, वह बिलकुल ठीक देने पड़ते हैं और हमने अपनी मिनीस्टरी में बीपीओ सैटअप किया है, जिसमें बीस लड़के और लड़कियां काम करती हैं। देश भर से हमारे पास हर रोज़ टेलीफोन आते हैं कि आज इतनी गर्भवती महिलाओं का टेस्ट हुआ या इतने बच्चों को टीका लगा। उस बीपीओ से हमारे लड़के और लड़कियां उनको टेलीफोन करते हैं। इससे पता चलता है कि कहां से गलत आया और कहां से ठीक आ रहा है। अभी भी बहुत गलत आ रहे हैं। लेकिन एक साल पहले जितने गलत आंकड़े एक साल पहले आ रहे थे, उनमें आहिस्ता-आहिस्ता छः महीने में सुधार हुआ है और अब बहुत हद तक सुधार हुआ है और मुझे आशा है कि आने वाले एक साल में यह स्ट्रीम लाइन हो जाएगा। इससे हमारे देश में नवजात शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी।

महोदया, नवजात शिशु मृत्यु दर के मामले में हमारे देश का रिकार्ड बहुत खराब रहा है। कल हमारे साथियों ने बताया था कि किस तरह से हम अपने हमसाया देशों से भी पीछे हैं और यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है। आज भी तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं हर साल गर्भवती होती हैं। लेकिन पैदा होने के एक हफ्ते में उनमें से 6 लाख 70 हजार बच्चे मर जाते हैं। 26 दिन में 8 लाख 80 हजार बच्चों की मौत हो जाती है। एक साल में 12 लाख 50 हजार बच्चों की मौत हो जाती है। पांच साल के अंदर 15 लाख 80 हजार बच्चों की मौत हो जाती है। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए हमने इतने कदम

उठाए हैं ताकि बच्चों को हर टीका लग सके और उसकी मां अस्पताल में आ जाए, क्योंकि घर में मां भी मर सकती है और बच्चा भी मर सकता है। सरकारी अस्पताल में मां और बच्चे को बचाया जा सकता है। इन कार्यक्रमों को शुरू करने से शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर 58 थी, जो वर्ष 2010 में कम होकर 47 पर पहुंच गई। इसमें 11 नंबर का फर्क पड़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने पिछले साल जो स्कीम शुरू की है, जिसमें महिला को अस्पताल में सुविधा दी जाएगी, अगर उसका ईमानदारी से सभी लोग इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगले दो साल में बहुत फर्क पड़ जाएगा। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हमने दो साल में और भी नये क़दम उठाए हैं। नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू अलग बनाए गए हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल्स में सैटअप किया गया है। इस वक्त 374 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल्स में नवजात शिशुओं के सैंटर्स स्थापित किए गए हैं। इसी तरह से, नवज़ात शिशुओं के लिए तक़रीबन 1638 यूनिट्स सी.एच.सीज में बनाए गए हैं। जहां बच्चे पैदा होते हैं, उसी में तक़रीबन 11432 न्यू बॉर्न कॉर्नर्स बनाए गए हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ठंढ़ से और ऑक्सीजन की वज़ह से मर जाते हैं। इसलिए जो बच्चा जन्म लेगा, वहीं उनके लिए एक छोटा कॉर्नर बना दिया जाएगा। वहां एक यूनिट सेट-अप होगा। ये सब केन्द्रीय सरकार की तरफ से होगा।

श्री रेवती रमण सिंह : क्या यह आई.सी.यू. में होगा?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : नहीं, यह तो जहां भी बच्चा जन्म लेगा, वहीं पर होगा। यह एक तरह का बक्सा है। बच्चे को गर्म रखने की व्यवस्था भी उसी में है। इसमें ऑक्सीजन देने के लिए भी है। वह उसी हेल्थ यूनिट में एक छोटे-से बक्से जैसा होगा।

सभापति महोदया : माननीय सदस्य, आप बाद में बोलेंगे। आपकी सभी बातों का जवाब आएगा। मंत्री महोदय, कृपया आसन को संबोधित कीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, इसी तरह से नवज़ात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। नवज़ात शिशुओं की सुरक्षा किस तरह से की जाए और नवज़ात शिशु को कब ऑक्सीजन की जरूरत है, यह बहुत-से डॉक्टरों को मालूम नहीं है। इसके लिए दो साल पहले एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी दो सालों में 66,981 डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को ट्रेनिंग दी गयी है।

कुपोषण के बारे में यहां चर्चा हुई। यह भी शर्म की बात है कि आज इक्कीसवीं शताब्दी में बच्चे कुपोषण की वज़ह से मरते हैं। कुपोषण की वज़ह से बीमार होने वालों के लिए एक सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल पर 657 यूनिट्स तैयार किए जाते हैं जहां बच्चों का मुफ्त इलाज़ होता है और उनको एक स्पेशल खुराक़ दी जाती है जिसमें प्रोटीन होता है। लेकिन, हमारे मंत्रालय का काम है प्रोग्राम

बनाना और पैसे देना और राज्यों का काम है इसे लागू करना। सांसदों और विधायकों का काम है जागते रहना व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक को सोने न देना। मीडिया का काम है सांसदों को भी सोने न देना और यह देखना कि क्या वे अपनी-अपनी कंस्टीट्यून्सीज में इन तमाम चीज़ों की जांच-पड़ताल करते हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें वास्तव में तब लागू हो जाएंगी जब हर स्तर पर जनता भी जागती रहेगी। जिला परिषद्, पंचायत समिति से लेकर संसद के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो मीडिया है, अगर हम सभी जागते रहेंगे तब इन स्कीमों का, इन पैसों का लाभ हो सकता है। मैं यहां बैठ कर यह नहीं कह सकता कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से हमने पैसे दिए, सुविधाएं प्राप्त कराई, ट्रेनिंग दिए, अस्पताल बने तो सब कुछ हो गया। जैसे बाकी दुनिया के देश इस बारे में जागरूक रहते हैं वैसे ही हमारे देश को भी जागरूक रहना होगा।

बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया कि जिनकी वज़ह से हमारे देश में शिशुओं की मृत्यु हो रही हैं। इसमें पोलियो एक बड़ी बीमारी है। मैं आज पूरे सदन को और सदन के द्वारा पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि पहली दफा आज पिछले पन्द्रह सालों से हमारे देश में एक भी नया पोलियो का केस नहीं आया है। यह देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। लेकिन, इसके साथ-साथ हमें चौकन्ना रहने की भी जरूरत है क्योंकि अगर तीन साल तक लगातार एक भी केस नहीं आया तब सरकारी तौर पर हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। वर्ष 1978 में हमारे देश में पोलियो केसेज दो लाख थे। वर्ष 2009 में जब यूपीए-टू बनी और मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, उस वक्त इनकी संख्या 741 थी। सन् 2010 में यह संख्या 42, सन् 2011 में एक और सन् 2000 में शून्य तक पहुंच गई। अभी तक यह संख्या शून्य ही चल रही है, हम आशा करेंगे कि आगे भी शून्य ही रहेगी।

सभापति महोदया, मुझे यह बात कहते हुए बहुत खुशी होती है कि 24 फरवरी, 2012 को वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन ने भारत को दुनिया की उस सूची से निकाल दिया, जिन देशों में पोलियो होता था। कल ही युनाइटेड नेशन के सैक्रेट्री जनरल हमारे मंत्रालय में चर्चा करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है और मंत्रालय को भी बधाई दी है। रूटीन इम्युनाइजेशन के बारे में एक बहुत बड़ा कदम उठा है, पहले बहुत सारे वेक्सीन दिए जाते थे, लेकिन एक बड़ा कदम पिछले साल उठा, जो कि बाकी देशों में था - पेंटावेलेंट वेक्सीन। इसमें यह है कि पांच वेक्सिनों को मिला कर सिर्फ एक शॉट देना। अमुमन बच्चे की जो माता होती है, वह छोटे बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाने देती। वह कहती है कि मेरा छोटा बच्चा है, इसे इंजेक्शन मत लगाइए। अगर वह इंजेक्शन लगवाती भी है तो बहुत सारे मिस होते हैं। पहले नौ शॉट देने पड़ते थे, लेकिन पिछले साल से ट्रॉयल के तौर पर दो राज्यों में हमने इसे शुरू किया - पेंटावेलेंट वेक्सीन, इसमें अब नौ टीकों की बजाए तीन ही टीकें लगेंगे, यह बहुत आसान काम है। पिछले

साल दो राज्यों में यह काम किया और इस साल हम छ: और राज्यों में इसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जहां तक जापानी इन्सेफ्लाइटिस का सवाल है, 112 जिलों में 15 राज्यों में ये वेक्सीन दिए जाते थे, इस साल हम 62 और नये जिले दिल्ली, पंजाब, झारखंड और मेघालय के इसमें इन्क्लुड कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग, ये तमाम चीजें जितनी हम बताते हैं। इनके कार्यक्रम किसी काम के नहीं हैं, जब तक हमारी आबादी नियंत्रण में नहीं रहेगी, चाहे प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस मिनिस्टर कितना भी बजट दे दें, स्वास्थ्य मंत्रालय कितनी ही स्कीम्स बनाएं या हम कितनी ही सड़कें, योजनाएं, बिजली एवं पन-प्रोजेक्ट बनाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा, जब तक आबादी कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे हिस्से में विश्व की सिर्फ ढाई प्रतिशत जमीन आई है, लेकिन हमारे हिस्से में विश्व की साढ़े 17प्रतिशत आबादी आई है। इसका मतलब है कि जो घर ढाई लोगों के लिए बनाया गया था, उसमें साढ़े 17 लोग बस रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर जमीन, पानी, अनाज एवं खेतों पर है। इसके लिए केवल स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं, बल्कि पूरे देश को यह कॉल लेना होगा और इसके लिए बगैर किसी मज़हब, धर्म, जाति और प्रांत के सब लोगों को मिल कर काम करना होगा।

मुझे खुशी है कि दस सालों में इसमें कुछ फर्क पड़ा है। सन् 1991 के मुकाबले में सन् 2001 और सन् 2011 में बहुत फर्क पड़ गया है, आबादी कम हो गई है। हम चाहते हैं कि यह काम इसी तरह से आगे बढ़े। इसके लिए हमने बाकी चीजों के अलावा एक नयी स्कीम शुरू की है और वह यह है कि जो कंट्रासेप्टीज़ है, वह धर-घर, गांव-गांव में पहुंच जाएं। हम कोई कानून के जरिए, जोर-जबरदस्ती से कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन आज की 21वीं शताब्दी में पुरुषों और औरतों के इस्तेमाल की वे तमाम चीजें हैं, जिससे बच्चा देर से पैदा हो सकता है और कम बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन ये चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पातीं। इन चीजों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं। हमने 235 ऐसे जिले चुन लिए हैं, जहां सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं।या जहां ज्यादा पोपुलेशन है, थिकली पोपुलेटिड एरिया है, उसमें हमने औरतों और मर्दों के लिए जो काउंटरसैप्टिव्ज़ हैं, जो रोकथाम की चीजें हैं, वे आशा के जरिये भेजीं और यहां से हमने गांवों तक पहुंचाईं। उनके जरिये वह इस्तेमाल करनी होंगी। आशा को भी इसके लिए हमने इंसेंटिव दिया है। मैं अपने एम.पी. साहेबान से भी गुजारिश करूंगा कि यदि अपनी कांस्टीट्वेंसी में जायें और सभाएं करें तो इसका उल्लेख करें कि आज आपको घर-घर में आशा के द्वारा वे तमाम चीजें मुफ्त सुविधा के रूप में प्रदान की जाती हैं, उनका इस्तेमाल करें।

मैडम, बहुत सारी बीमारियां हैं।...(व्यवधान) अभी 3.30 बजे तक खत्म करना है? मैं सोचता हूं कि 27 साल के बाद आप चर्चा कर रहे हो तो एक-एक लाइन में एक-एक चीज़ बताऊंगा...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : जरा इंसेफ्लाइटिस पर आपने जो किया, उसमें कुछ बता दीजिए।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: ठीक है, अभी बताता हूं। इंसेफ्लाइटिस की समस्या बहुत है। विशेष रूप से गोरखपुर, हमारे एम.पी. साहेबान के एरिया में और पूरे पूर्वांचल में यह समस्या है और वहां इससे सभी पीड़ित हैं। मुझे खुद वहां जाने का अवसर मिला था, जो हमारे पहले हैल्थ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, वे भी गये थे, आफिसर्स को हमने कई दर्जनों दफा भेजा, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे, मैं उन तमाम चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी विजिट के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राज्य सरकार अकेले अगर इससे जूझना चाहेगी तो शायद यह सम्भव नहीं होगा, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसमें हमारी केन्द्रीय सरकार के इण्टरफियरेंस की जरूरत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया और उस जी.ओएम. की तकरीबन 5-6 मीटिंग हुईं। उसके बाद हमने रिपोर्ट पेश की है और वह रिपोर्ट किसी वक्त भी कैबिनेट में आएगी और मुझे उम्मीद है कि हमारे यहां फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उसमें जो हमने सिफारिशात की हैं, उसको काबू करने में वे हमारी मदद करेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया बीच में क्वश्चंस नहीं पूछें, अभी जीरो ऑवर भी है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं यह नहीं चाहता कि जब तक यह कैबिनेट से एप्रूव नहीं होती है, क्या-क्या सुविधाएं हैं, वह यहां कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उसमें कितना पैसा होगा और क्या-क्या होगा। उसमें बहुत एडवांस तक हमने चीजों को लिया है। मैं आप सब का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत जोर से इसे उठाया।

अभी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनको पहले, प्री एन.आर.एच.एम. अलग-अलग देखा जाता था, लेकिन अब एन.आर.एच.एम. में उनको सबस्यूम किया गया है, उनको जोड़ दिया है और उन बीमारियों का भी अब इलाज होता है। जहां तक मलेरिया का सवाल है, यह हमारे लिए अभी भी बड़ी चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदया: पाल साहब, प्लीज़ बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल : उसके लिए तो हम बधाई देते हैं, आपने उत्तर प्रदेश में एन.आर.एच.एम. में 7,645 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उसमें से पांच हजार करोड़ रुपये की लूट हो गई।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: वह क्वश्चन ऑवर में उठायें। स्पेसिफिक इंडीविजुअल केसेज़ क्वश्चन ऑवर में उठायें। मैं आज उस क्वश्चन के लिए तैयार था, आज वह मेरी सप्लीमेंटरी लिस्ट में था, लेकिन आप लोगों ने उसे नहीं उठाया। वह क्वश्चन आया भी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं।

इसमें हमने क्या इनीशिएटिव्ज़ लिये हैं, बहुत नया जो दो साल पहले हुआ है, पहले से दो किस्म की हमारे देश में मलेरिया की बीमारियां हैं, डिसीज़ हैं, प्लाज़मोडियम फैल्सीफोरम और प्लाज़मोडियम वाइवैक्स। प्लाज़मोडियम फैल्सीफोरम की वजह से 50 फीसदी जो बीमारियां फैलती हैं, वायरस फैलता है, उसके लिए पहले लैबोरेट्री में जाना पड़ता था, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हैल्थ सैण्टर में जाना पड़ता था, लेकिन 2009 में एक नया किट शुरू किया गया, जो किट आशाओं को दिया गया। 7.5 लाख आशाओं को, जिनको किट दिया गया है, उनके पास यह किट भी है, वे वहीं टैस्ट करती हैं और वहीं घर में ही दवाई देती हैं, अब किसी को मलेरिया का टैस्ट कराने के लिए प्लाज़मोडियम फैल्सीफोरम, जो 50 फीसदी मर्ज की दवाई है, उसको घर से बाहर नहीं आना पड़ता है। केंद्रीय सरकार की तरफ से दवाई भी मुफ्त है और किट भी मुफ्त है। दूसरा अलबत्ता एक और प्लाज्मोडियम वाईवैक्स है, उसके लिए डिस्पेंसरी में या जहां भी स्लाइड आशा बनाती है, लेकिन लेबोरेट्री में भेजना पड़ता है या जहां भी मशीन है, जो इसको टेस्ट करती है। आपको यह जानकार खुशी होगी कि हम बाईवैलेंट टेस्टिंग किट इस साल खरीदेंगे, जिसमें दोनों वायरसेज का प्लाज्मोडियम वाईवैक्स का भी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम का भी आशा ही वहीं टेस्ट करेगी और वहीं दवाई देगी। यह एक नयी स्कीम है। मैं आपके ध्यान में इसे लाना चाहता हूं।

इसी तरह से जहां तक मच्छरदानियों का सवाल है, वह पहले से डिस्ट्रीब्यूट होती थीं, लेकिन तीन साल पहले बाहर की मदद से, एक्स्टर्नल एजेंसीज की मदद से हमको एक नयी इमदाद मिल रही है, जिसमें नयी मच्छरदानियां बनी हैं। यह सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं करती है, अगर मच्छर मच्छरदानियों को छू ले, तो वह मर जाते हैं। इस तरह की मच्छरदानियां दो साल से हमने, जहां सबसे ज्यादा मच्छर वाले राज्य और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां हमने इसे शुरू किया है। इसमें तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख मच्छरदानियां पहले दी गयी हैं और इस दफा दस लाख उसमें और हम ऐड करेंगे।

14.47 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

इसी तरह से कालाजार है, पिछले तीन साल में आशा को कालाजार का टेस्ट करने के लिए किट दिया गया है, जो वहीं टेस्ट करके वहीं दवाई देती है। टेस्ट करने के लिए भी और दवाई के लिए भी केंद्रीय सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है और न सिर्फ केंद्रीय सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, बल्कि जो मरीज सरकारी अस्पताल में कालाजार के इलाज के लिए जाएगा, उसको फ्री खाना भी दिया जाता है और उसको पचास रूपए भी दिए जाते हैं। अगर कोई मजदूरी करने वाला है, काम करने वाला है,

उसे वेजेज भी दिए जाते हैं। इसी तरह से डेंगू के लिए जो सर्विलेंस मेंटीनेंस, सर्विलेंस हास्पिटल्स थे, उनकी संख्या पिछले दो-तीन सालों में 110 से बढ़ाकर 311 कर दी गयी है। चिकनगुनिया के लिए भी इसी तरह से सर्विलेंस हास्पिटल्स की संख्या 110 से बढ़ाकर 311 पिछले दो सालों में की गयी है।

ट्यूबरकुलोसिस में बहुत अच्छा सराहनीय काम हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ बीमारियों के लिए एक टार्गेट निर्धारित किया है। वर्ष 2015 तक हमारा जो टार्गेट था ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट करने का कि कितने प्रतिशत ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करते हैं, हमें 85 प्रतिशत टेस्ट करने का टार्गेट दिया गया। हमें खुशी है कि हमने कई साल पहले 85 से बढ़ाकर 88 परसेंट टार्गेट आलरेडी एचीव कर लिया है, तकरीबन छः साल पहले ही इसे एचीव कर लिया। इसी तरह से क्योर रेट है, जिनका इलाज करना है, उसका टार्गेट सत्तर प्रतिशत था, वह हमने पहले ही सत्तर प्रतिशत के बजाय बहत्तर परसेंट करके टार्गेट पूरा कर लिया है। यह टार्गेट एचीव करना कोई आसान काम नहीं था।

ट्यूबरकुलोसिस के साथ एक जो नयी बीमारी आयी है, मल्टी ड्रग रजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में यहां शायद किसी ने चर्चा नहीं की, लेकिन बाहर पेपर्स में, मैगजींस में, टेलीविजन में चर्चा होती है। इसके लिए हमने पिछले एक-दो साल में बहत काम किया है, ताकि मल्टी ड्रग रजिस्टेंट न हो। 28 लैब्स बनायी हैं पब्लिक सेक्टर में ओर नौ प्राइवेट सेक्टर में और एक साल के अंदर 15 और नयी लैब्स बनानी हैं। 43 नयी लैब्स एक्रॉस दी कंट्री दो साल के अंदर, जैसा मैंने कहा कि 28 और 9 तो आलरेडी बन गयी हैं, 15 और नयी बनानी हैं, जहां ये मल्टी ड्रग रजिस्टेंट टीबी का टेस्ट हो जाए। इसी तरह से अभी सात हजार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी केसेज इन्शिएट किए हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। हमारे एमपी साहब ने कहा कि कई राज्यों में एनआरएचम में बहुत गड़बड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो साइज के हिसाब से गड़बड़ हुआ है लेकिन कई राज्यों में अपने-अपने साइज के हिसाब से गड़बड़ हो रहा है। आगे इसमें गड़बड़ न हो क्योंकि केन्द्र सरकार ने पहले सिर्फ एलेवेन्थ फाइव इयर प्लान में एनआरएचएम शुरू किया था लेकिन यूपीए की लीडरशीप को मैं बधाई देता हूं कि कल ही कैबिनेट ने इसे पांच साल और आगे बढ़ाने के लिए मंजूर किया है। आगे जो पांच साल होगा वह पिछले सात साल की तरह नहीं होगा। अब हम बहुत बेल्ट कसेंगे, बहुत टाइट करेंगे और हर एक पैसे का जवाब हर एक राज्य सरकार और हर एक व्यक्ति को देना होगा। उसके लिए सीएजी ऑडिट रिपोर्ट होगी। मिनिस्ट्री ने सीएजी से रिक्वेस्ट की थी कि वह ऑडिट शुरू करे। सीएजी ने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे, संभव हो तो सीएजी पिछला भी ऑडिट करें और आगे भी ऑडिट करे। इसी तरह से स्टैचुटोरी ऑडिट भी हो जाए। यह दो साल से शुरू किया है। कन्करन्ट ऑडिट भी दो साल से शुरू हुआ है। मॉडल एकाउंटिंग हैंड बुक्स पिछले साल से शुरू हो गई है। रिटेल ऑपरेशनल गाइड लाइन्स पिछले साल से शुरू हो गई है।

ई-ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ई-बैंकिंग, गाइडलाइन्स एण्ड एडवाइजरिज पिछले साल से शुरू हो गए हैं। जब मैं पिछले साल कहता हूं तो कुछ दिसम्बर में है और कुछ नवम्बर में है। इस का मतलब है कि कोई तीन महीने, चार महीने या कोई पांच महीने पुरानी स्कीम है। इसमें अभी और समय लगेगा।

मेडिकल एजुकैशन, इसके बारे में यहां चर्चा हुई। हमें डाक्टरों की बहुत कमी है। इसके लिए हमने पिछले तीन साल में बहुत कदम उठाए हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ...(व्यवधान) अगर मैं विस्तार से बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पहले कभी भी सिर्फ इतने थोड़े समय में चालीस मेडिकल कॉलेज दो साल के अंदर में नहीं बने हैं। पहले कभी भी तीन साल के अंदर आठ हजार एक सौ सरसठ एमबीबीएस सीटें नहीं बढ़ी हैं। पिछले बासठ सालों में सिर्फ तेरह हजार पीजी की सीटें बढ़ी थीं लेकिन तीन साल में नौ हजार नौ सौ इक्कावन सीटें बढ़ गईं। तीन साल में तकरीबन पचासी प्रतिशत इन्क्रिज हुआ है। इसके लिए हमने कई कदम उठाए। हमनें फैकल्टी की उम्र बढ़ा ली उसको 58 साल से 70 साल कर ली। उसके लिए मेडिकल कॉलेज सेट अप करने थे। हमने उनकी जमीन में परिवर्तन लाया। वह कम कर दी। शहरों में दस एकड़ कर दी। बैकवर्ड एरियाज में बीस एकड़ की और वह बीस एकड़ भी एक जगह की बजाय दो जगह की। बहुत सारी पीजी की सीटे इसलिए बढ़ी की हमारे देश में एक प्रोफेसर सिर्फ एक पीजी स्टूडेन्ट को पढ़ाता था। विदेश में एक प्रोफेसर या एसोशिएट प्रोफेसर दो या तीन पीजी वालों को पढ़ाता था। हमने दो साल पहले यहां भी लागू किया कि एक प्रोफेसर और एसोशिएट प्रोफेसर दो पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो उनकी संख्या एकदम बढ़ गई।

इस साल हमने महसूस किया कि कैंसर जिस तरह से देश में फैल रहा है उसमें डाक्टरों की कमी है उसमें हमने वन ईच टू थ्री किया। एक प्रोफेसर और एक एसोशिएट प्रोफेसर तीन पीजी वालों को पढ़ाएगा जो कैंसर से जुड़ी पीजी सीट्स हैं। इन सब की वजह से ये तमाम चीजें आईं। नर्सिंग स्कूल, हमारे पास नर्सेज़ की बहुत कमी है। उसमें पैसा कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए हम रिफार्म्स लाए। जितनी जमीन की जरूरत थी, उसे कम कर दिया। फैकल्टी की कमी थी, उसे कम किया। फैकल्टी की नर्सों की एज 70 साल बढ़ा दी। इसके साथ ही तमाम बैकवर्ड एरियाज़ जैसे सैंट्रल इंडिया, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओड़िशा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि हैं। साउथ इंडिया और वैस्टर्न इंडिया में डाक्टरों और नर्सों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 80 प्रतिशत से ज्यादा मेडिकल कालेज, नर्सिंग और पैरा-मैडिक्स सदर्न इंडिया और वैस्टर्न इंडिया में हैं। लेकिन सिर्फ प्राइवेट सैक्टर में 15 से 20 प्रतिशत, दो-तिहाई देश में इनकी संख्या है। इसलिए हमने शायद पहली बार सरकारी सैक्टर में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 269 नर्सिंग स्कूल और एएनएम स्कूल इन बैकवर्ड एरियाज़ को अपने खर्चे से दिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि दो साल में राज्य सरकारों को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं हुआ।

कैंसर के बारे में यहां बहुत चर्चा हुई। हमारे यहां तकरीबन 11 लाख नए केसेज़ हर साल आते हैं, तकरीबन 5 लाख मौतें हर साल कैंसर से होती हैं। यह रजिस्टर्ड है, लेकिन हकीकत यह है कि गांवों में ऐसे कितने लोग होंगे...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी को पहले कनक्लूड करने दीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : तीन नई बीमारियों के लिए वर्ल्ड हैल्थ असैम्बली में वर्ष 2009 में यह महसूस किया गया कि नान-कम्युनिकेबल डिज़ीजेस जैसे डायबिटिज़, हाइपर्टैंशन, कैंसर, दिल की बीमारियां (कार्डियो वसकुलर डिजीजेस) और स्ट्रोक, पूरे विश्व में तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत लोग इन्हीं नान-कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से मरते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि आप इसकी तैयारी कीजिए। भारत को बताया गया कि नान-कम्युनिकेबल डिजीजेस का सबसे ज्यादा असर भारत पर लाइफ स्टाइल, खाने के तरीके और लोक संख्या की वजह से पड़ने वाला है। इसका ध्यान युनाइटेड नेशंस की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया। यही वजह है कि पिछले साल सितम्बर के महीने में युनाइटेड नेशंस ने दो दिन का स्पेशल सैशन बुलाया, जिसमें विश्व के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि हाइपर्टैंशन, कैंसर और दिल की बीमारियों के बारे में यह स्थिति है। इसलिए अपने-अपने देशों में जाकर आप इसकी तैयारी अभी से कर लीजिए, वर्ना वर्ष 2020 और 2030 के बीच कैंसर, डायबिटिज और हार्ट अटैक की हालत इतनी भयंकर होने वाली होगी कि इससे जूझना बहुत मुश्किल होगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि शायद विश्व में हम पहले देश थे जिसने युनाइटेड नेशंस में जाने से पहले ही अपनी स्कीम लॉच की, बनाई, उसमें पैसा रखा और हमने एक सौ जिले पॉयलट प्रोजैक्ट के तौर पर लिए। इन एक सौ जिलों में हमें तीस साल से ऊपर के लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए तकरीबन 15 करोड़ लोगों का डायबिटिज टैस्ट करना है। उन्हें ग्लूकोमीटर के लिए कहीं नहीं जाना होगा, वहीं पास में ही ग्लूकोमीटर, सुई होगी। राज्य सरकारों को पिछले साल स्ट्रिप खरीदकर दे दी गई हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कैंसर के टैस्ट, इक्विपमैंट और ह्यूमन रिसोर्स, डाक्टर्स, टैक्नीशियन्स के लिए हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से न सिर्फ टैस्टिंग के लिए बल्कि कीमोथैरेपी के लिए पैसा दिया है।

15.00 hrs.

एक-एक अस्पताल में सौ-सौ मरीजों के लिए पर पैशेंट एक लाख रुपया हमने कीमोथैरेपी के लिए भी दिया। उसका मतलब है कि सौ डिस्ट्रिक्ट्स में दस लाख लोगों को एक लाख रुपये के रेट के हिसाब से सौ करोड़ रुपया भी दिया गया है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कार्डियक सैंटर और मेडिसन के लिए भी पैसा दिया गया है। अभी मैं एमपी साहिबान और राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि यह जो कार्डियक

सैंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या अर्ली स्क्रिनिंग, टैस्टिंग, कीमोथैरेपी और ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमने मदद दी है, उसमें वे रूचि लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले पांच साल में सिर्फ यह सौ डिस्ट्रिक्ट्स में ही नहीं, बल्कि देश के साढ़े छः सौ डिस्ट्रिक्ट्स में कैंसर की स्क्रिनिंग और टैस्ट करें। हम कार्डियो वसकुलर स्कीम का टैस्ट करें और उनका इलाज प्राप्त करें। हम पूरे देश के लोगों की डायबिटीज और हाइपर्टैंशन का …(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आपने अभी कहा कि सांसद लोग इसमें रूचि लें। रूचि वन वे ट्रैफिक होगी या उधर से लोग माननीय सांसदों को बुलायेंगे कि आप आइये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : नहीं, रूचि इसलिए होगी कि एमपीज जिस तरह नरेगा में मीटिंग ले सकते हैं, उसी तरह से यह जिम्मेदारी लें कि वे हर डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य के बारे में मीटिंग बुलायें।…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप एक कमेटी बनायें। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कमेटी कब गठित करेंगे?

…(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : कमेटी एमपी की अध्यक्षता में बनायें और वह कमेटी ही हमारी रिप्रैजेंटेटिव होगी।…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : जो केन्द्रीय सहायता होगी, उसकी क्या कहीं मौनीटरिंग होगी? …(व्यवधान)

सभापति महोदय : पाल जी, मैंने चेयर से इसलिए इंटरवीन किया, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण विकास की तरह हो। ग्रामीण विकास की समिति तो मुख्यालय से यानी यहां से गठित होती है। आप कमेटियां बनायेंगे, तो फिर सांसद उसमें रूचि लेंगे।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ये इन…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मंत्री जी, सभापति महोदय कुछ कह रहे हैं। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने ग्रामीण विकास का उदाहरण दिया, तो ग्रामीण विकास की कमेटी यहां से यानी विभाग की तरफ से गठित होती है। यदि आपका विभाग कमेटी गठित करेगा, तभी तो एमपी उसे प्रिसाइड कर पायेगा।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हम ही करेंगे, केन्द्रीय सरकार से होगी। इसी तरह मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन तमाम बीमारियों जैसे एनसीडीज, कैंसर, डायबिटीज और हार्ट आदि के लिए जो तीन-चार चीजें हैं जैसे सिगरेट, शराब और हम जो फिजिकल एक्टीविटी हम नहीं करते, इनका भी प्रचार करें। इन तमाम चीजों की वजह से उन बीमारियों में और इजाफा होता है। मैं यह नहीं कहता कि इनकी वजह से सब कुछ होता

है, लेकिन इनकी कारण से इजाफा डायबिटीज में होता है, कैंसर में होता है और हार्ट अटैक भी होता है। इसका प्रचार भी हमें अपनी अपनी सभाओं आदि में करना चाहिए। मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, तब से जहां भी इलैक्शन में जाता हूं तो आधा पोलिटिकल भाषण करता हूं और आधा स्वास्थ्य पर करता हूं। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे सभी 800 एमपीज साल में लाखों पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, उनमें वे अगर ये चीजें भी जनता को बतायेंगे, अगर हम इलैक्शन के दौरान एक महीने में नॉन वोटर को वोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पांच साल में हम सब मिलकर इसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते। …(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अगर इस पैसे की जानकारी जनता को देंगे, तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर कहां है। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आसन यह जानना चाहता है कि आप कितना समय और लेंगे।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी चीज का सिर पकड़ा और किसी की दुम पकड़ी और बीच में छोड़ दिया, क्योंकि बहुत समय लग जाता।

आखिर में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। …(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): आपने आयुष के बारे में नहीं बताया। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : शारिक साहब, आप पहले माननीय मंत्री जी को अपनी बात कन्कलूड करने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं आयुष के बारे में बताता हूं। आपने बहुत अच्छा कहा। मुझसे दो-तीन डिपार्टमेंट छूट गए थे। आयुष विभाग के लिए मैं संक्षेप में बताता हूं। एक, जहां हमको हेल्थ फैसिलिटीज की कोलोकेशन करनी थी, एक चीज यह भी थी कि इस एनआरएचएम में, जहां एलोपैथिक है, उसी बिल्डिंग के अंदर आयुर्वेद को भी लेना है। मुझे खुशी है यह कहते हुए कि इसमें तकरीबन 15500 जगहों पर कोलोकेशन हो गयी है। अगली स्कीम में, इस साल के अंदर हमने तय किया है कि जहां भी कोलेकशन होगा, वहां पैसे एनआरएचएम की तरफ से एलोपैथिक को भी जाएंगे और आयुर्वेद को भी जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो सुविधाएं आयुर्वेद के अंदर डिस्पेंसरीज-हॉस्पिटल्स में रहेंगी, उनको दवाइयां आयुष से जाएंगी। यह एक बहुत बड़ा फैसला है।

Then, permission has been granted for establishing 14 new colleges and 31,077 hectares of land has been earmarked for medical plants for conservation in the forest areas. Sir, 819 nurseries have been set up and 86,752 hectares of land has been cultivated by farmers under National Mission of Medicinal Plants since

2009. The establishment of All India Institute of Ayurveda is taken up. A separate research council for Siddha has been set up. Indian System of Medicine has been expanded to include Sowa-Rigpa. Pharmacopoeia Commission has been set up for Indian medicines having autonomous status since 2010. Centre for Research in Indian Medicine was set up with the University of Mississippi, USA in 2010.

Now, I come to the MoUs. An MoU has been signed between India and Malaysia to promote AYUSH in Malaysia in 2010, India and South Africa for Unani Chair and Ayurveda Chair set up in 2011, India and West Indies for setting up Ayurveda Chair and AYUSH Information Cell in Port of Spain in 2012.

इसके बाद एक चीज कहूंगा। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आयुर्वेद में जितना पैसा था, वह यूटिलाइज नहीं हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी तरफ से उसमें कमी नहीं है। जितनी भी सेंट्रली स्पांशर्ड स्कीम्स हैं, उनमे जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आता है, तब पैसा रिलीज होता है। जो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, वह यूसी न होने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि जिन राज्यों ने पैसा लिया, उनको पैसे की दूसरी या तीसरी ट्रेंच लेनी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए वह पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी थी।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी को समाप्त करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदय, यह राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण विषय है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप संक्षेप में बोलिए कि क्या कहना चाहते हैं।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदय, हम पूरे हिन्दुस्तान को एक लेबोरेटरी के रूप में कन्वर्ट न होने दें। फॉरेन इंस्टीट्यूशन्स बिल आने के बाद, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन्स मेडिकल एजुकेशन में आ रहे हैं, उस संबंध में जानकारी दें?...(व्यवधान) फॉरेन इंस्टीट्यूशन्स बिल के तहत मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना होगी। आयुर्वेद और सिद्धा में भी वे एजुकेशन में जाएंगे, ऐसे मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी की तरह यूज किए जाएंगे और हमारी आयुर्वेद और सिद्धा की जो बेसिक चीजें हैं, उनको पेटेन्ट कराते जाएंगे, उसको हम नहीं रोक पाएंगे।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: महोदय, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर यह आपकी सोच है, तो यह गलत है। जहां एक नया डिपार्टमेंट बना है हेल्थ रिसर्च का, उसके बारे में मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं कहना चाहता हूं।

यह पहले आईसीएमआऱ थी, अब यह फुल-फ्लैज डिपार्टमेंट बन गया है, जिसमें सेक्रेटरी हैड करते हैं। बहुत सारी रिसर्च इसके द्वारा होती हैं और सैंकड़ों की तादाद में यह युनिवर्सिटीज को, मेडिकल कालेजज़ को और जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स कम्पनीज हैं, मदद करती है।

मैं इस बारे में सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। दो साल पहले जब हमारे देश में एच वन और एन वन जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, उसके इलाज के लिए हमारे पास टेबलेट नहीं थी, न ही वैक्सीन था और न ही रेजेंट मौजूद था। लेकिन दो साल में, हमें गौरव है इस बात पर कि स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी बन गया, रेजेंट था, जिससे टैस्ट करते हैं, वह भी बन गया। ये तमाम चीजें इस नए रिसर्च विभाग की तरफ से बन रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके लिए हैल्थ रिसर्च विभाग ने जितना काम पिछले तीन साल में किया है, मैं उसके लिए विभाग को और उसके डीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। नैको में जो एचआईवी/एड्स है, उसमें हमें 95 प्रतिशत बाहरी डोनर्स से मदद मिलती थी। लेकिन आजकल जिस तरह से दुनिया की आर्थिक स्थिति है, उसके चलते इन डोनर्स ने हाथ खड़े कर दिए। हमने इस साल यह निर्णय लिया कि हम अपने घरेलू संसाधनों से एचआईवी के काम को तेजी से चलाएंगे और हम यह कर भी रहे हैं। इसकी सराहना युनाइटेड नेशंस ने भी की है और इसके लिए हमें बधाई भी दी है। जब यहां युनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए तो उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हिन्दुस्तान ने इस बारे में बहुत अच्छा काम किया है। विश्व में साउथ अफ्रीका, अमेरिका और चीन ऐसे तीन देश हैं, जिन्होंने पिछले दस साल में एड्स के इंफेक्शन में 50 प्रतिशत तक कमी की है, जबकि हमने 56 प्रतिशत तक कमी की है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आने वाले दस साल में इसके केसेज़ की संख्या सिर्फ पांच या दस प्रतिशत तक रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विभाग के सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। वे लोग तकरीबन 20 घंटे दिन में काम करते हैं, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए। इसके साथ ही मैं सब माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं अपने कुलीग मंत्रियों को भी धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद यानि डबल धन्यवाद रेवती रमन जी को देता हूं। वह किसी एक पार्टी के नेता हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं और हम सब उनका आदर करते हैं। इन्होंने अपने भाषण में एक मांग इलाहाबाद में मेडिकल इंस्टीट्यूट की की थी. मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सिर्फ मंत्रालय की ही मंजूरी नहीं होती, योजना आयोग इसे करता है। लेकिन मेरा वादा है कि इस साल या अगले साल इलाहाबाद में हम इसे करने का प्रयास करेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): गोरखपुर की तो आपने घोषणा कर दी है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: गोरखपुर में तो दे चुके हैं।

सभापति महोदय : रेवती रमन जी, आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं, इसके बाद फिर कहना। Hon. Members, a number of cut motions have been moved by Members to the Demands for Grants relating to the Ministry of Health and Family Welfare.

Shall I put all the cut motions to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular cut motion to be moved separately?

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमण सिंह : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यहां सदस्यों के कहने पर आपने कृपा की और हमारा नाम भी लिया। मैंने कटमोशन मूव किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेता नारायण दत्त तिवारी जी और प्रणब दादा आदि सब लोग जानते हैं और नाम लेते हैं। आपने कहा कि जितने सदस्यों ने अपनी बात कही, कम से कम आपको यह कष्ट तो करना ही चाहिए था कि आप हमसे बात कर लेते, भले ही न बुलाते, कल रात को टेलीफोन पर ही बात करके पूछ लेते कि आपकी एक-दो मांगें क्या हैं, मैं उनके बारे में घोषणा कर दूंगा। हमने आपकी चेयर पर्सन से कहलाया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज को अपग्रेड किया जाए। तब आपने कहा कि इस साल या अगले साल करेंगे। दो साल बाद करेंगे, तब तक तो आपकी टर्म ही खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप योजना आयोग से बात करके इसी साल करवा दें। मोती लाल नेहरू के नाम से वह है, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्टालवर्ट नेता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जन्मदाताओं में एक थे।

सभापति महोदय : ऐसे तो रेवती रमन जी यह डिबेट चलती ही रहेगी और मेरे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। अब आप बैठ जाएं। It will be very difficult for me to run the House.

… (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Sir, the Minister has not answered my question.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.

cut motions were put and negatived.

… (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Sir, I just want to seek one clarification.… (*Interruptions*)

सभापति महोदय: शैलेन्द्र जी, आपको भी मालूम है कि पिछले सत्र में बहुत दिनों तक पीएमबी नहीं हुआ था। आज प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस साढ़े तीन बजे लिस्टेड है।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Sir, I will take only one minute. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलाएंगे तो फिर डिमांड को कैसे पुट करेंगे। मेरी मजबूरी है। कभी-कभी आसन से सहयोग करना पड़ता है इसलिए शैलेन्द्र जी आसन से सहयोग करें। Do you want that the Private Members' Bills should not be taken up?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : I want to seek a small clarification. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If I give time to one hon. Member, how can I refuse it to others?

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): He only wants a clarification. … (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : My point is that some of the State Governments have expressed the fear that the National Commission for Human Resource for Health will take away their powers. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय: मंत्री जी ने काफी डिटेल में अपना जवाब दिया है, मैं नहीं समझता कि अब किसी सप्लीमेंटरी की जरूरत है।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: He has not spoken about that. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU :He is only asking a clarification. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Health and Family Welfare to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 46 to 49 relating to the Ministry of Health and Family Welfare."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now we shall take up Special Mentions.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अति आभारी हूं। आज टेलीविजन में, समाचार पत्रों में बड़ी प्रमुखता से भारत रत्न पुरस्कार देने की बात आई है। इस पर बहुत दिनों से राजनीति हो रही है। सर, हाउस आर्डर में नहीं है।

MR. CHAIRMAN : हाउस आर्डर में नहीं है, मैं खुद महसूस कर रहा हूं। Shri Jagdambika Palji and Shri Puniaji, please go to your respective seats. Let the House be in order. We must maintain decorum in the House.

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने पहले भी जीरो-आवर में यह मामला उठाया था कि सचिन जी इस सदन के सम्मानित सदस्य नहीं हैं लेकिन उनके नाम पर बड़ी राजनीति हो रही है। उन्हें राज्य सभा में लाने की कोशिश हो रही है। कभी कहते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इस बात को मैंने पहले भी सदन में उठाया था। हमारे स्वर्गीय मौहम्मद रफी जी, जो स्वरों के भगवान थे, उन्हें भारत रत्न देने की बात मैंने पहले भी उठाई थी। मैंने लिखकर भी दिया है कि मिर्जा गालिब जो केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े अच्छे शायरों में रहे हैं। मौहम्मद रफी साहब जिनका गायकी और फनकारी में कोई मुकाबला नहीं था, ऐसे लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए ताकि इस देश का भी सम्मान बड़े और हमारे मुस्लिम भाईयों को भी एक मैसेज जाए, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं अपने आपको माननीय सांसद श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदय, मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार के मध्य प्रदेश में सर्व-शिक्षा अभियान में लगे विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने संबंधी मांग की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, इस समय मध्य प्रदेश में लगभग 90,000 अतिथि शिक्षक काफी समय से अपनी सेवाएं राज्य सरकार को दे रहे हैं। लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, उनकी एवज में नियमित भर्ती होने पर उनपर हमेशा बेरोजगार होने की तलवार लटकी रहती है। यह अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मेहनत से स्कूलों में अच्छा परिमाण भी दे रहे हैं। महोदय, जबकि मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी, मंडी बोर्ड के कर्मचारी, 89 दिन काम करने वाले अनुदेशकों को भी नियमित कर दिया गया है। मैं सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की इस ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यदि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग में कार्यरत इन सर्व-शिक्षा-अभियान के माध्यम से, हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत इन 90,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया तो

ये अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और इन पर आश्रित इनका परिवार बदहाली के कगार पर खड़ा हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए कि एचआरडी से बहुत महत्वपूर्ण धनराशि राज्य सरकारों को दी जाती है, उस पैसे का सदुपयोग हो और उसमें काम करने वाले कर्मचारी नियमित कर्मचारी हों, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि देश के एक महत्वपूर्ण और खेत-खलिहान, गांव-चौपाल पर जो आम आदमी की सेवा कर रहा है, आज भी उनके साथ विसंगतियां हैं, आज भी उनके साथ जो दिक्कतें हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज देश के अनेक राज्यों में लगभग 17,000 ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से ये काम करती हैं लेकिन आज भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे विधवा-पैंशन हो, वृद्धा-पैंशन हो चाहे मनरेगा के अंतर्गत उनके खाते हों। गांव के उस इलाके में जहां बिजली भी नहीं है, वहां ग्रामीण बैंक की शाखा खुली है। वह शाखा हजारों की पसीने से तर भीड़ के लिए आज भी राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वास्तविकता की धरातल पर संकल्पित और कटिबद्ध काम कर रही है। पूरे देश के ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारी चाहते हैं कि आरआरबी पूरे देश के सभी राज्यों के ग्रामीण बैंक को मिला कर एक उसकी एपेक्स पार्टी राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। पूर्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया था। मान्यवर, आपके क्षेत्र में भी जो बड़े-बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में हैं, तहसील हैडक्वार्टर में हैं, विकास खंडों में आज भी अगर किसानों, मजदूरों, नौजवानों की अगर कोई सेवा कर रहा है, तो ग्रामीण बैंक की शाखाएं ही कर रही हैं। आज देश के 626 जिलों में से 616 जिलों में ग्रामीण बैंक हैं। इसमें विसंगतियां हैं कि आज जिस प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है, आज ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की पेंशन में भी विसंगतियां हैं। देश के ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी कल विट्ठल भाई पटेल हाउस में आए थे। वहां बहुत-से सांसद भी गए थे। हम सभी ने इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया था कि जो पेंशन की विसंगतियां हैं या अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें रेग्यूलराइज करने की बात है। निश्चित तौर पर ये ग्रामीण बैंकों की वाजिब मांगें हैं। मैं मांग करता हूं कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए तथा पेंशन की विसंगतियों को दूर करते हुए अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : सभापति जी, मैं अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, बिहार के नवादा और शेखपुरा जिले में अप्रत्याशित सूखे से मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। पानी के लिए मनुष्य, पशु एवं पक्षियों में हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी को स्नान करने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए पानी मृग तृष्णा प्रतीत होता है। चिड़ियां तालाब की ओर जाती हैं, आसमान को देखती हैं, फिर पानी न मिलने की वजह से तालाब की मिट्‌टी को खोदने लगती हैं। पशु पानी नहीं मिलने के कारण दिन-रात चिंघाड़ते रहते हैं। उनका चिंघाड़ना भयानकता का दृष्य प्रतिस्थापित करता है। महिलाएं तीन-चार किलोमीटर से पहाड़ी हिस्से में पानी लेने के लिए जाती हैं और लू का शिकार हो जाती हैं। नवादा और शेखपुरा बरसों से सूखाड़ की आकृति है। किसानों की फसल पैदा न होने से किसानों का जीवन आत्महत्या से अभिषप्त है। बिहार सरकार की ओर से इस भयावह परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए योजनाएं हैं और पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं लेकिन प्राकृतिक विपदा के सामने बिहार सरकार निधि के अभाव में बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार ने बरसों तक नवादा और शेखपुरा को सूखाड़ ग्रस्त क्षेत्र मानकर प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का पैकेज दिया था, उससे कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब वह भी बंद है। नवादा और शेखपुरा की पीड़ा और वेदना को लेकर मैं भारत सरकार से संवेदना की अपेक्षा करता हूं। भारत सरकार की चेतना चेतन्य हो और वह अविलम्ब बिहार सरकार को नवादा और शेखपुरा को इस भयावह सूखाड़ में पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, पशु पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करे, जिससे कि लाखों लोगों के जीवन की रक्षा हो सके।

15.27 hrs.

SUBMISSION BY THE MEMBER

Re : Need to remove tractor-trolly used in Agriculture from the commercial category list

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया है।

किसान, जिन्हें हम अन्नदाता का दर्जा देते हैं, उनकी स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है। अभी हाल ही में इस वर्ष के बजट में किसानों के काम में आने वाले ट्रैक्टर को भी कृषि की श्रेणी से निकाल कर व्यावसायिक श्रेणी में डाल दिया गया, जिसके बाद साधारण बीमा कम्पनियों ने इस वर्ष से ट्रैक्टर बीमा प्रीमियम की राशि में सात गुना तक की वृद्धि कर दी है। पंजाब में पहले जो कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस आठ हजार रुपए में होती थी, वह अब 22 हजार की हो रही है। राजस्थान में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1350 रुपए में होती थी, वह अब 11000 रुपए की हो रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे

में जरूर कदम उठाए और उस आर्डर को निरस्त करे और जो इंश्योरेंस डवलेपमेंट आथोरिटी है, उसे हिदायत दी जाए कि इसे कमर्शियल व्हीकल की केटिगिरी से निकाल कर कृषि पैकेज में डाला जाए। ताकि किसानों पर जो एक्सट्रा बर्डन आ रहा है, उससे मुक्ति मिल सके। इस तरह से उन पर एकदम से बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया है। कई साल पहले मेरे दादा सदन के सदस्य थे, उस समय उन्होंने ट्राली का टैक्स छुड़वाया था, इसे कृषि पैकेज में डलवाया था।

मुझे लगता है कि सारा सदन इस मुद्दे पर मेरे साथ है। मेरा निवेदन है कि इस पर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इसे निरस्त किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please see the mood of the House and just consider.

कृाि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा वह बहुत उचित है। मैं सदन की भावना से मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद। डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए विषय के साथ श्री राज बब्बर, श्री प्रताप सिंह बाजवा, श्री मदन लाल शर्मा, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री सज्जन वर्मा, श्री थोकचोम मेन्या, श्रीमती दीपा दासमुंशी, डॉ. प्रभा किशोर तावियाड, श्री पी.एल. पुनिया और श्री महेन्द्र सिंह चौहान को संबद्ध किया जाता है।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदय, अभी कुछ माह पूर्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में 127 देशों की सूची जारी हुई है जिसमें भारत को 134वां स्थान मिला है। नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना सत्य है कि आर्थिक विकास का संबंध जरूरी नहीं कि मानवीय विकास से हो। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिग विषमता, जीवन स्तर और पर्यावरण का आकलन किया गया है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भले ही हम विश्व में आगे हैं किंतु मानव विकास सूचकांक से नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़े हैं। मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम और मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखा गया है। हमारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक गिर रहा है लेकिन हम इससे जरा भी चिंतित नहीं हैं। हम लगातार उन सभी वर्गों की उपेक्षा कर रहे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इन योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। यह भी एक विडंबना है कि एक तरफ हम विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुपोषण, भुखमरी और नवजात शिशुओं की मृत्यु के कारण विश्व में नीचा देखना पड़

रहा है। देश की खाद्यान्न वितरण प्रणाली का केवल 60 फीसदी बीपीएल परिवारों को लाभ मिल रहा है। समाचार पत्र, टेलीविजन और संसद में भी यह मामला कई बार आया है लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है। भारत में 25 लाख शिशुओं की हर वर्ष मृत्यु होती है। विदर्भ में लगभग 70 फीसदी बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। हमारी स्थिति दक्षिण एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों से भी बदतर है इसलिए जल्द से जल्द मानवीय विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ मिलना चाहिए।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Mr. Chairman, Sir, during the Budget presentation by the then Railway Minister, Ms. Mamata Banerjee, while announcing the elevation of railway stations to world class standard Kozhikode was also included in the list of fifty odd stations.

It is understood that the standard principle drawn for the project is the PPP mode. So far the Railways have been concentrating on implementing the project in Tier-I cities like New Delhi, Mumbai etc. With multiple interventions including heritage status, none of these are expected to begin immediately. Moreover, active participation of private players is also essential. However, to make it a successful project, it is suggested that these projects may commence from Tier-II and Tier-III cities like Kozhikode.

I represent Kozhikode in the Lok Sabha. The city is linked to the rail network since 1907. The city is an educational hub with several institutions like the IIM, NIT, medical colleges, etc., and is well connected by air, rail and road. A good percentage of the population is Gulf based and foreign remittance is quite high in the region. The people are also happy to participate in the projects in collaboration with the Government institutions. Railways have sufficient land at Calicut railway station. The excess land on the western side could be adequately developed under the world class standard for which local private participation need not be a hindrance.

I, therefore, suggest that the Railways may consider elevating the Calicut railway station under the scheme. A visit by a team of officials from the Railway Board could set the ball rolling and could be implemented as a test run.

I would, therefore, request that a technical study team may be sent to Calicut to study the feasibility of the project and for interaction with the private players, etc.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise the issue of Left Wing Extremism which has taken a very serious turn recently.

While incidents of Left Wing Terrorism including deaths and violent incidents have a trend of coming down over the last few years, a serious turn has taken place now whereby there are rising incidents of hostage-taking. We need to come up with a national consensus of how to deal with this. Hostage situations also exist with pirates and with other scenarios, but with Left Wing Extremists taking hostages, we still do not have a coordinated national policy. Sir, there is criticisms when there are hostage-negotiations. The fact remains that many countries which have a policy against negotiating, also sometimes negotiate because while negotiating may have consequences, not-negotiating also can have very serious consequences.

I would like to conclude by saying that perhaps we ought to evolve a policy that for minor crimes for those Maoists and others who are held up in jail for a long period of time, their bail hearings could be expedited so that they should not be stuck in jail for a long time without being heard; it may not be for hardcore people with allegations of murder and other such charges. But we know that not just Maoists, but across the country with ordinary people with lesser charges, there are thousands of people who are stuck in jail for a long time without their cases being heard. It is high-time that we evolve a national policy to expedite these cases and release them from jail where justified, and also to come up with a policy regarding negotiations so that individual States may not go in divergent ways. We should have a national consensus on this.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिहार पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा और बाढ़ की चपेट में रहा है। मैं बिहार के

मुख्यमंत्री माननीय नीतिश कुमार जी द्वारा जहानाबाद जिले में उडेरा स्थान से बैराज बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है। बैराज लगभग बनकर तैयार है लेकिन दोनों तरफ कैनाल है जिसका पक्कीकरण नहीं हुआ है, 10 कैनाल बननी हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए 531 करोड़ रुपए कि स्वीकृति भी दी है। फरवरी 2012 को अंतिम स्वीकृति दी गई है लेकिन योजना आयोग में यह मामला लटक गया है। इससे 40,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी है। इससे नालंदा, नबादा, गया और जहानाबाद के खेतों की सिंचाई होगी जिससे गरीब किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जनकल्याणकारी उपयोगी योजना को यथाशीघ्र स्वीकृति दी जाए।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से किसी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने से पहले भारतीय रेल की निशक्त विक्लांगों के लिए पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के संबंध में माननीय रेल मंत्री महोदय सहित संपूर्ण रेल विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। रेल विभाग द्वारा प्रत्येक रेल में निशक्त विक्लांग यात्रियों के लिए अलग से आरक्षित बोगी लगाई जाती है जिससे निशक्त विक्लांग यात्रियों को आरामदायक रेल यात्रा का लाभ मिल रहा है। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। वर्तमान में रेल में जो विक्लांग बोगी लगाई जाती है वह या तो इंजन के पास या अंत में होती है। मेरा निवेदन है कि इसे रेल के मध्य में लगाया जाए क्योंकि विक्लांग यात्रियों को प्लेटफार्म पर प्रवेश करते ही उक्त बोगी तक पहुंचने में अधिक समस्या न आए। यदि रेलवे मंत्रालय यह निर्णय लेता है तो निश्चित ही यह कदम विक्लांग यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ''नर सेवा ही नारायण सेवा है'' जैसे अलौकिक विचार को चरितार्थ करेगा।

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, मैं अपने आपको नारायण सिंह अमलाबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय : आपके नाम में भी नारायण है इसलिए आपने ''नर सेवा ही नारायण सेवा कहा।''

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति जी, मध्य प्रदेश सहित भारत के तमाम राज्यों में आयरन ओर लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिज का अकूत भंडार है। जिससे लोहे का निर्माण होता है। यह लौह अयस्क चीन जैसा देश हमारे देश से भयानक मात्रा में लाखों-करोड़ों टन आयात कर रहा है। इस लौह अयस्क का संरक्षण करना इसलिए जरूरी है कि लोहा हमारे देश में महंगा होता जा रहा है। मकान बनाने से लेकर, कृषि उपकरणों के निर्माण और औद्योगिक इकाईयों में लगने वाला यह लोहा हम निर्यात किये जा रहे हैं। लेकिन चीन जैसा राष्ट्र इसका आयात कर रहे हैं, इसका उपयोग भी कर रहे हैं और बड़े-बड़े पहाड़ इस आयरन ओर जैसे खनिज के बनाकर रिजर्व कर रहे हैं। हम अपनी सम्पदा लुटा रहे हैं और दूसरे देश उसको रिजर्व कर रहे हैं। कहीं भविष्य में ऐसा न हो कि हमारी यह सम्पदा खत्म हो जाए और हमें चीन जैसे राष्ट्र से दस गुना महंगा फिर से यह खनिज खरीदना पड़े।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि आयरन ओर जैसे खनिज तथा इस जैसे और खनिजों का संरक्षण जरूर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): महोदय, कुछ सालों से बिहार राज्य में रेल निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसी क्रम में मैं बिहार राज्य में पटना-हाजीपुर के बीच संपर्क रेल लाइनों के साथ गंगा पर रेल व सड़क पुल और भवदीचही, निर्मली में कोसी नदी पर कोसी रेल पुल व मुंगेर गंगा नदी पर रेल व सड़क पुल निर्माण में इस वर्ष रेल बजट में अपेक्षा के अनुरूप धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है, जिससे उक्त निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। यह कब तक पूरा होगा, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। निर्माण में अगर समय पर पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं होती है, तो संबंधित परियोजना की लागत में भारी वृद्धि होती है, जिससे यह परियोजना धीरे-धीरे अत्यधिक लागत की हो जाती है। इसी तरह से हमारे लोक सभा क्षेत्र में सकरी-हसनपुर नयी रेल लाइन निर्माणाधीन है। इसका कार्य बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। इसमें भी कम राशि दी गयी है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें राशि बढ़ायी जाए।

दूसरी तरफ इस्लामपुर से नटेश्वर दनियावां से शेखपुरा में राशि नहीं दी गयी जिससे कि कार्य लंबित है। इसको भी जल्द से जल्द पूरा करायें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र पैसा देकर उस काम को पूरा कराया जाए।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति जी, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : आप अपनी पसंद से बैठे हैं, तो कैसे आपको हटाया जाए, बोलिए।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल के तहत गुमशुदा बच्चे एक राष्ट्रीय समस्या पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, देश में लापता होने वाले बच्चों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। इस संवेदनशील विषय पर संसद में अनेक बार चर्चा हुयी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है।

महोदय, अगर गुमशुदा बच्चों के बारे में आंकड़ों पर नजर डालें तो बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर-सरकारी संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी, 2008 से जनवरी, 2010 के बीच 392 जिलों से प्राप्त संख्या के अनुसार 1 लाख 70 हजार 480 बच्चे अलग-अलग ठिकानों से गुम या लापता हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा अनुमानित आंकड़ों के अनुसार हर साल औसतन आज 44 हजार बच्चे गुम हो रहे हैं। इनमें से सिर्फ 11 हजार बच्चों का पता लगता है, बाकी 33 हजार बच्चे हमेशा के लिए गुमशुदा बन जाते हैं। लापता बच्चों के सभी मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होते, वरना यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है।

महोदय, इन गुमशुदा बच्चों में लड़कियों की संख्या अधिक होना और भी चिंता का विषय है। इन लापता बच्चों का इस्तेमाल भीख मंगवाने एवं चोरी जैसे आपराधिक कार्यों में हो रहा है तथा साथ में ये बच्चे बाल यौन शोषण का शिकार भी बनते रहते हैं तथा लड़कियों को बाजार में बेच देने के मामले भी सामने आये हैं। बच्चों को चुराने वाले संगठित गिरोह बने होते हैं, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल देखी जा रही हैं।

ऐसे में आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लें तथा जरूरी कानून बनाकर देश के हर एक जिले में एक स्पेशल नोडल अफसर की नियुक्ति करके गुम हो रहे बच्चों की रक्षा की जाए, उन्हें बचाया जाए।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल को उपरोक्त विषय से सम्बद्ध किया जाता है। श्री रवनीत सिंह जी, अब आप बोलिये। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे आसन पर बैठे हुए आप बोलें। मैं बहुत खुश हूं।

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब): महोदय, यह मेरी खुशकिस्मती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान सरकार द्वारा पंजाब में मिट्टी का तेल यानी केरोसीन ऑयल का कोटा 63 परसेंट कम किये जाने की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। इसके कारण पंजाब में गरीब परिवारों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।

महोदय, ऐसा माना जाता है कि पंजाब एक बहुत खुशहाल स्टेट है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी पंजाब में 20 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन गरीब परिवारों को सेंटर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो 25 हजार हमारे राशन डिपोज हैं, उनके द्वारा उन्हें सस्ते दाम पर गेहूं, दाल और केरोसीन सप्लाई किया जाता है।

महोदय, पिछले दिनों सरकार द्वारा पंजाब में केरोसीन का कोटा 63 फीसदी घटाए जाने से 20 लाख गरीब परिवारों को हर महीने दिये जाने वाले केरोसीन में भारी कटौती हो गयी है। इससे इन परिवारों को रोजमर्रा की जिन्दगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरन इन्हें लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे वातावरण को भी बहुत बड़ा खतरा है।

महोदय, दूसरी बात जो हमारे 25 हजार राशन डिपोज के मालिक हैं, जो बहुत सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्हें मिलने वाले कमीशन में भी पिछले 15 सालों में भारी कमी आयी है, जिससे उनका कारोबार बंद होने के कगार पर आ चुका है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि पंजाब के 20 लाख गरीब परिवारों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पंजाब का केरोसीन का कोटा बहाल किया जाये और जो राशन डिपोज मालिक हैं, उनकी आमदनी जो बहुत कम हो चुकी है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय : श्री प्रताप सिंह बाजवा, श्री मनीष तिवारी और श्री महिन्दर सिंह केपी अपने आपको श्री रवनीत सिंह जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, कबीरदास जी की पंक्ति है, अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे।

महोदय, हाल ही में मुझे मथुरा जी जाने का और द्वारिकाधीश भगवान और बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोगों ने कहा कि वहां जमुना जी के विश्राम घाट पर भी कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब मैं विश्राम घाट पर गया तो नदी के किनारे और नदी में पानी इतना गंदा है कि आज तक पृथ्वी पर किसी ने इतना गंदा पानी नहीं देखा होगा। उसमें कीड़े तैर रहे हैं और वह गंदला

पानी है और कोई उस पानी को छू नहीं सकता, कोई उसे देह पर छिड़क नहीं सकता, कोई उससे आचमन नहीं कर सकता। स्थानीय लोगों ने नदी के किनारे पानी से सटे हुए पाइप लगा दिये हैं। पाइप से छिद्र किया हुआ है और उसमें से फुहारा निकलता है। लोगों को ऐसा दिखे कि हम नदी के पानी से कुल्ला कर रहे हैं, उस पाइप से पानी लेकर देह पर छिड़कते हैं और कुल्ला करते हैं। उसे देखने के बाद हमें लगा कि देश में और प्रदेश में कोई सरकार है या नहीं।

महोदय, भगवान भी हैं या नहीं, ऐसा मुझे एक संदेह होने लगा। जिससे सभ्यता, संस्कृति बची हुई है, वह इतना गंदा पानी है। कभी नदी के किनारे भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे, उस नदी की यह दुर्दशा है। सारी नालियों का पानी उसमें जा रहा है, मथुरा का यह हाल है। जहां कहते हैं कि यहां संस्कृति है, भगवान कृष्ण, बंसी वाले, गिरधारी, चक्रधारी, सुर्दशनधारी हैं, सरकार कहां है, राज्य सरकार कहां है, पर्यावरण विभाग कहां है, कहां है मैनेजमेंट, म्युनिसपैलिटी कहां है?

सभापति महोदय : रघुवंश जी, कल आपने कहा था कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरूवर बहुछाये, उसके तट पर जो तमाल के पेड़ थे, वे खत्म हो गये, इसीलिए ऐसा हुआ है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र जी ने कैसी कविता लिखी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरूवर बहुछाये, झुके फूल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाये।

महोदय, तरनी, तनुजा, तरिणी सूर्य को कहते हैं और तनुजा माने लड़की। यमुना को सूर्य की लड़की लोग मानते हैं और कथा और पुराण में यह है। *तरुवर बहु छाए* - अर्थात् उनके तट पर तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं। *झुके कूल सों जल पर सनहित मनहुँ सुहाए* - जैसे आईना में लोग अपना चेहरा देखना चाहते हैं, उसी तरह से वह तमाल का पेड़ नदी के किनारे झुका हुआ है जिससे वह अपनी छाया पानी में देख सके। अब उस पेड़ की छाया क्या दिखेगी, उस पानी में तो कालिख पुती हुई है, कोई छाया उसमें नहीं दिखेगी। यह मथुरा में यमुना की स्थिति है। यहाँ भी दिल्ली की राजधानी से होकर 22 किलोमीटर यमुना नदी गुज़रती है। यहाँ नाली से भी बदतर उसकी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : धन्यवाद रघुवंश जी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यही हाल गंगा जी का है। गंगा जी का भी हरिद्वार से लेकर बनारस, कानपुर और पटना तक वही हाल है। डॉ. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि नदियाँ साफ करो, नदियाँ साफ करो। सारी नदियों का यही हाल है। हमारी नदियों के किनारे सभ्यता और संस्कृति उगती है, दुनिया भर में नदियों के किनारे जंगल उगते हैं। हमारे यहाँ नदियों के किनारे सभ्यता और संस्कृति उगती है और आज उसका यह हाल है। इसमें कब सुधार होगा? सरकार के लोग यहाँ हैं। उनमें संवेदनशीलता भी है।

आप देखें कि हरिद्वार में गंगाजी के लिए साधू ने प्राण त्याग दिये। अभी भी वहाँ साधू लोग अनशन पर बैठे हैं। गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा और जमुना दोनों का संगम है। 'गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय' यह हमारी संस्कृति में कहा जाता है।

'मेहमां जो हमारा होता है, वह प्राण से प्यारा होता है

मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है।'

गंगा और जमुना की हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति है, उसका क्या होगा? सरकार में कुछ संवेदनशीलता नहीं है, यह सरकार क्या करेगी? इनको जानकारी में है या नहीं, इनके एक्शन प्लान में है या नहीं, इनके एजेन्डा में है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ। सरकार की हिम्मत है तो बताए, नहीं तो इसमें संघर्ष अवश्यम्भावी है, युद्ध होगा और लड़ाई के सिवाय हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। ...(व्यवधान) वहाँ लोग कलेजा पीट रहे हैं, कैसे वहाँ सफाई होगी, कैसे उस गंदे पानी में आदमी जाते हैं। देश भर के लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। क्या हालत है? कौन देखने वाला है? कहाँ राज्य सरकार और कहाँ पर्यावरण? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, समय की कमी है। प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ।

सभापति महोदय : श्री पी.एल.पुनिया, श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहान, श्री जयन्त चौधरी और श्री रमेन डेका के नाम डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

श्री महिन्दर सिंह केपी (जालंधर): सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का मौका दिया। दिल्ली से अमृतसर वाघा बॉर्डर तक नेशनल हाईवे नं. 1 जाता है। दिल्ली से जालंधर तक यह 6 लेन है और जालंधर से, करतारपुर से लेकर ढिलवाँ तक यह 2 लेन है और फिर आगे जाकर वाघा बॉर्डर तक यह 4 लेन होता है। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास रोड बना रहे हैं। पानीपत से जालंधर तक 6 लेन हो रहा है, लेकिन आगे टू लेन है। वहाँ इतना रश है कि रोज़ वहाँ अनेक मौतें एक्सीडैन्ट से हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस सड़क को अब 6 लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ हर महीने मारे जाते हैं। इतने लोग टैररिज़्म में नहीं मरे जितने वहाँ एक्सीडैन्ट में मारे जा रहे हैं। मेरा आपकी मार्फत मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज़ से यह निवेदन है कि उस प्रोजैक्ट को पूरा करें

और उसको जल्दी से जल्दी 6 लेन करें ताकि लोग एक्सीडैन्ट से मुक्त हो सकें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, as you would know that the Government has left no stone unturned to consolidate and strengthen the Public Sector Undertakings in our country. However, sometimes certain anomalies are observed. I would like to refer to one such glaring anomaly in respect of a Public Sector Undertaking, namely, M/s Bridge and Roof Company Limited which is located in Kolkata and this is a company which has provided employment to more than 10,000 workers. The fact is that, over the years, it was suffering from financial crunch but by dint of their great endeavour, the company had been turned around and was awarded as the best turnaround company in 2010 by BRPSE. It is naive to say that the growth and strength of a public sector undertaking is contingent upon the competent and adroit leadership of that organization.

Sir, you will be astonished to note that one post, namely, Director, Project Management which is a very vital post in the organization was vacant and the entire organization was demanding the internal candidate to fill up the vacancy of Director, Project Management in view of its importance.… (*Interruptions*)

Sir, the post of Director, Project Management was vacant and it was demanded by the organization that this post should be filled up by an internal candidate in view of his loyalty and experience. But for the reasons best known to the Ministry, they have appointed the CMD of Richardson and Cruddas Ltd. and National Bicycle Corporation (India) Ltd., Mumbai who was holding the twin post not only that, under his leadership, the two companies, the Richardson and Cruddas Ltd. and National Bicycle Corporation have incurred a loss of more than Rs. 300 crore. He was given the charge of Director (Project Management). That is why, I would urge upon the Government to reconsider the filling up of the post and that vacancy should be given to the internal candidate because the incumbent is an external candidate. He does not have any experience of this organization.

I would urge upon the Government to review this decision.

MR. CHAIRMAN: Shri P.L. Punia may be allowed to associate with the matter raised by Shri Adhir Chowdhury.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Mr. Chairman Sir, I wish to draw the attention of the hon. Minister of Health and Family Welfare to an existing anomaly arising out of the inclusion of black tipped rice under the category of damaged grains by the Food Safety and Standards Authority of India.

Based on the analysis received from the National Institute of Nutrition, Hyderabad, Export Inspection Agency Lab, Kochi, VIMTA Labs, Hyderabad, and the Indian Council for Medical Research concluded that these pinpoint damaged grains on scanning did not show fungal presence nor the presence of iron. On the basis of these findings, the conclusion was that the rice containing pinpoint and partially damaged grains is safe for human consumption.

Further, the Food Safety and Standards Authority of India had also suggested that such black tipped grains are safe for human consumption. However, the FSSA had indicated that such grains are to be included in the category of damaged grains. The Punjab Rice Millers Association feels that this fact is extremely confusing and erroneous as a food item safe for human consumption cannot be put into the category of damaged grains.

This is creating a lot of problems in the milling of paddy in Punjab so much so that a number of rice mills in my parliamentary constituency of Gurdaspur have been closed and the milling process is very slow.

I would request the hon. Minister for Health and Family Welfare to direct the Food Safety and Standards Authority of India to rectify this anomaly so as to remove any confusion on this issue.

16.00 hrs.

MOTION RE: TWENTY-SECOND, TWENTY-THIRD, TWENTY-FOURTH AND TWENTY-FIFTH REPORTS OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

MR. CHAIRMAN : The House will now take up Item no. 18, Private Members' Business.

Shri S. Semmalai.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I beg to move:

> "That this House do agree with the Twenty-second, Twenty-third, Twenty-fourth and Twenty-fifth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 1 December, 2011, 21 March, 28 March and 26 April, 2012, respectively, subject to modifications that, --
> (i) para 7 and sub-para (v) of para 8 of the Twenty-second Report; and
> (ii) para 4 and sub-para (ii) of para 5 of the Twenty-fourth Report, relating to allocation of time to resolutions, be omitted".

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Twenty-second, Twenty-third, Twenty-fourth and Twenty-fifth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 1 December, 2011, 21 March, 28 March and 26 April, 2012, respectively, subject to modifications that, --
> (i) para 7 and sub-para (v) of para 8 of the Twenty-second Report; and
> (ii) para 4 and sub-para (ii) of para 5 of the Twenty-fourth Report, relating to allocation of time to resolutions, be omitted. "

The motion was adopted.

16.03 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Private Members Legislative Business – Bills for introduction.

(I) PERSONS LIVING IN COASTAL ZONE (REHABILITATION AND WELFARE) BILL, 2011*

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of an Authority for rehabilitation and welfare of persons living in coastal zone and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of an Authority for rehabilitation and welfare of persons living in coastal zone and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SANJEEV GANESH NAIK I introduce the Bill.

16.03 ¼ hrs.

(II) PHASED INCORPORATION OF CASH TRANSFERS IN PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM BILL, 2011*

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a system of cash transfer to the persons who are beneficiaries of the public distribution system; ensure better delivery of goods to entitled citizens and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for a system of cash transfer to the persons who are beneficiaries of the public distribution system; ensure better delivery of goods to entitled citizens and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill.

16.04 hrs.

(III)CONSTITUTION (SCHDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2011*

(Amendment of Part II)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Items no. 21 and 22, Shrimati Priya Dutt – not present. Items no. 23 and 24, Shri A.T. Nana Patil – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.04 ½ hrs.

(IV) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2011*

(Amendment of the Schedule)

SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

SHRI M. ANANDAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.05 hrs.

(V) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of new article 24A)

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN (SHRI INDER SINGH NAMDHARI): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री सतपाल महाराज : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Item No. 27, Shrimati Priya Dutt – not present.

16.05 ½ hrs.

(VI)NATIONAL COMMISSION FOR HORTICULTURE DEVELOPMENT BILL, 2011*

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Commission for Horticulture Development and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Commission for Horticulture Development and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.06 hrs.

(VII) PRE-EXAMINATION COACHING CENTRES REGULATORY AUTHORITY BILL, 2011*

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Regulatory Authority for Regulation of Pre-Examination Coaching Centres and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Regulatory Authority for Regulation of Pre-Examination Coaching Centres and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I introduce** the Bill.

16.06 ½ hrs.

(VIII) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2012* (Amendment of section 164A)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN (INDORE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

** Introduced with the recommendation of the President

16.07 hrs.

(IX)BACKWARD AREAS DEVELOPMENT BOARD BILL,2011*

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for the overall development of economically backward areas of the country.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for the overall development of economically backward areas of the country."

The motion was adopted.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I introduce the Bill.

16.07 ½ hrs.

(X)SLUMS AND JHUGGI JHOPRI AREAS CLEARANCE BILL, 2011*

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों और मलिन बस्ती क्षेत्रों के उन्मूलन और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for clearance of jhuggi-jhopri clusters and slum areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12
** Introduced with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: Item No. 32, Shri Nishikant Dubey – not present.

Item No. 33, Shri Nishikant Dubey - not present.

16.08 hrs.

(XI)PREVENTION OF INFLUX OF FOREIGN NATIONALS INTO THE COUNTRY BILL, 2011*

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to check unauthorized entry of foreign nationals into the country and for their deportation and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to check unauthorized entry of foreign nationals into the country and for their deportation and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 35, Shri Bhoopendra Singh – not present.

16.08 ½ hrs.

(XII)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Amendment of articles 85 and 174)

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री सतपाल महाराज : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.09 hrs.

(XIII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of new article 30A)

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री सतपाल महाराज : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

16.10 hrs.

(XIV)OVERSEAS WORKERS (MANAGEMENT AND WELFARE) BILL, 2011*

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for management and welfare of Indian citizens employed outside the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for management and welfare of Indian citizens employed outside the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI P.T. THOMAS : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.10 ½ hrs.

(XV)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Amendment of article 370)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.11 hrs.

(XVI)COMPULSORY SPORTS EDUCATION IN SCHOOLS BILL, 2011*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: कि विद्यालयों में बारहवीं कक्षा तक अनिवार्य खेल शिक्षा और उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory sports education in schools upto class twelfth and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12
** Introduced with the recommendation of the President.

16.11 ½ hrs.

(XVII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of the Seventh Schedule)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.12 hrs.

(XVIII) MENTALLY RETARDED CHILDREN (WELFARE) BILL, 2012*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain measures to be undertaken by the Union and the State Governments for the welfare of mentally retarded children and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.12 ½ hrs.

(XIX)FISHERMEN (WELFARE) BILL, 2011*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for fishermen and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for fishermen and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

16.13 hrs.

(XX) DALIT AND BACKWARD YOUTH WELFARE BILL, 2011*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of youth belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and those from Other Backward Classes and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted introduce a Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of youth belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and those from Other Backward Classes and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith or incidental thereto."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

16.13 ½ hrs.

(XXI) CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of new section 3B, etc.)

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009."

The motion was adopted.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA: I introduce the Bill.

16.14 hrs.

(XXII)MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYEMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of section 6, etc.)

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

The motion was adopted.

SHRI S. SEMMALAI: I introduce the Bill.

16.15 hrs.

(XXIII) COCONUT GROWERS (WELFARE) BILL, 2011*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures and other facilities for coconut growers and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to provide for certain welfare measures and other facilities for coconut growers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12
** Introduced with the recommendation of the President.

16.15 ½ hrs.

(XXIV) AIRLINES (PAYMENT OF COMPENSATION) BILL, 2011*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation by airlines to passengers in case of delay or cancellation of scheduled flights or in case of accidents during the carriage by air resulting in death or bodily injuries to the passengers and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to provide for payment of compensation by airlines to passengers in case of delay or cancellation of scheduled flights or in case of accidents during the carriage by air resulting in death or bodily injuries to the passengers and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce the Bill.

16.16 hrs.

(XXV) HEALTH INSURANCE SCHEME BILL, 2011*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive health insurance scheme for all citizens of the country and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to provide for a comprehensive health insurance scheme for all citizens of the country and for matters connected therewith."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce** the Bill.

16.16 ½ hrs.

(XXVI) PROHIBITION OF EXTRAVAGANT EXPENDITURE ON MARRIAGES BILL, 2011*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाह समारोहों पर अत्यधिक और अनावश्यक व्यय के प्रतिषेध और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit extravagant and wasteful expenditure on marriages and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.17 hrs.

(XXVII) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2011* (Omission of section 124 A)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12
** Introduced with the recommendation of the President.

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

16.17 ½ hrs.

(XXVIII) HANDLOOM WEAVERS (WELFARE) BILL, 2011*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection and welfare measures for handloom weavers and workers and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection and welfare measures for handloom weavers and workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

16.18 hrs.

(XXIX) RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right to Information Act, 2005.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right to Information Act, 2005."

The motion was adopted.

SHRI JAYANT CHAUDHARY: I introduce the Bill.

16.18 ½ hrs.

(XXX)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,2012*
(Amendment of article 171)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.19 hrs.

(XXXI) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of the Schedule)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.19 ½ hrs.

(XXXII) CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of section 5)

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955."

The motion was adopted.

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.20 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

16.20 ½ hrs.

(XXXIII) COMPULSORY IMPARTING OF MORAL EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2012*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में माध्यमिक स्तर तक की नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने तथा उससे संबंधित या शैक्षिक संस्थाओं में उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि देश में माध्यमिक स्तर तक की नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने तथा उससे संबंधित या शैक्षिक संस्थाओं में उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.21 hrs.

(XXXIV) INCEST OFFENCES BILL, 2012*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगम्यागमन से संबंधित अपराधों के लिए दंड और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अगम्यागमन से संबंधित अपराधों के लिए दंड और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

16.21 ½ hrs.

(XXXV) WOMEN AND GIRL CHILD (PREVENTION OF ATROCITIES) BILL, 2012*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिकाओं और महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि बालिकाओं और महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

---

16 .22 hrs.

(XXXVI) HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 2012*
(*Amendment of section 13*)

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI MANISH TEWARI : I introduce the Bill.

16.23 hrs.

(XXXVII) COMPULSORY MEDICAL PREPAREDNESS IN SCHOOLS BILL, 2012*

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा संबंधी आपात-स्थितियों से निपटने के लिए विद्यालयों में अनिवार्य चिकित्सा तैयारी करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

"कि चिकित्सा संबंधी आपात-स्थितियों से निपटने के लिए विद्यालयों में अनिवार्य चिकित्सा तैयारी करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

16.24 hrs.

(XXXVIII) PROHIBITION OF INDECENT ADVERTISEMENTS BILL, 2012*

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले अशिष्ट विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचाती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले अशिष्ट विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचाती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

16.25 hrs.

(XXXIX) PROHIBITION ON USE OF COERCIVE METHODS FOR RECOVERY OF BANK LOANS BILL, 2012*

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों या उनके अभिकर्ताओं, चाहे वे प्राधिकृत हों या नहीं, द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति मौखिक या शारीरिक अभित्रास और उत्पीड़न जैसे प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकों या उनके अभिकर्ताओं, चाहे वे प्राधिकृत हों या नहीं, द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति मौखिक या शारीरिक अभित्रास और उत्पीड़न जैसे प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : श्री विष्णु पद राय - अनुपस्थित

16.26 hrs.

(XL) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of article 85)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: I introduce the Bill.

सभापति महोदय : कुमारी मीनाक्षी नटराजन - अनुपस्थित

श्री भूपेन्द्र सिंह - अनुपस्थिति

श्री भूपेन्द्र सिंह - अनुपस्थित

डा. राजन सुशान्त - अनुपस्थित

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.27 hrs.

(XLI) COMPUTER TRAINING CENTRES (REGULATION) BILL, 2012*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the functioning of computer training centres and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> “कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण को विनियमित करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

16.28 hrs.

(XLII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Insertion of new article 371CA)

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

DR. THOKCHOM MEINYA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.29 hrs,

(XLIII) CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 2012*

(Insertion of New Article 22A)

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

** Introduced with the recommendation of the President.

16.29 ½

(XLIV) RURAL ELECTRIFICATION BILL, 2012*

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम-से-कम एक बत्ती का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम-से-कम एक बत्ती का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

16.30 hrs.

(XLV) PROVISION OF FREE MEDICAL AND ENGINEERING EDUCTION TO MERITORIOUS STUDENTS BILL, 2012*

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free medical and engineering education to meritorious students who are economically weak and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI RAMEN DEKA : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

* * Introduced with the recommendation of the President.

16.31 hrs.

(XLVI) SALT WORKERS WELFARE BILL, 2012*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for salt workers and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि नमक कर्मकारों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

16.32 hrs.

(XLVII) ESTABLISHMENT OF PERMANENT BENCHES OF HIGH COURTS AT STATE CAPITALS BILL, 2012*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of permanent Benches of the High Courts in State Capitals where the principal seat or a permanent Bench of the High Court concerned is situated at a place other than the State Capital and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि राज्य की राजधानियों जहां संबंधित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या स्थायी न्यायपीठ, राज्य की राजधानी से भिन्न स्थान पर स्थित हो, में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

DR. SHASHI THAROOR : I introduce the Bill.

∗ Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.32 ½ hrs.

(XLVIII) FISHERMEN (WELFARE) BILL, 2012*

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि देश में मछुआरों के कल्याण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : I introduce the Bill.

16.33 hrs.

(XLIX) ECONOMICALLY WEAKER CLASS CORPORATION BILL, 2012*

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Corporation for the welfare and advancement of persons belonging to economically weaker class and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण और अभिवर्धन के लिए निगम की स्थापना करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

16.33 ½ hrs.

(L) COMMERCIAL CROPS WORKERS (WELFARE) BILL, 2012*

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain measures for commercial crops workers and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वाणिज्य फसल कर्मकारों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : I introduce the Bill.

16.34 hrs.

(LI) SCHEDULED CASTES HAMLETS (PROVISION OF BASIC FACILITIES) BILL, 2012*

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain basic facilities to the persons belonging to the Scheduled Castes and living in hamlets and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अनुसूचित जातियों के लोग जो बस्तियों मे रह रहे हैं, के लिए कतिपय आधारभूत सुविधाओं और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH: I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item no. 88 Shri Chandrakant Khaire – not present.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

Item no. 89 – Dr. Ajay Kumar – not present.

Item no. 90 – Shri Arjun Meghwal.

16.34 ½ hrs.

(LII) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2012*
(*Amendment of section 377*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.35 hrs.

(LIII) PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) AMENDMENT BILL,2012*
(INSERTION OF NEW SECTION 16B, ETC.).

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 27.04.12

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.36 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Withdrawn

MR. CHAIRMAN: Now Bills for Withdrawal.

(i) RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2011
(Amendment of sections 6 to 8)

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): Mr. Chairman, Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amendment the Right to Information Act, 2005.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : I withdraw the Bill.

(ii) UNIVERSITY OF PATNA BILL, 2011

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पटना में एक अध्यापन तथा आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे चलाने एवं उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि पटना में एक अध्यापन तथा आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे चलाने एवं उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

<u>16.38 hrs</u>.

CONSTIUTION (AMENDMENT) BILL, 2010 – Contd.
(Amendment of Eighth Schedule)

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Item No. 94.

Shri K.C. Singh 'Baba' -- Not present.

Shri Naveen Jindal.

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी श्री सतपाल महराज जी ने सदन के सामने गढ़वाली और कुंमाउनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। मैं उनके द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

महोदय, जन्म लेने के बाद बच्चा जिस भाषा में माता-पिता से लोरी सुनता है, जिस भाषा में अपने परिवार संगी-साथियों एवं अन्य परिजनों से बातचीत करता है, वह भाषा उसके तन-मन में समा जाती है। वह भाषा न केवल उसकी ज़ुबान पर विराजती है, बल्कि उसके खून में, उसके संस्कारों में और उसके स्वभाव में समा जाती है। ऐसी भाषा उसके अस्तित्व की मांग होती है। उसी मातृभाषा के सहारे लोगों में आपसी सद्भाव, स्नेह और प्रेम का विकास होता है। कहा भी है:

"अपनी भाषा यों फले जैसे मां का प्यार, मीठे बोलों से बने स्नेह भरा संसार।"

अतः हर व्यक्ति की स्वाभाविक कामना होती है कि वह अपनी मातृभाषा का विकास, प्रचार-प्रसार करे, इसी पवित्र भावना से ही प्रेरित होकर सतपाल महराज यह विधेयक लेकर आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा है तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाएं इसके समकक्ष हैं। जब संविधान लागू हुआ, उस समय केवल 14 भाषाएं ही इस अनुसूची में शामिल थीं। आज इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, संथाली तथा सिंधी भाषाएं समय-समय पर, जनभावनाओं को देखते हुए इस सूची में जोड़ी गयी हैं। इस विकास-क्रम में इस विधेयक को देखा जाना चाहिए। किसी भी जाति, समाज तथा देश की समृद्धि उसकी भाषा में रचे गए साहित्य से पहचानी जाती है। भारत अपनी जिस विद्या, ज्ञान और साहित्य के बल पर गौरव अनुभव करता है, उसमें सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों का अपना-अपना योगदान है।

मेरा निवेदन है कि भारतीय साहित्य, इतिहास और जीवन-शैली के विकास में हरियाणा और हरियाणवी भाषा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह भाषा हरियाणा प्रदेश के अलावा पश्चिमी

दिल्ली के हरियाणा प्रांत की सीमा से लगे भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों तथा पंजाब एवम् राजस्थान के काफी हिस्सों में लगभग चार करोड़ लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है।

आज भी करोड़ों लोग हरियाणवी गीतों, रागिनियों, सांगों तथा हास्य-विनोदों का आनंद उटाते हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हरियाणा में जन्में या हरियाणा से निकलकर विदेशों में बसे प्रतिष्ठित परिवारों में आज भी हरियाणवी भाषा बड़े चाव से बोली जाती है।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को हरियाणवी भाषा के उद्‌गम तथा विकास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हरियाणवी भाषा हिन्दी की खड़ी बोली से जुड़ी हुई है। डा. जैनेन्द्र के अनुसार हिन्दी की व्याकरण हरियाणवी भाषा पर आधारित है। यदि अवधी और भोजपुरी हिन्दी के पेड़-पत्ते हैं तो हरियाणवी इसकी जड़ है। हरियाणवी भाषा में लगभग 400 वर्षों से साहित्यिक काम हो रहा है। 18वीं सदी के कवि निश्चल दास और गरीब दास हरियाणवी भाषा के माने हुए संत कवि हैं। महाकवि सूरदार हरियाणवी ब्रज के कवि हैं। 19वीं शताब्दी में अली बख्श और अहमद बख्श रेवाड़ी से लेकर कुरुक्षेत्र तक हरियाणवी भाषा में सांग करते रहे हैं। मेरठ निवासी शंकरदास, हरियाणवी भाषा में कविता करते थे। प्रसिद्ध सांगी पंडित लख्मीचंद, मांगेराम तथा उनके अनेक शिष्य आज भी हरियाणा में अत्यंत लोकप्रिय हैं। पंडित मेहर सिंह जैसे भजनी और नंदलाल कुंदनलाल जैसे प्रचारक पूरे इलाके में मशहूर हैं। सेठ किरोड़ीमल जैसे दानीजन इन महान कलाकारों के भजन सुनने के लिए रायगढ़ में बुलाते थे। कुल मिलाकर हरियाणा के सांगियों और भजनियों की दस हज़ार से भी ज्यादा रचनाएं हरियाणा में लोकप्रिय हैं।

सभापति जी, एक रोचक तथ्य यह भी है कि हरियाणवी सांगों और भजनों के माध्यम से इकट्ठे किए दान से हरियाणा में करीब एक हज़ार गौशालाएं, पाठशालाएं, स्कूल, तालाब और कुएं बनवाए गए, जो आज भी हरियाणावासियों की सेवा कर रहे हैं। बल्लभगढ़, महरौली, नूह, गुड़गांव, पलवल, पहरावर की गौशालाएं हरियाणवी भाषा में रचित लख्मीचंद के सांगों के माध्यम से इकट्ठे किए गए दान से बनी हैं।

मैंने अभी जिन-जिन कवियों और कलाकारों के नाम गिनवाए हैं, उनके द्वारा रचित साहित्य और सांगों द्वारा लंबे समय से आध्यात्मिक ज्ञान, जनजागरण तथा समाजसुधार का महान कार्य संपन्न होता आया है। अभी भी जगह-जगह पर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र तथा राजस्थान के कुछ भागों में हरियाणवी रागिनियां बड़े शौक से गाई तथा सुनी जाती हैं।

मेरठ का नौचंदी मेला तथा गढ़मुक्तेश्वर के गंगा स्नान समागम में अभी भी हरियाणा के लोक गायक हरियाणवी भजन और रागिनियां गाते हैं और लोग बड़े चाव से सुनते हैं। यही समां हरिद्वार के कुम्भ के मेले में भी देखने को मिलता है। हरियाणा में लाखों की संख्या में जो लोग मेले और सम्मेलनों में आते हैं

तो उनका विशेष आकर्षण हरियाणवी रागिनियां या लोकगीत सुनना होता है। पूरे भारत में हास्य के नाम पर अगर किसी भाषा को सुना जाता है, हरियाणवी हास्य को।

सभापति जी, मैं आपके समक्ष यह विनम्र जानकारी देना चाहता हूं कि हरियाणवी भाषा एक ऐसी समृद्ध भाषा है जो संवैधानिक दर्जा पाए बिना भी अपना भाषाई दायित्व निभाती चली जा रही है।

सभापति जी, आज हरियाणवी भाषा के कवियों और साहित्यकारों की रचनाएँ बी.ए. से लेकर एम.ए. तक के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही हैं। अनेक शोध-छात्र हरियाणवी साहित्य पर पी.एच.डी. कर रहे हैं। अनेक पत्र-पत्रिकाएं हरियाणवी की कविताओं के साथ-साथ निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना और अनुवाद कार्य को प्रोत्साहन दे रही हैं। हिंदी की अनेक महानतम रचनाओं का हरियाणवी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। रामायण, गीता आदि ग्रंथों के अनेक हरियाणवी अनुवाद हो चुके हैं।

यह भी रोचक तथ्य है कि उर्दू भाषा का जन्म हरियाणवी सिपाहियों की खड़ी बोली और फारसी भाषा बोलने वाले मुगल सिपहसालारों के आपसी तालमेल से हुआ है। वर्तमान हरियाणा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में आमतौर पर सेना में भर्ती होने का प्रचलन रहा है। आज भी प्रायः हर गांव से हरियाण के रण-बांकुरे भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। कभी सेना के विदेशी मुगल सिपाही फारसी बोलते थे तथा भारत के सैनिक खड़ी बोली बोलते थे। इन्हीं दोनों के आपसी संवाद से ही हरियाणवी भाषा अपने वर्तमान रूप में फली-फूली है।

हरियाणा का अपना गौरवशाली इतिहास है। मेरा संसदीय क्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण तथा सर्वश्रेष्ठ वीर अर्जुन के आपसी संवाद 'गीता' का गवाह है, जिसकी प्रसिद्धि विश्व के हर कोने में फैली हुई है। गीता विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद हरियाणवी सहित विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में हुआ है तथा जिसमें हर मानसिक व्यथा का समाधान और निदान निहित है। मुझे गर्व है कि इस संसद में मुझे इस धर्मक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दो बार प्राप्त हो चुका है। मेरा आशय यह है कि हरियाणवी भाषा देशभक्तों और रणबांकुरों की भाषा है। इसे बोलने तथा समझने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा प्रदेश तथा हरियाणवी बोलने व समझने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इस भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। ऐसा किए जाने से हर हरियाणवी गौरव महसूस करेगा तथा इस भाषा के समग्र विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेगा।

मेरे से पहले इस चर्चा में भाग लेते हुए माननीय सदस्यों ने अपने प्रांत तथा वहां प्रचलित भाषा का गुणगान किया है। मैं उनके प्रांत-प्रेम तथा निज भाषा-प्रेम का आदर करता हूं। मुझे भी अपने प्रांत हरियाणा

तथा वहां की भाषा हरियाणवी से उतना ही प्यार है। हरियाणा निवासी अपने सीधे-साधे अल्हड़ स्वभाव, मन की सादगी तथा विचारों की स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। हरियाणवी में आपको भी कुछ बोलकर सुनाता हूं।

एक बार एक आदमी हरियाणा में एक ताऊ के पास गया और बोला कि ताऊ मने तेरी घोड़ी दे दे। ताऊ ने मना किया तो वो वापस चला गया। उसके बाद ताऊ ने उसे वापस बुला लिया और कहा कि घोड़ी तो कोई नहीं और होती तो भी तन्ने देता नहीं। हरियाणवी भाषा सुंदर, स्पष्ट, सरल तथा सीधी है। इसमें लाग-लपेट के लिए स्थान नहीं है। यही इसकी विशेषता है। यह वीरों की भाषा है। इसमें पराक्रम और अल्हड़पन का संगम है। आज भारत को इसी बेबाक पराक्रम की आवश्यकता भी है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरियाणा के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोकगीत - मेरा झूमर मंगा दे रे, ओ नंदी के बीरा - ने धूम मचाकर सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का स्थान प्राप्त किया था। जिन्होंने भी इस गीत तथा प्रस्तुति को देखा था वह आज भी उसे भुला नहीं सके हैं। इस प्रकार के लोकगीत, भजन, रागिनियां जीवन के हर प्रसंग से जुड़कर हरियाणवी भाषा को सुसज्जित कर रहे हैं

सभापति महोदय, यह भाषा सुनने वाले का मन मोह कर अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। मैं माननीय मंत्री जी का, जो हमारे पड़ोस के राज्य राजस्थान से आते हैं, वे हरियाणा के लोगों की भावना का आदर करते हुए न केवल कुमाऊँनी, गढ़वाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अश्वासन देंगे, बल्कि हरियाणवी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल करके देश के पौरष और अल्हड़पन को बनाए रखने का निश्चित आश्वासन प्रदान करेंगे।...(व्यवधान) आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा भी होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जितनी अच्छी तरह से भाषाएं बोलते थे, उतनी अच्छी तरह से हम नहीं बोलते हैं। अगर हम अपने बच्चों को देखें तो वे अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए। अगर हम इन भाषाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो आगे आने वाले 50 या 100 वर्षों में क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो जाएंगी और इसके लिए हम दोषी होंगे। सरकार की तरफ से इन भाषाओं को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया जाना चाहिए। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका हमें संरक्षण चाहिए, जिससे कि मंत्री जी हमारी प्रार्थना को मानें। मेरे कहने का सारांश है कि इन क्षेत्रीय भाषाओं को लुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे और माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं का सम्मान करेंगे।

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, सतपाल महाराज जी प्राइवेट मेम्बर बिल के जरिये विधेयक प्रस्तुत किया है कि गढ़वाली और कुमाऊँनी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

16.53 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

मैं मानता हूं कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखता है, तो वह मातृभाषा द्वारा ही सीखता है। सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति को ज्ञान हासिल होता है, तो वह मातृभाषा द्वारा ही होता है। मैं महात्मा गांधी जी की एक बात को सदन में कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी जब 9 जनवरी, 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वह दिन देश भर में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था -" मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आत्महत्या ही करते हैं तथा यह उन्हें अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करती है।" अनिवार्य शिक्षा कानून में भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराने का प्रावधान रखा गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने क्यों अनिवार्य शिक्षा का कानून पास किया है और महात्मा गांधी जी की बात को भी भुला दिया और राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा है कि आठवीं कक्षा तक की शिक्षा आप मातृभाषा में देंगे और प्राइमरी शिक्षा तो मातृभाषा में ही देंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा अनुच्छेद 29 (2) एफ के बारे में कह रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने पूरे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया और उसमें 29 (2) एफ का प्रावधान किया और मातृभाषाओं को मान्यता नहीं दे रहे हो, यह कन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा कन्ट्राडिक्टरी कानून बनाने का क्या आपको अधिकार था और अगर बना भी लिया है, तो उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि गढ़वाली को मान्यता मिले, कुमाऊनी को मान्यता मिले। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्री हुक्देव नारायण यादव जी यहां बैठे हुए हैं, यह अभी हमसे चर्चा कर रहे थे कि जब एनडीए का शासन था तो अटल जी के सामने मैथिली को मान्यता देने का मसला आया और मैथिली का सम्मान करते हुए अटल जी ने तनिक भी नहीं सोचा और तुरंत ही मैथिली को मान्यता दिलाई। गृह मंत्रालय में मंत्री जी बैठे हैं, जब इश्यु आया कि भाषाओं को मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए तो उन्होंने एक सीता कान्ता महापात्रा कमेटी बनाई और सीता कान्ता महापात्रा कमेटी ने जितने भी प्रस्ताव पैंडिग थे, उन सबका अध्ययन किया। वैसे हम कहते हैं कि सबको मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन सीता कान्ता महापात्रा कहता है, वह एक एक्सपर्ट थे और उड़ीसा के थे। उन्होंने कहा कि भोजपुरी और राजस्थानी दो ऐसी भाषाएं हैं कि यदि इन्हें तुरंत मान्यता दें तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हमारे सांसदों

ने यह मामला उठाया। हालांकि जब से यह हाउस बना है, तब से लगातार राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, यह विषय आता रहा है। नागौर से डा.ज्योति मिर्धा जी अभी मेरे साथ हाऊस में आ रही थीं, वह मुझसे कह रही थीं कि राजस्थानी के बारे में आप जोर से बोलना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले भारत सरकार यह ऑब्जैक्शन करती थी कि राजस्थान विधान सभा से सर्वसम्मत स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है। इस कारण से हमारे प्रपोजल अटक जाते थे। मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा का ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन मंत्री जी आपकी सरकार थी। आप भी एम.एल.ए. थे, हाउस में थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : हां, तब मैं एम.एल.ए. था।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हमारे सारे विपक्ष ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि इस भाषा को दस करोड़ लोग बोलते हैं। उस समय यह विवाद था कि दस करोड़ लोग कहां होंगे। मैं आपको बताता हूं कि छः करोड़ लोग राजस्थान में हैं, एक करोड़ लोग नार्थ ईस्ट में कोलकाता, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में हैं, जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, अब चाहे वहां बस गये हों। उसके बाद एक करोड़ लोग शेष भारत में हैं और एक करोड़ लोग भारत को छोड़कर पूरे संसार में हैं, फिर लोगों ने कहां कि दस करोड़ कैसे हुए। हमारे एक करोड़ लोग पाकिस्तान में भी हैं। ऐसा करके दस करोड़ लोग हैं और यह दस करोड़ लोगों की भाषा है, यह बहुत पुरातन और प्राचीन भाषा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 25 अगस्त, 2003 का विधानसभा प्रस्ताव आने पर संसद में चर्चा हुई और हमारे श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने 17 दिसम्बर, 2006 को लोक सभा में आश्वासन दिया, यह 14वीं लोक सभा का आश्वासन था, उन्होंने कहा था कि हम इसी सत्र में राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को मान्यता देने के प्रस्ताव का बिल लेकर आयेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जब मैं चर्चा कर रहा था तो लोगों ने कहा कि इस हाउस की सैंक्टिटी कम हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हाउस सबसे बड़ा हाउस है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर उस हाउस में किसी मंत्री के द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है तो उसकी पालना जरूर होनी चाहिए नहीं तो क्या होगा कुछ लोग कहेंगे We, the people of India फिर आप कहेंगे कि न्यायपालिका सक्रिय हो गई है, फिर आप कहेंगे की मीडिया सक्रिय हो गया है, क्यों नहीं होगा। जब हम अपने निर्णय की पालना नहीं करेंगे, अपने आश्वासन की पालना नहीं करेंगे तो मीडिया भी सक्रिय होगा और ज्यूडिशियरी भी सक्रिय होगी। इसलिए इस हाउस की सैंक्टिटी बनाये रखने के लिए जो भी आश्वासन श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने दिया था, जो उस समय गृह मंत्री थे, वह आश्वासन पूरा किया जाए और मेरा इससे भी आगे बढ़कर कहना है कि भोजपुरी,

राजस्थानी, पहाड़ी, कुमाऊनी और अभी हमारे मित्र, श्री नवीन जिंदल हरियाणा की बात कर रहे थे, इन सबको भी मान्यता मिलनी चाहिए। जब हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं और महात्मा गांधी ने कहा था कि मातृभाषा में ही बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है तो फिर क्या हम महात्मा गांधी जी को भी श्रद्धांजलि देना भूल गये।

17.00 hrs.

महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना है, मंत्री जी भी राजस्थान से आते हैं और इनके मंत्रालय में यह मामला अटका हुआ है। अटल जी ने मैथिली को सम्मान देने में तनिक भी समय नहीं लगाया था। हुक्मदेव यादव जी, शायद आपको याद होगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): मैथिली के साथ और भी चार भाषाएं थीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैथिली के साथ और चार भाषाओं को सम्मान देने में अटल जी ने तनिक समय नहीं लगाया था। जितने भी प्रस्ताव पेंडिंग हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें क्या बजट लगता है? भारत सरकार कह सकती है कि इसमें तो बजट लगता है, इसके लिए बजटरी एलोकेशन नहीं है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि देश में जितनी भी बोली जाने वाली भाषाएं हैं और उनका इतिहास है, उनके लेख हैं, उनके साहित्यकार हैं तो उन्हें मान्यता देने में कौन सा बजट लगता है, उसमें कुछ बजट नहीं लगता है। यह काम तो ये कर ही सकते हैं। अभी हुक्मदेव जी कह रहे थे कि आप थोड़ा राजस्थानी में भी बोलना। ज्योति जी, क्या मैं कुछ राजस्थानी में भी बोलूं?

सभापति महोदय: आप बोलिये।

अनेक माननीय सदस्य : बोलिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मंत्री जी भी आ गये हैं। मान्यवर, हमारी भाषा तो वह भाषा है, जो अकबर को भी सोने नहीं देती थी। अकबर के एक ही राजा कब्जे में नहीं आये थे, वे थे महाराणा प्रताप। एक हमारे राजस्थानी कवि ने लिखा है-

माई एहडा पूत जन, जेहडा राणा प्रताप।
अकबर सुतो औजके, जाने सिराने सांप।।

महोदय, अकबर को रात को भी नींद नहीं आती थी कि कहीं महाराणा प्रताप आ तो नहीं गया है। जिस भाषा ने अकबर को डराया था, हमारी ऐसी भाषा है। इस भाषा के बारे में कुछ कवियों ने यह भी कहा है, यह एक कवि की कल्पना है-

रोटी-बेटी आपणी, भाषा अर बोवार।
राजस्थानी है भाई, आडो क्यूं दरबार।।

यह दरबार आडे क्यूं आ गया, दरबार का मतलब आप, नवीन जी मेरी बात को समझ गये हैं, इस दरबार का मतलब आप, दरबार का मतलब सरकार से है। रोटी-बेटी आपणी, भाषा अर बोवार, राजस्थानी है भाई, आडो क्यूं दरबार, वह आडे क्यूं आ गया है, सरकार यह ऑब्स्ट्रैक्शन पैदा क्यों कर रही है? एक कवि ने और लिखा है- मायड भाषा भली घणी, जो मातृभाषा होती है, वह मीठी लगती है, अच्छी लगती है, इसलिए लिखा है- मायड भाषा भली घणी, ज्यूं व्है मीठी खांड, जैसे चीनी मीठी होती है, ऐसे ही मायड भाषा मीठी होती है।

मायड भाषा भली घणी, ज्यूं व्है मीठी खांड।
पर भाषा नै बोलता, जाबक दीखै भांड।।

मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, अमेरिका ने जो इस राजस्थानी भाषा को सम्मान दिया है, वह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप देखिये अमेरिका ने राजस्थानी भाषा को सम्मान दिया है। 24 जून 2011 को अमेरिका ने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल अपाइंटमेंट की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया है। अमेरिका राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रहा है, लेकिन भारत राजस्थानी को मान्यता नहीं दे रहा है, यह कैसी और किस तरह की अनदेखी है?

महोदय, चूंकि आपका प्रस्ताव है, आप पीठ पर विराजमान हैं और माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं।

सभापति महोदय : यह राजस्थानियों के लिए बड़े गौरव की बात है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, यह राजस्थान के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। यह वीरता की भाषा है, प्रेम की भाषा है। इतनी मीठी भाषा को अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो इस सदन में भी मिठास थोड़ी कम रहेगी, मामला खट्टा हो जायेगा। अगर इस सदन की मिठास बढ़ानी है, तो मातृभाषाओं को मान्यता देनी ही होगी। गांधी जी का यह सपना था कि मातृभाषा में ही बच्चा सबसे ज्यादा विकसित होता है, सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए माननीय मंत्री जी इसके लिए हमारा आपसे करबद्ध अनुरोध है। बहुत से लड़के हैं, जो विश्वविद्यालयों में भाषा पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, आकाशवाणी में काम करना चाहते हैं, उन्होंने नेट क्लियर किया हुआ है, ऐसा करने से बेरोजगारी की समस्या से उन्हें निजात मिलेगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थानी भाषा की अस्मिता का सवाल है।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): यहां पर भी एक-दो इंटरप्रैटर बैठेंगे और उन्हें भी रोजगार मिलेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हां, यहां भी एक इंटरप्रैटर होगा, इंटरप्रैटर की बात से ज्योति जी आपने ठीक याद दिलाया, गुजराती को इन्होंने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया, लेकिन यहां उस भाषा का इंटरप्रैटर नहीं है। मेरे माननीय साथी गुजराती में बोलना चाहते हैं तो इनसे कहा जाता है कि इंटरप्रैटर नहीं है। यह क्या समस्या है?

डॉ. ज्योति मिर्धा : उन्हें भी रोजगार मिलेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हां, रोजगार मिलेगा, इसलिए जितने भी 38 या 40 प्रपोजल हैं, मैं कह रहा हूं कि इसमें बजट की समस्या आड़े नहीं आ रही है। इन सबको मान्यता दे दो तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, 40 इंटरप्रैटर भी लगेंगे और जिस क्षेत्र से लोग आएँगे, उस क्षेत्र से लोगों को इंप्लॉयमैंट भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। सम्मान के लिए ही यह देश है। यह संस्कृति तभी जीवित रहेगी, जब मातृभाषा को मान्यता मिलेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बड़ा ही अच्छा संयोग है कि माननीय सदस्य श्री सतपाल महाराज जो आसन पर विराजमान हैं, उनका ही यह विधेयक है और उस पर हमें समर्थन करने का मौका मिला। महोदय, यह विधेयक है कि कुमाऊँनी और गढ़वाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं डॉ. लोहिया के आह्वान से शुरू करता हूँ कि -

"अंग्रेज़ी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा
डॉ.लोहिया की अभिलाषा, चले देश में अपनी भाषा। "

महोदय, देशी भाषाओं की मर्यादा कम हुई है। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन देश से अभी तक अंग्रेज़ी नहीं गई। देशी भाषाओं को लोगों ने कमज़ोर किया, इसकी उपेक्षा की गई।

मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं कुमाऊँनी के इतिहास में जाना चाहता हूँ। 1000 वर्ष से कम का इसका इतिहास नहीं है। वहाँ पहाड़ी हिन्दी कहा जाए, पहाड़ी भाषा कहा जाए, मध्य हिमालय में कुमाऊँनी और गढ़वाली, पश्चिम में गढ़वाली और पूर्व में कुमाऊँनी भाषाएँ वहाँ की पुरानी भाषाएँ हैं। ये बड़ी समृद्ध भाषाएँ हैं और इसका इतिहास है। इसमें एक से एक कलाकार हुए हैं, लेखक हुए हैं। हिन्दी में छायावाद के मशहूर कवि सुमित्रानन्दन पंत ने भी कुमाऊँनी में अपनी रचनाएँ की हैं। वे केवल ऐसे एक कवि नहीं हुए। मैं देखता हूँ कि पुराने समय से जिस समय कत्यूरी राजाओं का राज था, चंद राजाओं का राज था, वहाँ दो वंशों की हुकूमत चली है। दोनों वंशों की हुकूमत में राजभाषा जहाँ हिन्दी थी, वहाँ लोकभाषा और जनभाषा कुमाऊँनी और गढ़वाली थी। इसकी दस उपबोलियाँ थीं। हमारे देश में तो कहा जाता है -

"कोसे कोसे पानी बदले, चार कोस पर बानी,
मुंडे मुंडे मतिर बदले, यह बात है पुरानी।"

पुराने ज़माने से कहा जाता है कि कोस भर चलेंगे तो पानी बदल जाएगा। इस गाँव का पानी कुछ है तो अगले गाँव में कुछ और पानी होता है लेकिन चार कोस पर, यानी 12 किलोमीटर पर बोली बदलती है। हमारे देश में कितनी भाषाएँ हैं? जनगणना के मुताबिक 114 भाषाएँ हमारे देश में हैं और 212 मातृभाषाएँ हैं। दुनिया भर में तो 3000 से अधिक भाषाएँ हैं और कुछ भाषाएँ लुप्त हो रही हैं, कुछ भाषाओं को तो 15, 50 या 100 आदमी ही बोलते हैं। वे भाषाएँ लुप्त हो रही हैं। हमारे देश में भी भाषाएँ लुप्त हो रही हैं। उन भाषाओं को बचाना चाहिए, उस लिपि को बचाना चाहिए। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ हैं लेकिन गढ़वाली, कुमाऊँनी, मराठी और हिन्दी सभी की देवनागरी लिपि है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्व है। कंप्यूटर के हिसाब से भी लोग कहते हैं कि यह सबसे वैज्ञानिक भाषा है। अंग्रेज़ी के लोग अंग्रेज़ी को धनी और विकसित भाषा कहते हैं, जहाँ शब्दों की इतनी कमी है कि दुनिया भर में अंग्रेज़ी शब्दों की संख्या

लगभग सवा दो लाख होगी। देशी भाषाओं में शब्दों की संख्या सवा छः लाख है। अंग्रेज़ी को लोग धनी भाषा कहते हैं। महोदय, हमारे यहाँ रिश्ता होता है - साला है, जीजा है, बहनोई है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for this discussion on the Bill is over. I have five speakers on this Bill. If the House agrees, the time for the discussion on the Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time for the discussion on the Bill is extended by one hour.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अंग्रेजी भाषा को लोग वैज्ञानिक समृद्ध कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि हिन्दी भाषा में क्या खूबी है। जितना लिखना, उतना पढ़ना और उतना ही बोलना। अंग्रेजी का through, बोलना डेढ़ अक्षर और लिखना t,h,r,o,u,g,h छः अक्षर लिखना। लिखना कुछ, बोलना कुछ और पढ़ना कुछ। इतना ही नहीं, एक जगह b,u,t बट तो दूसरी जगह p,u,t पुट। जहां बुट होना चाहिए वहां बट है और जहां पट होना चाहिए था, वहां पुट है। इसलिए जैसा चाहे वहां वैसा इस्तेमाल होता है। टी का उच्चारण कहीं, ट है, कहीं द है, कहीं स है और कहीं ब है। आप लेफ्टिनेंट की स्पैलिंग लिखकर देख सकते है। मैं भाषा विज्ञान में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा-मोटी अंग्रेजी में सार और बहनोई में कुछ फर्क है! यह भाषा की दरिद्रता है या धनीपन है। बर्दर इन लॉ मतलब सार, ब्रदर इन लॉ माने बहनोई। सार-बहनोई में अंग्रेजी में कोई फर्क ही नहीं है। हमारे यहां सभी के लिए अलग-अलग शब्द है। अलग-अलग व्यवहार है। कहते हैं कि अंग्रेजी धनी भाषा, काबिल लोगों की भाषा है। इसीलिए गड़बड़ी हुई है। देसी भाषा, अपनी मातृभाषा समृद्ध है। जितनी बात हम अपनी मातृ भाषा में कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में तो उसके लिए प्रयत्न करना होगा। इसीलिए कुमाऊंनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश का इतिहास विवादित है। कोई कहता है कि शाक्य और कस्सय के हिसाब से पुराने जमाने में भाषा में हेर-फेर हुआ है। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने, जिनमें डॉ. नामवर सिंह ने यह सोच रखा है कि शौरसेनी अपभ्रंश से कुमाऊंनी और गढ़वाली का निर्माण हुआ है। शौरसेनी प्राकृत को भी कहते हैं। पुराने ज़माने से संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, मगधी, अर्द्धमाग्धी और जितनी भाषाएं हैं और फिर हिन्दी। अमीर खुसरो ने हिन्दी की शुरूआत की कि सरहपा जो सिद्ध के 80 योगी हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, सरहपा के समय से हिन्दी की शुरूआत हुई। पहले तो खड़ी बोली ब्रज भाषा में चलता था। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री, श्री भारतेन्दु हरिश्चंद्र के समय में विवाद हुआ कि नहीं हिन्दी और खड़ी हिन्दी में भी कविता की रचना की जा सकती है। नहीं तो पहले ब्रज भाषा में कविता चलती थी। इसलिए भाषा का बड़ा भारी

जंजाल है। लेकिन कुमाऊंनी में लोकरत्न पंत कुमानी, महान कवि, उनका महान काव्य है। श्री कृष्ण पांडे, भारी कवि हुए हैं। श्री ज्वाला दत्त जोशी, श्री लीलाधर जोशी, श्री लालाधर जोशी, श्री चिंतामणि जोशी, बाइबिल, दुर्गा-चण्डी, पाठ सार का अनुवाद कुमाऊंनी में किया और फिर दस कुमार चरित का अनुवाद किया। श्री गौरी दत्त पांडे, श्री शिव दत्त सती। श्री सुमित्रानंदन पंत हिन्दी के मशहूर छायावादी कवि हैं। बाबू जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा महान कलाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार हुए हैं। ये हिन्दी के स्तम्भ हुए हैं। दैदीप्यमान सितारे हैं। इन सभी पर हम को गौरव है। सुमित्रानंदन पंत ने कुमाऊंनी में रचना की। प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट अभी के विद्वान हैं। श्री जगदीश जोशी, श्री दीपक कार्ली, श्री बहादुर बोहरा श्री बंधु, ये सभी एक से एक महान कलाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि और पत्रकार हुए हैं। भाषा वह होती है जिसका व्याकरण हो, समृद्ध साहित्य हो, अथवा उनमें पत्रिकाएं निकलती हों।

महोदय, हमें कुमाऊंनी का हजार वर्षों का इतिहास मिला है। लेकिन, हमें लगता है कि पुराने जमाने में जो ताम्र-पत्र आदि मिले हैं, उसके अनुसार गढ़वाली का 250-300 वर्षों का इतिहास मिलता है। पंडित लीलानन्द कोटनाला ने गढ़ गीता की रचना की। हरिकृष्ण दौरगादत्ती ने चेतावनी नामक ग्रंथ लिखा। श्री सत्य शरण रातुरी, श्री तारादत्त गैरोला, श्री महन्त योगेन्द्र पुरी, श्री चक्रधर बहुगुणा, श्री श्याम चन्द नेगी, श्री भजन सिंह, डॉ. शिवानन्द नौटियाल, डॉ. हरिदत्त भट्ट शैलेष, श्री ललित केशवान, डॉ. उमाशंकर समदर्शी, श्री अबोध बन्धु बहुगुणा इत्यादि ऐसे एक से एक महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने साहित्य, उपन्यास, कविता, और महाकाव्य की रचना की है। मैं इन कलाकारों, साहित्यकारों, विद्वानों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सदन में मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह एक समृद्ध, सक्षम और लोक भाषा है।

यह लोकतंत्र है। लोक भाषा, लोक भेष, लोक भूषा, सभी मिलकर लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र वही होता है जहां लोक भाषा, लोक भेष, लोक भोजन चले। आजकल लोग नकल करके विदेशी चीज़ों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। महोदय, लोकतंत्र के लिए लोक भाषा अपनी चीज है। इसको उजागर करने की जरूरत है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की धारा 343 में हिन्दी के राजभाषा होने की घोषणा की। अनुच्छेद 344 में हिन्दी राजभाषा समिति का गठन किया गया। इसमें लोक सभा के बीस और राज्य सभा के दस सदस्य होंगे। गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यहां संसद ने वर्ष 1963 में इसके संबंध में कानून पारित किया। वर्ष 1963 में कानून बनाने के बाद वर्ष 1976 में नियमावली बनी कि राजभाषा कैसे लागू हो, देशी भाषा का कैसे विकास हो। इसलिए यह सवाल है कि देशी भाषा चलनी चाहिए।

महोदय, अब मैं आठवीं सूची पर आ जाता हूं। आठवीं सूची में बाइस भाषाओं को दर्ज़ किया गया है। अटल जी ने मैथिली को शामिल किया। अभी उसमें 38 भाषाओं को शामिल करने की मांग की गयी है। श्री नवीन जिंदल हरियाणवी भाषा को आठवीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हरियाणवी कोई अलग भाषा नहीं है, वह तो हिन्दी है। पहाड़ी भी हिन्दी है। कुमाऊंनी और गढ़वाली को भी पहाड़ी हिन्दी कहते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में लोग अलग-अलग ढंग से इन्हें बोलते हैं। लेकिन इन सबका मूल एक है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। लेकिन, महोदय गृह मंत्रालय के पास आठवीं सूची में शामिल करने हेतु जिन 38 भाषाओं की सूची की मांग पड़ी हुई है, उसमें हरियाणवी नहीं है। अन्य सभी भाषाएं हैं।

महोदय, अब मैं बताता हूं। उस समय बिना कायदा-कानून के, जैसे-तैसे बाइस भाषाओं को शामिल किया गया। अब देश भर से सवाल उठ गया है। वर्ष 2003 में सीताकांत महापात्रा कमेटी बनाई गयी। वर्ष 2004 में इसने रिपोर्ट दिया। सरकार ने इन आठ वर्षों में महापात्रा कमेटी की अनुशंसाओं के लिए क्या किया? उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? यह किस कारण से रूका हुआ है, मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं। आपकी नीति क्या कहती है? क्या महापात्रा कमेटी ने आपको मना किया? क्या कमेटी ने आपको कहा कि इस पर केवल विचार करते रहिए और कुछ नहीं करिए? इसलिए, यह सवाल उठ रहा है? कुमाऊंनी, गढ़वाली, और अन्य भाषाओं के लिए मांग बढ़ रही है। जैसे राजस्थानी भाषा के लिए श्री मेघवाल जी बोल रहे थे, उधर हरियाणवी भाषा के लिए माननीय सदस्य बोल रहे थे।

महोदय, एक भाषा है भोजपुरी। विश्व भोजपुरी सम्मेलन का छठा सम्मेलन हो चुका। यहीं पर स्पीकर आसन से माननीय अध्यक्ष महोदया ने दो-दो बार जाकर उसे इनॉगोरेट किया है। जब विश्व भोजपुरी सम्मेलन होता है तो उसमें सभी पार्टी के बड़े-बड़े नेता गए। उसमें बाबू जय प्रकाश नारायण अग्रवाल भी गए होंगे। इन्हें तो विश्व भोजपुरी सम्मेलन में न्यौता मिलता ही है। आपके बिना वह कैसे चलेगा? उसमें क्यों नहीं भोजपुरी का हुआ? क्या क्राइटेरिया है, सीताकांत महापात्रा कमेटी ने क्या कहा? 20-22 करोड़ की आबादी के लोग दुनिया भर में भोजपुरी बोलते हैं, वह भी समृद्ध भाषा है। बाबू कुंवर सिंह जी के उसमें चार-चार महाकाव्य हैं। "बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला गुलाल।" कुंवर सिंह जी का गीत वहां गांव-गांव में प्रचलित है। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सल्तनत से चुनौती स्वीकार की थी। उन्होंने कई लड़ाईयों में अंग्रेजों को पराजित किया। उनका सेना-सिपाही, डगलस और ली ग्रांट एक से एक बहादुर सेनापति थे। बाबू कुंवर सिंह जी का नाम सुन कर अंग्रेजी सेनापति भाग गए थे। उसमें सारी गाथा है - "छुरी कटारी बिके इहमा, चूड़ी हारीन आवत नाहीं।" बाबू कुंवर सिंह को गोली लगी, उन्होंने गंगाजी में अपना हाथ डाल दिया। वहां काट कर चढ़ा दिया। एक कवि लिखते हैं कि पानी कहते हाथ को, बाबू कुंवर

सिंह जी ने अपने हाथ को गंगाजी में डाल दिया, गंगाजी का पानी उसे बहाते हुए चल रहा है। उसे जमीन पकड़ रही है कि यह हमारा पानी है, हमारी इज्जत है, इसे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये सब भाषाओं में खूबियां हैं। इस तरह के भाव उनकी कविताओं में व्यक्त किए गए हैं। भिखारी ठाकुर, शेक्सपियर, अंग्रेजी के 80 हजार शब्द जानने वाले शेक्सपियर हो गए और भिखारी ठाकुर, उनका वहां प्रदर्शन हुआ, विधि व्यवस्था भंग हुई, वहां इतने लोग जुटे, वहां कभी शांतिपूर्वक कुछ हुआ ही नहीं। जैसे संस्कृत के कालीदास हुए, अंग्रेजी में शेक्सपियर हुए और भोजपुरी में भिखारी ठाकुर हुए। भिखारी ठाकुर की एक से एक रचना है और उनका जो प्रदर्शन हुआ, उनकी जो कला है तो भोजपुरी अभी तक क्यों नहीं हुई?

श्री मेघवाल जी बता रहे थे कि इसमें तीन-चार बार सवाल उठा, ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव आया। सभी पक्ष से सभी माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन किया, फिर क्यों नहीं हुआ? कहां, कौन सी शक्ति रोक रही है? श्री शिवराज पाटील, तत्कालीन होम मिनिस्टर ने सदन में कहा। श्री प्रकाश चंद जायसवाल ने सदन में कहा कि हम तुरंत विचार करते हैं, कार्यवाही करते हैं, तुरंत निर्णय करते हैं। इसे कौन सी कमेटी ने अभी तक रोका हुआ है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, 38 भाषाओं की मांग है। उसमें एक वर्जिका लिच्छवी रिपब्लिक की भाषा है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा - "वैशाली जन का प्रतिपालक, गणका आदि विधाता, जिसे खोजता देश है आज, उस प्रजातंत्र की माता, रुको पथिक एक क्षण मिट्टी को शीश नवाओ, राजसिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ।" वैशाली, लिच्छवी रिपब्लिक वर्जी संघ के बारे में आप जानते होंगे कि आज से ढ़ाई हजार वर्ष पहले वहां भगवान बुद्ध गए थे। उन्होंने कहा - "बजिनाम सत् अपरिहानियां धम्मा।" पाली में, Certain virtues of Bajjians leading not to decline. भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा, आनन्द, यहां वर्जी संघ के लोग बार-बार असेम्बल होते हैं, एक साथ बैठते हैं। हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ढ़ाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि जहां सात धर्मों का पालन होगा, वहां समाज तरक्की करेगा, उसकी अवनति नहीं होगी। मैं इन सात धर्मों के बारे में संक्षेप में बताता हूं। बजिनाम सत् अपरिहानियां धम्मा, यहां लोग बार-बार असेम्बल होते हैं। दूसरा, आपस में राय-मश्विरा करके निर्णय करते हैं, उसे लागू करते हैं। तीसरा, नियम बनाते हैं, तब हुक्म जारी करते हैं। यहां हम लोग नियम बनाते हैं, तब सरकार आदेश निकालती है। Democracy is the rule of law. वहां से शुरू हुआ, उस समय में दुनिया में डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं जानता था। हमें ये सिखाने आए हैं। हमने एब्राहम लिंकन से डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं सीखी है। हमारे पुरखों ने तीन हजार वर्ष पहले डेमोक्रेसी को पैदा किया है। चौथा, यहां बुजुर्गों की इज्जत है। जहां बुजुर्गों का कहा लोग मानते हैं। जिस समाज में बुजुर्गों की इज्जत होगी, सम्मान होगा, उनका कहा माना जायेगा-नम्बर चार। नम्बर पांच-यहां महिलाएं और बच्चे

सुरक्षित हैं, महिलाओं और बच्चों की पूरी सुरक्षा है। नम्बर छः-यहां पवित्र स्थल का सम्मान है, उन्होंने चैत्य कहा, चैत्य पवित्र स्थल है, जन्मभूमि है, इन सभी का सम्मान होगा और फिर धर्माचार्य, ज्ञानी, विज्ञानी, ध्यानी, इनका भी सम्मान है, सुरक्षा है। जिस समाज में इन सात धर्मों का पालन होगा, वह समाज तरक्की करेगा, उसकी अवनति नहीं होगी। यह भगवान बुद्ध का वचन आज से 2500 वर्ष पहले वैशाली में शिष्य आनन्द से उन्होंने कहा, इसलिए वहां की भाषा बज्जिका है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा कि बज्जिका जनतंत्र की भाषा है, यह लिच्छवी रिपब्लिक, बज्जी संघ की भाषा है। उसकी मांग भी सूची में है।

उधर अंगिका, अंग देश पुराने जमाने में दानी राजा कर्ण के प्रदेश को लोग कहते थे...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अंग देश का राजा था।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए अंगिका का भी इसमें नाम है। अन्य जो 38 भाषाओं का नाम है, उन 38 भाषाओं में कौन-कौन सी भाषाएं यहां सरकार के पास पड़ी हुई हैं, अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुन्देलखण्डी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली। महोदय, इसमें गढ़वाली भी यहां विचार में है। फिर गोंडी, गुज्जर/गुज्जरी, हो, कच्छी, कामतापुरी, कारबी, खासी, कोडावा, कोक बरक, कुमाऊंनी, कुरक है। ये सभी भाषाएं यहां पड़ी हुई हैं, इन पर क्यों निर्णय नहीं हुआ, क्यों सरकार अनिर्णय की स्थिति में है?

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : इसमें राजस्थानी भी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हां, राजस्थानी भी है। इसमें लेप्चा, लिम्बू, मिजो, मगही, मुंडारी, नागपुरी, निकोबारी, पहाड़ी, राजस्थानी, सम्भलपुरी/कोसाली, सौरसेनी, सिराइकी, टेनयिडी और टुलू, ये सभी भाषाएं हैं। सरकार कौन सी उलझन में है और इनडिसीज़न में सरकार क्यों है? सीताकान्त महापात्र कमेटी की रिपोर्ट जब 2004 में आ गई तो आठ वर्षों तक सरकार ने क्या किया, जबकि यह सवाल यहां उठ रहा है? जनमत में सरकार हार का मुंह देख रही है, लोगों की मांग, सम्मेलन, आन्दोलन, ये सभी चल रहे हैं। उसके बाद भी सरकार बेखबर है और इसमें उखाड़-पछाड़, तोड़-फोड़ सरकार चाहती है कि जब वह होगा, तब लोगों की बात सुनी जायेगी? इसीलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं, आपका जो निजी विधेयक आपने मूव किया है, इसमें कुमाऊंनी और गढ़वाली का समर्थन करते हुए अन्य भाषाएं जो हैं, भोजपुरी है, नहीं तो सरकार बताये कि इनको क्या कठिनाई है? नहीं तो वह बताये कि जो 22 का निर्णय हुआ है, उसका क्या क्राइटीरिया है।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): आपने हरियाणवी का समर्थन नहीं किया।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हरियाणवी का जिक्र कैसे करें, यह तो आपकी सूची में है ही नहीं तो यहां भाषण करने से क्या होगा। हरियाणवी तो हिन्दी है, वह कौन सी अलग भाषा है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : ये क्या करेंगे, सीताकान्त महापात्र की रिपोर्ट को इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है, जिसने कहा है कि पेपर सैट करने वाले हमारे पास नहीं हैं। यह क्या तरीका है?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये, उनको बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, अब समाप्त करें, कन्क्लूड करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए सरकार इस पर संवेदनशील हो और सरकार सदन की, लोगों की राय की परवाह करे। यह डैमोक्रेसी नहीं चलती, जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती, इसलिए महापात्र कमेटी आपने बताई, ठीक है। उस पर कार्रवाई को यदि रोक दिया तो यह भी बता दीजिए कि कमेटी को रोक दिया है, हमारे हाथ-पैर बांध दिये, हमको कुछ नहीं करना है और आठ वर्ष में आपने कुछ नहीं किया, 38 मांगें आपके पास पड़ी हुई हैं, उसमें यह सवाल अभी आया है, लेकिन भोजपुरी और अन्य सवाल हैं, उसमें हरियाणवी भी हो जाये तो हमको क्या हर्ज है, लेकिन आप प्रस्ताव तो राज्य सरकार से भिजवाइये।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अब समाप्त करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यदि देशी भाषाएं मजबूत होंगी तो हिन्दी और समृद्ध होगी। महोदय, अभी हाल ही में श्री नौटियाल ने एक रिपोर्ट की है कि पहले दुनिया में 90 करोड़ लोग चीनी मंडारिन भाषा बोलते थे तो कहा जाता था कि ज्यादा लोग चीनी भाषा बोलते हैं। सेकेंड नंबर में अंग्रेजी बोलते हैं, थर्ड नंबर में हिंदी। ऐसा नहीं है। हाल ही में सर्वे हुआ है, अपने ही यहां के एक विद्वान ने सर्वेक्षण किया है, अब नंबर एक पर हिंदी बोली जा रही है, समझी जा रही है। 90-91 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा समझते, बोलते और बूझते हैं। दुनिया की 124 यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई शुरू हो गयी। इसे वैज्ञानिक भाषा लोगों ने साबित किया कि यह कंप्यूटर की भाषा है। सरकार इस पर निर्णय करे और इस ओर ध्यान दे। इसका क्राइटेरिया भी सही है। भोजपुरी क्राइटेरिया में छप रहा है, राजस्थानी क्राइटेरिया में छप रहा है, कुमाऊंनी या गढ़वाली में छप रहा है, तो सरकार इसे स्पष्ट करे। यहां मंत्री जी उपस्थित हैं। चिदंबरम जी को तो हिंदी भाषा बहुत बुझाती नहीं। वह कहते हैं, "I do not know a word in Hindi. Similarly, you do not know a word of Tamil." हमने कहा कि तमिल के कई वर्ड्स को मैं जानता हूं, वणक्कम को जानता हूं, तिरूकुरल, तिरूवल्लुवर जो दक्षिण के कवि हुए हैं, उनकी कविता को ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सुब्रमण्यम भारती और उधर के सब जो आलवार संत, नयनार संत और उधर से रामानुजाचार्य आदि सभी का जो दर्शन शुरू हुआ और इधर से डमरू बज गया, शंकर भगवान अगस्त ऋषि को भेज दिए, वहां दक्षिण में जाकर सिद्धा, उदयांत, यहां आयुर्वेद और पहाड़ में जाकर सोया-रिग्पा की पहाड़ी दवायें और भगवान बुद्ध के समय से ये सभी धन्वंतरि, सुश्रुत और चरकवचन जब से आया, उस समय से इलाज कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी को जवाब भी देना है। आपने प्रबल समर्थन दे दिया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बात सरकार साफ करे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। जनसंग्राम होगा, जब लोग बिगड़ेंगे, तो सरकार कहां टिकेगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो इसको स्पष्ट करे। जिस भाषा का उचित हक है, उसे वह मिले। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में अपनी भाषा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो प्रस्ताव आपने कुमाऊंनी और गढ़वाली का रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरा भी कोई न कोई हिस्सा वहां से जुड़ा हुआ है और वहीं से हम लोग दिल्ली में आए। उसके साथ-साथ जो मांग दूसरी भाषाओं के लिए है, उसके समर्थन में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं।

दिल्ली का हमारा एक कल्चर है। यहां लोग बाहर से बराबर आते रहे और यहां बसते रहे। बार-बार यहां पहनावा बदलता रहा, भाषा बदलती रही और आज एक बहुत बड़ी संख्या में भोजपुरी बोलने वाले लोग पूर्वांचल के दिल्ली में रहते हैं और तकरीबन पचास लाख से ज्यादा की उनकी आबादी है। मेरा मानना है कि जब सरकार कुछ चीजों का ध्यान रखती है, तो यह जरूरी है कि हम उनकी भावनाओं का भी उतना सम्मान करें और उसकी कद्र करें। बहुत दिन से यह मांग बदस्तूर हर सम्मेलन में रही है। भोजपुरी बोलने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से में नहीं रहते हैं, बल्कि आज की तारीख में देश के हर प्रांत में रहते हैं, उसके अलावा विदेशों में भी शायद ही कोई शहर ऐसा बाकी होगा, जहां भोजपुरी बोलने वाले लोग जाकर न बसे हों। दो ऐसे देश मॉरीशस और फिजी हैं, जिन्होंने उसे संवैधानिक दर्जा भी दिया, ताकि वहां लोग भोजपुरी को बोल सकें, पढ़ सकें। इसका बहुत बड़ा-बड़ा इतिहास रहा है, अभी रघुवंश बाबू चले गए, उन्होंने इसका जिक्र भी किया, हुक्मदेव नारायण यादव जी ने भी इसका जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, जो लिखे गए। बहुत सारे बड़े नाम लिए जा सकते हैं, आज की तारीख में बहुत सारी फिल्में जो बहुत पापुलर होती हैं, वह इसमें चलती हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हम एक मैच्योर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि जब कोई एजीटेशन हो, शोर मचे, लोग सड़कों पर आएं, आग लगाएं, उसके बाद यहां कोई बिल आप लाएं। यह भी कोई पाबंदी नहीं है कि यदि कोई प्राइवेट मेंबर बिल यहां रखा जाए और वह अच्छा हो, जनता की मांग से जुड़ा हुआ हो, तो उसको मानने में भी कोई हर्जा नहीं है। इससे सरकार कहीं छोटी नहीं होती है, आपको उसे जरूर मानना चाहिए। यही भावना देश में रहने वाले बहुत बड़े तबके की है। पहले जैसे लोग दिल्ली में हिन्दी बोला करते थे फिर उसमें उर्दू का मिश्रण आया। उसके बाद हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हिन्दी में बोलते हैं। आज भोजपुरी का भी वही हाल है। कोई भी व्यक्ति यहां कोई सन्टेन्स बोलता है तो उसमें भी उसका कोई न कोई लफ्ज जरूर आता है। हम भी जब जाते हैं, यहां छठ पूजा मनती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग उसे मनाते हैं। हर घर में तकरीबन दो, तीन या चार लोग हैं। उसका एक बड़ा अच्छा लफ्ज है - रउआ लोगन के स्वागत बा। इसका मतलब है कि मैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हम राजनैतिक आदमी है। हम भी वहां जाते हैं तो हमें भी पढ़ने, सुनने और बोलने का मौका मिलता है। जो तादाद में ज्यादा होते हैं उनसे डर भी लगता है

कि इनके आगे हाथ जोड़नी है, इनकी बात माननी पड़ेगी। सरकार से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आज वक्त है, आप नौजवान हैं, आप कुछ तब्दिली करें, बात मानें। एक बहुत अच्छा विषय और प्रस्ताव आपके सामने एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने रखा है जो बहुत धार्मिक हैं और जिनके प्रवचन से सारी दुनिया लाभ उठाती है आज उसके प्रस्ताव का भी आपको लाभ उठाना चाहिए और माना जाना चाहिए। ...(व्यवधान) सर, मैंने सब की सिफारिश की।...(व्यवधान) महोदय, मैं हरियाणा की, राजस्थानी, मैथली भोजपुरी इन सब का बहुत-बहुत समर्थन करता हूं।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity.

I stand to support the Bill introduced by hon. senior Member, Shri Satpal Maharaj, as it reflects the aspiration and emotional needs of the people of the State. Language represents culture. So, there is a link between culture and language. What is the connection between them? If you want to destroy a culture, kill the language, so goes a saying.

The Eighth Schedule of the Indian Constitution had originally listed 14 languages as Scheduled Languages and subsequently through so many amendments this number was raised to 22 languages. Now the request of the hon. Member to include Garhwali and Kumaoni as Scheduled Languages requires serious consideration, of course, positively. I fully support the ambition of hon. Member, Thiru Satpal Maharaj.

Sir, this august House has eminent speakers who are well-versed in their mother tongue. Language is the light of the mind. When we speak in our mother tongue, we can put our thoughts very impressively. So, everyone is very fond of his or her mother tongue.

When we promote one language, it should not be at the cost of other languages. One of the ways of promoting a language is its use as official language. At present, both Hindi and English have been recognized as official languages of the Union Government. I also have a strong desire like hon. Member, Shri Satpal Maharaj that my mother tongue – Tamil, which is an ancient language, should be made as one of the official languages of India for its promotion and development. Even from the beginning, our Party has been giving a call to include Tamil, along with the other languages, in the Eighth Schedule as the official language of India. Our revered leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchitalavi has been working hard to achieve this object. This requires an amendment to article 343 of the Constitution. This is a long felt demand of the people of not only Tamil Nadu but also other States.

India was re-organized into different States on the linguistic basis. So, in my view, there is nothing wrong to include at least some important languages in the Eighth Schedule as official languages of the country fixing some criteria.

I would like to take this opportunity to raise another important issue on which the Central Government should act early. This is with regard to conducting examinations of various Central Public Sector Undertakings and also of various Departments of Government for recruitment in both technical and non-technical posts. Now, for filling up these posts the examinations are being conducted only in Hindi and English, excepting a few Departments. The aspirants for such posts hailing from non-Hindi speaking areas are put to disadvantage. In order to ensure quality, parity and end discrimination, I would like to urge the Central Government to take suitable and immediate steps to permit candidates to write for these competitive examinations, for recruitment to various posts, in their regional languages, that is, their Mother Tongue. I would welcome the step taken by the Railway Ministry for permitting the candidates to write the Departmental examinations in Railways in the language of their own choice and also in their regional languages. I believe that the other Ministries will also follow the path of the Railway Ministry.

Sir, before concluding, I would like to make it clear that I am not against any language but languages should flourish uniformly. 'Rig Veda' says that "one should respect his Motherland, his culture and his Mother Tongue because they are the givers of happiness." In that sense, I fully support the Bill moved by Shri Satpal Maharaj for inclusion of Garhwali and Kumaon languages in the Eighth Schedule of the Indian Constitution.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): सबसे पहले मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला। मैं भी अपनी ओर से गढ़वाली और कुमाउंनी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह महत्वपूर्ण भाषा है। इनका इतिहास बहुत गौरवमय है। अभी रघुवंश प्रसाद जी और बाकी वक्ताओं ने इन भाषाओं के इतिहास के बारे में बताया। हमारा संबंध भी उस क्षेत्र से रहा है। पिछली तीन पीढ़ी से हमने वहां खेती की।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां बाजपुर पड़ता है। वहां हमने हल जोता है, ट्रैक्टर में हैरो जोती है, आप मान सकते हैं कि अब हल का जमाना नहीं रहा। हमने वहां खेती की है। यह भी एक इत्तिफाक की बात है कि कुमाऊं और गढ़वाल के बहुत से लोग मेरे लोक सभा क्षेत्र रोहतक में रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी सभा भी है। इस बात में सफलता मिले न मिले, लेकिन मुझे यकीन है कि वे लोग आपको नागरिक अभिनंदन के लिए बुलाना चाहेंगे। मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने जो हरियाणवी भाषा को शामिल करने की बात रखी है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने बहुत लम्बी बात की है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा।

17.14 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात रखी गई कि राजस्थानी को इसीलिए शामिल किया जाए कि राजस्थानी बहुत मीठी भाषा है। मैं मानता हूं कि राजस्थानी भाषा को शामिल करना चाहिए। मगर यह भी कहना चाहता हूं कि यह कोई...(व्यवधान) चलिए, रिश्तेदारी भी है, इसलिए राजस्थानी भाषा को शामिल करना चाहिए। मगर केवल यह क्राइटेरिया नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणवी को इसलिए शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हरियाणवी सबसे कड़वी भाषा हो, मगर बोलने वाले मीठे हैं, सच्चे-सीधे लोग हैं।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हरियाणवी रागिनी को हम गाते हैं। जब हम वहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो हरियाणवी रागिनी गाते हैं।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : बिल्कुल सही बात है।...(व्यवधान) हरियाणवी दिल से निकली हुई भाषा है और सच्चे-सीधे लोग हैं। हमारा देश हरियाणा, ये दूध-दही का खाना। सभापति महोदय, हमें विश्वासघात करना नहीं आता, हम सीधी बात करते हैं, सीधा बताते हैं। जो मन में है वह बात कहते हैं। जहां से हरियाणवी भाषा की शुरूआत हुई, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती जी

भ्रमण पर निकले हुए थे। -जब वे हिमालय से नीचे आये, तो एक ऐसी जगह पहुंचे, जहां खेत-खलिहान थे। वहां लोग बहुत खुश थे, खुशहाल थे। मगर पार्वती जी ने देखा कि वहां सारे गूंगे हैं, कोई बोल नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपका ऐसा क्या जुल्म है कि यहां पर कोई आदमी बोल नहीं रहा? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती इनको यूं ही रहने दें। ये जैसे हैं, वैसे ही रहने दें। मेरी बात मान, ज्यादा जिद नहीं करते। चलो, ये गूंगे हैं, गूंगे ही रह जायेंगे। कोई न कोई कारण है, कोई भेद है तने नहीं बताता, मगर इने गूंगा रहने दे। पार्वती जी ने उनको कहा कि नहीं, ये इतने खुश लोग हैं, इतने मेहनतकश लोग हैं, इतनी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, इन्हें आप भाषा जरूर देने का काम करें, बोली देने का काम जरूर करें। अगर नहीं देंगे, तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। मैं भूख-हड़ताल पर बैठूंगी जब तक आप इन्हें भाषा नहीं देते। भगवान शिव ने काफी देर तक पार्वती जी को मना किया, मगर जब वे ज्यादा दुखी हो गये, तो उन्होंने अपनी जेब से एक जादू की लकड़ी निकाली और उनमें से एक को बुलाया कि यूं आ भाई। जब आदमी उनके पास आया तो उसके मुंह पर, चूंकि वे गूंगे थे और मुंह सिला हुआ था, तो जो सिलाई थी, उसे हटाने का काम करना शुरू किया। जैसे ही थोड़ी सी सिलाई हटायी, उस आदमी ने झट से बोला कि अरे मूलड़, मेरे मुंह में यूं गुटका क्यों डालन लग रहा, इसे निकाल बाहर। कहने का मतलब यह है कि जो उनके मन में है, वही बात निकलती है। जो मन के अंदर बात है, वही बात निकालने का काम करते हैं, चाहे वह भगवान की बात हो या आम आदमी की बात हो।

महोदय, यह शूरवीरों की भाषा है। शुरू से लेकर आखिरी तक आप हिन्दुस्तान का इतिहास देखेंगे, तो यहीं पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई से लेकर पानीपत की लड़ाई हुई। आज भी यह भाषा हमारे देश की सारी सीमाओं पर बोली जाती है। हर दसवां सैनिक आज भी हरियाणा से आता है। चाहे कश्मीर की बात हो, कन्याकुमारी की बात हो, देश में अगर कहीं हमारी सीमा है और वहां कोई भाषा बोली जाती है, तो हरियाणा की भाषा बोली जाती है। यह भाषा हमारे किसानों की भाषा है। एक-तिहाई अनाज पूरे देश को देने का काम किसान करता है। गरीब, मजदूरों और व्यापारी की यह भाषा है। नवीन जी बता रहे थे कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चार करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब हम कोलकाता गये, तो इनके समाज के लोग हजारों की तादाद में हमारे स्वागत के लिए आये। मुझे लगता है कि वे हिन्दी भाषा नहीं बोल रहे थे। वे बंगाली बोल रहे थे या हरियाणवी भाषा बोल रहे थे। मैं जब अमेरिका पढ़ने और काम करने गया, तो मेरी गाड़ी में अगर कोई कैसेट या सीडी चलती थी, तो वह हरियाणवी रागिनियों की चलती थी। मैंने अमेरिका के अपने दोस्तों को भी हरियाणवी समझाने की पूरी कोशिश की। वहां पर मेरे जो हिन्दुस्तानी दोस्त थे, वे कहते थे कि भई, इन हरियाणवी कैसेटों को,

रागिनियों को अपनी गाड़ी से निकाल दो और अंग्रेजी गीत इसमें डाल दो। मैंने उनको कहा कि भई ऐसा है, मेरे को तो हरियाणा से निकाल सकते हो, मगर मेरे भीतर से हरियाणवी नहीं निकाल सकते। यहां भी हरियाणवी रागिनी ठोकने का काम करूंगा। यह भाषा मेहनतकश लोगों की भाषा है। इस भाषा में खेत-खलिहान की सुगंध आती है। जैसे अभी नवीन जी ने बताया कि संत कवि निश्चल दास, गरीब दास हरियाणवी, महाकवि सूरदास हरियाणवी बृज, अहमद बख्श, मेरठ निवासी शंकर दास, पंडित लखमी चंद, मांगेराम, मेहरसिंह बरौनिया, नंदलाल आदि, चाहे वे भजनी हैं, कवि हैं या साहित्यकार हैं, 400 वर्ष से साहित्य का काम इस भाषा में हो रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनका लोक सभा क्षेत्र अलवर हरियाणा से सटा हुआ है। उसमें भी हरियाणवी भाषा का काफी प्रभाव है। उस बात को ध्यान रखते हुए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हरियाणवी को, जब तक यह आठवीं अनूसूची में शामिल होती है और शामिल होने के बाद संविधान का संरक्षण मिलता है, तब तक हरियाणा में हमारी बाकी सारी भाषाएं जो बोली जाती है, चाहे वह देश की भाषा हो, बागड़ी, बृजभाषा की बात हो, पलवल और फरीदाबाद में बोली जाती हो या हमारी मेवाती की बात हो जो हमारे मेवात क्षेत्र में बोली जाती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान गया था। जैसे ही हमने पाकिस्तान मे कदम रखा, तो देखा कि हरियाणा से जो लोग वहां गये थे, उन्होंने उनको बॉर्डर पर बसाने का काम किया, क्योंकि ये लड़ाकुओं की भाषा है। जब हम बॉर्डर पर पहुंचे, तो मुझे लगा कि शायद पंजाबी बोलनी पड़ेगी। मगर जैसे ही बॉर्डर से अंदर गए, वहां पर उनको पता था कि हम हरियाणा से हैं, तो उनके मुहं से हरियाणवी निकली। यह भी कमाल है, यहां पर हरियाणवी, बीच में पंजाबी और फिर पाकिस्तान में जाकर दुबारा हरियाणवी शुरू हो जाती है। इस तरह से यह केवल भारत की ही नहीं, एक अंतराष्ट्रीय भाषा है। मैं बहुत से तर्क दे सकता हूं कि हरियाणवी क्यों होनी चाहिए, यह इसीलिए होनी चाहिए कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें आप हिन्दी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। मैं आपको हिन्दी भी हरियाणवी में बोलकर दिखा सकता हूं और अंग्रेजी भी हरियाणवी में बोलकर दिखा सकता हूं। यह ऐसी भी भाषा है कि इसमें जो शब्दावली है, उसके जैसा कोई अन्य शब्द दूसरी भाषाओं में नहीं मिलेगा। अब बताओ तोड़ शब्द का क्या मतलब है? तोड़ क्या चीज हैं, तोड़ करके दिखा लो, तोड़ ने भी तोड़ लो, तो हमारी हरियाणवी में इस तरह के शब्द हैं। इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है।

सभापति जी ने कहा यह हिन्दी जैसी है, मैं मानता हूं और हिन्दी आंदोलन में हम भी पूरी तरह से शरीक हैं, हमारा पूरा साथ है, मगर हरियाणवी के अंदर इस तरह के शब्द मिलेंगे, जो किसी अन्य भाषा में न तो मिलेंगे, न ही उनका कोई मतलब आपको समझ में आएगा। उनका मतलब एक हरियाणवी दूसरे हरियाणवी को ही समझा सकता है। कहा जाता है कि क्या खिच-खिच हो रही है। अब इस खिच-खिच का

क्या मतलब होता है? यह किसी अन्य भाषा में समझ में नहीं आ सकता है। इसे कोई हरियाणवी ही समझ सकता है।

आज मैं सतपाल महराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय उठाने का काम किया और मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हरियाणवी को शामिल करें। हरियाणवी के साथ हरियाणा में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं जैसे बांगरू, बांगड़ी, बृज भाषा, मेवाती, देसवाली आदि को किस प्रकार से संरक्षण मिले, ताकि ये भाषाएं हम अपनी अगली पीढ़ी को 100 साल बाद भी देकर जा सकें। इस पर आप विचार करें।

सभापति महोदय : श्री बद्रीराम जाखड़ ।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: राजस्थानी भाषा के लिए भी मेरा पूरा समर्थन है।

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा और भोजपुरी भाषा के बारे में बोलने का अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी वेश-भूषा भी राजस्थानी है और सतपाल जी महाराज यहां हमारे राजा जैसा साफ़ा पहनकर बैठे हैं। राजस्थानी भाषा बहुत अच्छी भाषा है। मैं बताना चाहता हूं कि वीर तेजा जी महराज हुए थे, उनकी माताजी ने बोला " बेटा, तू बेलाड़ा पायलाड़ा मोती रीप जे " बरसात हो गई है तू जा, मोती रीप जे। बेटा ससुराल जा रहा था। बहन ससुराल बैठी है, तू पहले बहन को लेकर आ। यह इतनी मीठी भाषा है। राजस्थानी भाषा जीवरो-जीवरो बेरी। जीरो बायो और जीरो खराब है। जीवरो खराब हे गयो तो जीवरो-जीवरो बेरी मत बा, परणिया जियो। परणिया पत्ती को कहते हैं। मत बा जीरो, जीरो पड़ जा सी पीलो। खराब हो गयो जीरो। जीरा में खराब निकले हे। इतनी मीठी भाषा है कि आओ तो कहते हैं इठे पधारो और जाओ तो कहते हैं इठे पधारो। आपने कहा खम्मा घणी। राजा-महाराजा के समय से बोलते हैं खम्मा घणी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां रामदेव जी महाराज हैं, जिन पर पिक्चर बनी थी। उस पिक्चर में था कि बहन राखी बांधने आयी तो उन्होंन बहन से कहा- बहन, तू मैला कपड़ा घरा क्यूं आयी! कांई हुयो थारे! क्यों मैला कपड़ा आयी है, कांई दुख पड़यो थारे! मैं बैठा हूं। लेकिन वह बतायी नहीं कि उसका बेटा खत्म हो गया है। रामदेव जी ने कहा- तू सांची बात बता बहन, तू मैला कपड़ा क्यूं कर आयी! यह एड़ी-एड़ी भाषा राजस्थान मायने है। एक भाषा राजस्थान में नहीं है। हमारे लोग राजस्थानी भाषा वाले अमरीका जाते हैं, वहां राजस्थानी भाषा के बारे में बताते हैं।

आपने मुझे दो मिनट का टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं से सम्बद्ध हूं। आसन पर बैठे हुए आपकी भावनाओं से भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई असहमति नहीं है कि सभी भाषाएं समृद्ध हैं, सभी भाषाएं समाज को, कौम को जोड़ने का काम करती हैं। देश की सीमाओं पर त्याग और बलिदान के लिए उस शौर्य की गाथा उनकी कविताओं से, उनके साहित्य से उनको अंगीकार करती हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने के प्रश्न को लगातार इस सदन में आप उठाते आए हैं, जिसका आपने स्वयं अपने भाषण में भी उल्लेख किया और कहा कि जायसवाल जी, शिवराज पाटिल जी जो तत्कालीन गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उनके समक्ष निवेदन किया। गृह मंत्री ही सरकार की तरफ से सक्षम हैं आठवीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करने के मामले में और उत्तर देने के लिए। वह बात बहुत दूर तलक चली गई और इसके बावजूद हम उसे उसी सिरे से करें, तो हमें कोई एतराज नहीं। आज जो देश की भाषाएं हैं और इस देश की सीमाओं के बाहर जो हमारी भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे गढ़वाली हो, चाहे हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, इन भाषाओं को भी अगर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अलबत्ता, पूरे देश की जनता को एक सूत्र में हम पिरोने का काम करेंगे। अगर इन भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि वह पूरा समाज अपनी भाषा के प्रति, जिस तरह से उसे संविधान की मान्यता के बाद अपनी भाषा पर और फख्र करेगा कि हमारे पूर्वजों की भाषा जो हमें उत्तराधिकार के रूप में मिली है, उसे एक रिकोग्नीशन मिल गई है। यह चीज भी कहीं न कहीं देश को एक ताकत और समृद्धि दिलाने में सहायक होगी।

इस सवाल पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। मंत्री जी, जैसा सभी ने कहा कि युवा मंत्री हैं और सहमति भी व्यक्त कर रहे हैं। यूपीए की चेयर पर्सन ने भी जब इस सदन में हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का सवाल यहां उठाया था, तो उस वक्त भी उन्होंने गृह मंत्री जी से एक बात कही थी। उस दिन पूरा सदन सहमत था। जो लोग भोजपुरी इलाके के नहीं हैं, जैसे जयप्रकाश जी अग्रवाल हैं, लेकिन सभी सदस्य एक-दूसरे की भाषा को, वैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। क्या सदन में आने के बाद हमें देश की जनता की जनभावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए अपनी भाषा को एक संवैधानिक दर्जा देने की मान्यता नहीं दिला सकते, अगर कोई तकनीकी कठिनाई हो, तो मैं समझता हूं उसे दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही है कहीं न कहीं, कोई न कोई रेडटिपिज्म है, लेकिन पोलिटिकल विल में कोई कमी नहीं है। सब राजनैतिक लोगों की इच्छा है कि उनकी भाषाओं की पहचान, मान्यता हो। जब मारीशस, सूरीनाम,

त्रिनिडाड, फिजी तक की बात होती है। दुनिया के दूसरे देशों में अगर भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है तो अपने ही देश में यह भाषा बेगानी रहे, यह बात कितनी दर्दनाक होगी, जो हमें एक टीस की तरह सालती है। इसलिए मैं तो बहुत विनम्रता से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली आदि भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज राजस्थान से आए, फिर वहां से गढ़वाल गए, हम लोग बुनियादी तौर से एस्कोट के 'पाल' हैं, फिर गढ़वाल से उत्तर प्रदेश गए। हमारी तो एक तरह से आज कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, हमारे पूर्वजों की मातृभूमि गढ़वाल है और उनके पूर्वजों की मातृभूमि राजस्थान है। इसीलिए भारत की विविधता में एकता है, जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि तमाम भाषाओं को, खासकर भोजपुरी को गढ़वाली, राजस्थानी, हरियाणवी के साथ, जिनकी लगातार यहां मांग होती है, मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर इस बात को कहेंगे कि संविधान की आठवीं अनुसूची में हम शामिल करते हैं। यह चीज सदन का एक इतिहास सृजित करेगी। इस सदन के लिए एक नया दस्तावेज प्रस्तुत होगा और आज इस सदन का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब भारत के गृह मंत्री जी इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहेंगे।

सभापति जी, आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

<u>18.00 hrs</u>

श्री महाबल मिश्रा : सभापति महोदय, मैं आज माननीय सतपाल महाराज जी द्वारा अष्टम सूची में भाषाओं को शामिल करने के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। दिल्ली में 40 से 50 लाख लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, 15-20 लाख लोग कुमाऊं और गढ़वाल के रहते हैं, उसी तरह से राजस्थान और हरियाणा के लोग रहते हैं। दिल्ली विभिन्न भाषाओं की संगम-स्थली हो गयी है, किसी एक भाषा की दिल्ली नहीं रही है। आज भोजपुरी यदि सूरीनाम और फिजी में बोली जाती है तो दिल्ली में, रायगढ़ में, लुधियाना में भी बोली जाती है। जहां-जहां कामगार गया वहां वह भोजपुरी भाषा का परिचायक हो गया है। माननीय शिवराज पाटिल साहब जब इसी हाउस में गृह मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद माननीय श्रीप्रकाश जायसवाल गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था और उसकी एक कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि भोजपुरी और राजस्थानी को अष्टम सूची में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भाषा सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि यह भाषा फिजी और सूरीनाम में भी बोली जाती है।

आज सतपाल जी महाराज गढ़वाल की बात करते हैं, पूरी दिल्ली में गढ़वाल और कुमाऊं के लोग रहते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को अष्टम सूची में शामिल करने से हमारा उससे संबंध जुड़ता है।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से आधा घंटा सभा की अवधि बढ़ाई जाती है।

श्री महाबल मिश्रा : आज चीन में लोग चीनी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं। आज राजभाषा कमेटी में हम लोग जाते हैं तो क्षेत्रीय भाषा की बात आती है। आज चाहे बिहार के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, रायपुर और लुधियाना के लोग हों, भोजपुरी को 17 करोड़ लोग बोलते हैं। चाहे हम बिहार में पैदा हुए हों, सतपाल जी महाराज गढ़वाल में पैदा हुए हों लेकिन दिल्ली में जो वहां के लोग रहते हैं वे दिल्ली के नागरिक हो गये हैं, एनसीआर के नागरिक हो गये हैं, इसलिए उनकी भाषा को नागरिकता मिलना जरूरी है। सभापति जी, आप तो पहले भी इस पर बोले हैं और जब हाउस में इस पर आश्वासन मिला है, इसके बाद कोई चीज बाकी नहीं रहती है। मैं माननीय मेघवाल जी के भाषण को सुन रहा था, माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा दिया गया आश्वासन कार्यान्वित नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इस हाउस का औचित्य क्या रह जाएगा? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अष्टम सूची में जो भी भाषा मापदंड पर सही उतरती है, उस भाषा को अष्टम सूची में शामिल करें। गढ़वाली भाषा की बात है, कुमाऊंनी भाषा की बात है, राजस्थानी भाषा की बात है, भोजपुरी भाषा की बात है तो सारी भाषाओं का हम समर्थन करते हैं क्योंकि देश उससे समृद्ध होगा, एक दूसरे से जुड़ेगा। यूपीएससी की परीक्षा में भी भाषाओं की बात आई थी, वह हाउस की प्रोपर्टी है और जहां तक बोलने और लिखने की बात है, तो उसमें संविधान के तहत एक कमेटी ने राजस्थानी और भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करने की बात कह दी थी क्योंकि ये सारे मापदंडों को पूरा करती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अष्टम सूची में भोजपुरी और राजस्थानी को अविलम्ब शामिल करें और विभिन्न भाषाओं को जैसा कि सतपाल जी महाराज ने गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को रखा है, उन्हें भी शामिल करें। आपने बोलने का वक्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति जी, आज बहुत खुशी की बात है कि माननीय सतपाल जी महाराज आज एक ऐसे प्रस्ताव को लाए हैं जिसपर पहले भी चर्चा लोक सभा में हो चुकी है और भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी और गढ़वाली भाषाएं बहुत मीठी भाषाएं हैं। इन्हें जो अष्टम सूची में शामिल करने की बात चल रही है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि वे इस पर गंभीरता से ध्यान देंगे। इन भाषाओं की आवाज जब दिल को छूती है तो निश्चित रूप से एक नयी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। चाहे गढ़वाली हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो, ये सब मीठी भाषाएं हैं। खासतौर पर मैं भोजपुरी भाषा के बारे में विस्तृत रूप से बात करुंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का आधा भाग भोजपुरी और मैथिली भाषा को बोलता है। सभापति जी, आप भी उसी भाषा से संबंध रखते हैं और मुझे लगता है कि आपकी अध्यक्षता में जो हम इन भाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय सतपाल महाराज जी जो इन भाषाओं के संविधान की अष्टम सूची में जोड़ने की बात कह रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से आप स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इन्हें शामिल कराने में आप पूरा सहयोग करेंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): Mr. Chairman, Sir, this Constitution (Amendment) Bill, 2010 for inclusion of Garhwali and Kumaoni Languages in the Eighth Schedule of the Constitution was presented by Shri Satpal Maharaj in the Lok Sabha on 19.8.2011. Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Shailendra Kumar, Shri Gorakh Nath Pandey, Shri Mangni Lal Mandal, Shri Bhartruhari Mahtab, Shri Adhir Chowdhury, Shri Syed Shanawaz Hussain, Shri K.C. Singh 'Baba', Shri Naveen Jindal, Shri Arjun Ram Meghwal, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri J.P. Agarwal, Shri Deepender Singh Hooda, Shri Badri Ram Jakhar, Shri Jagdambika Pal, Shri Mahabal Mishra, and Shri Kamal Kishor 'Commando' have strongly supported the Bill for inclusion of Garhwali and Kumaoni Languages in the Eighth Schedule of the Constitution.

Demands for inclusion of additional languages have been made from time to time. As of now, demands for inclusion of 38 languages are pending for consideration. A Committee under the Chairmanship of Shri Sitakant Mohapatra was constituted in 2003. The Committee submitted its Report in 2004 and made certain recommendations. No decision on the recommendations of the Sitakant Mohapatra Committee Report has been taken till now. Comments from various departments like DoPT, Culture, Registrar General of India, HRD etc. have been received.

There is also the issue relating to the language of the UPSC Examination. In a matter relating to the inclusion of Bhojpuri and Rajasthani languages in the Eighth Schedule of the Constitution, it was decided that the inclusion of these languages in the Eighth Schedule of the Constitution may be deferred till a decision is taken by the Government on the language issue of the UPSC Examination. UPSC has made a request that the present link between the Eighth Schedule languages may be de-linked from the Commission's scheme of examination in conducting the examinations in all the Eighth Schedule Languages. UPSC has constituted a High Level Standing Committee to examine the

modalities for implementing the recommendations of the Parliamentary Resolution in a manner consistent with the high standards of UPSC, for the existing languages in the Eighth Schedule. It has been decided to await the Report of the High Level Standing Committee and Government's decision to be taken thereon after which a fresh assessment of the demands of inclusion of languages will be made and a decision on Dr. Sitakant Mohapatra Committee's Report taken.

Therefore, it will not be advisable to consider inclusion of Garhwali and Kumaoni Languages in the Eighth Schedule of the Constitution in isolation of other pending similar demands. The case of these two languages will be decided alongside other pending demands.

महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य जिंदल साहब और दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हरियाणवी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में लाने की बात सदन में रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास 38 भाषाओं की जो डिमांड आई है, उनमें हरियाणवी भाषा अभी तक शामिल नहीं है। अगर राज्य सरकार से हमारे पास इसकी डिमांड आएगी, तो इसे इसी लिस्ट में जोड़ लिया जाएगा।

With these words, I request the hon. Member to withdraw the Constitution (Amendment) Bill and not to press for its consideration.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वक्तव्य दिया।

मेरे वतन की बहारें जवान होने दो
महान है मेरा भारत, महान होने दो।
किसी को सींच रहे हो और किसी पे पानी बंद
तमाम खेतों की फसलें समान होने दो।
गुबार दिल से ख्यालों से गद दूर करो
नई जमीन नया आसमान होने दो।
सुभाष, गांधी, जवाहर की रुह भी कहती है
तमाम देश को एक खानदान होने दो।

महोदय, मैं सबसे पहले मेघवाल जी, हुड्डा जी, जाखड़ जी, महाबल मिश्रा जी, हरीश रावत जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी बात का समर्थन दिया। हरीश रावत माननीय मंत्री जी आधे गढ़वाल के हैं, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। अनेक राज्य बने, गुजरात बना और गुजराती भाषा को मान्यता मिली। महाराष्ट्र राज्य बना और मराठी भाषा को मान्यता मिली। तमिलनाडु बना और तमिल भाषा को मान्यता मिली। इस प्रकार से राज्य बनने पर राज्य की भाषा को मान्यता मिलती है। उत्तराखंड नया राज्य बना है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में बोली जाने वाली कुमाउंनी और गढ़वाली भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे की सूची पर निश्चित रूप से विचार करें। भारत भाषाओं से और मजबूत होगा। मैं सदन का ध्यान उत्तराखंड की पहाड़ियों की तरफ ले जाना चाहता हूं, विशेषकर नीति घाटी में ले जाना चाहता हूं जहां इस समय हवा का सन्नाटा होगा, हवा का ठंडा प्रभाव होगा। वहां का व्यक्ति इस देश से इसी भावना से जुड़ा हुआ है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। उसमें भावना रहती है कि मै इस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। अगर हम उसकी भाषा को मान्यता देंगे तो देश मजबूत होगा। आपने बहुत भाषाओं को मान्यता दी है। उसी क्रम में उत्तराखंड नया राज्य बना है। उत्तराखंड की दो प्रमुख भाषाएं हैं जिसमें कुमाउंनी भाषा की बहुत उपबोलियां हैं। स्थानीय रूप से इसमें बहुत भाषाएं विकसित हुई हैं जिनमें प्रधान भाषाएं खसपरजिया, चौगरखिया, फल्दकोटिया, पछाई, जकरखिया, कुमयां या कुमैता, गंगोला, दानपुरिया, सीराली,सोरियाली, असकोटी, जोहारी, रउचोंभैंसी और भोटिया आती है। गढ़वाली भाषा की बहुत उपबोलियां विकसित हुई जिनमें श्रीनगरिया, राठी,लोहलया, बधानी, दसौलया,मांज-कुमैया, नागपुरिया, सलानी तथा टेहरी भाषाएं हैं। यह बहुत रिच भाषाएं हैं, इनका बड़ा व्याकरण है। माननीय मंत्री रावत जी यहां बैठे हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि इन भाषाओं का समर्थन करें।

महोदय, भोजपुरी मॉरिशस और ट्रिनिडाड में बोली जाती है। यहां रसोई की भाषा भोजपुरी है। वहां वैसे तो फ्रेंच भाषा में बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं लेकिन जब घर में आकर मां से रोटी मांगते हैं, बातें करते हैं तो मातृभाषा भोजपुरी में बात करते हैं। भोजपुरी भाषा के कारण वे भारत से जुड़े हुए हैं। आप मॉरिशस गए होंगे तो आपने गंगा तालाब देखा होगा। एक लोटा गंगा जल जब उस तालाब में डाला गया तब से उसे गंगा तालाब कहा गया। वे लोग पैदल चलकर यात्रा करते हैं और मानते हैं कि गंगा के दर्शन कर लिए। अगर आज इस भाषा को मान्यता मिलती है तो वे निश्चित रूप से भारत से जुड़ेगे जिससे हमारा बगीचा, उपवन और सशक्त होगा। आपको पता है कि इस भाषा को मान्यता मिलने से उत्तराखंड की भावना बलवती होगी। एक सत्र हमारा गैरसेण में हो तो उससे और भावना बलवती होगी। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस बिल को वापिस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing?

SHRI SATPAL MAHARAJ : I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI SATPAL MAHARAJ : I withdraw the Bill.

18.15 hrs.

BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

> "कि देश में किसी भी रूप में जादू-टोना पर पाबंदी का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010 पर सदन में चर्चा देने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ है। यूं तो जादू-टोना का अस्तित्व मानव सभ्यता के आरम्भ से रहा है, लेकिन आधुनिक समय में इसका स्वरूप व्यावक और विकराल होता जा रहा है। यह चिंता का विषय है। इस सम्मानित सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को इस गंभीर समस्या पर चिंतन-मनन कर इसका समाधान ढूंढना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जादू-टोना करने के आरोपी लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही हत्या पर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत का नाम कुछ अविकसित देशों के साथ जोड़ा गया है। जहां जादू-टोना से संबंधित हत्याएं अधिक हो रही हैं। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए तथा तथ्य के रूप में हमारे सामने एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आपका भाषण जारी रहेगा, आप अगली बार बोलेंगे।

सदन की कार्यवाही सोमवार, 30 अप्रैल, 2012 की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.16 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 30, 2012/Vaisakha 10, 1934 (Saka)